

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 जनवरी 2018—माघ 6, शक 1939

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2018

क्र. ई-1-02-2018-5-एक.—(1) श्री हिमांशु चन्द्र, भाप्रसे (2015), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), इटारसी जिला होशंगाबाद को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सौंसर जिला छिन्दवाड़ा पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई-5-720-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री गुलशन बामरा, भाप्रसे, आयुक्त, जबलपुर संभाग को दिनांक 23 से 27 जनवरी 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है

तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 28 जनवरी 2018 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री गुलशन बामरा की अवकाश अवधि में आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर का प्रभार श्री महेश चन्द्र चौधरी, भाप्रसे, कलेक्टर जिला जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री गुलशन बामरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, जबलपुर संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री गुलशन बामरा द्वारा आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री महेश चन्द्र चौधरी, भाप्रसे उक्त के प्रभार से मुक्त होंगे.

511

(5) अवकाशकाल में श्री गुलशन बामरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गुलशन बामरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-918-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी, आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अनूपपुर को दिनांक 10 से 18 जनवरी 2018 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अनूपपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-1015-आयएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री संस्कृति जैन, भाप्रसे., अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) मउगंज जिला रीवा को दिनांक 29 जनवरी से 9 फरवरी 2018 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ 28 जनवरी एवं 10, 11 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री संस्कृति जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) मउगंज जिला रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री संस्कृति जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री संस्कृति जैन अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2018

क्र. ई.-5-671-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती दीपाली रस्तोगी, भाप्रसे., विकअ-सह-आयुक्त, जनजातीय कार्य को दिनांक 15 से 27 जनवरी 2018 तक, तेरह दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13, 14 एवं 28 जनवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्रीमती दीपाली रस्तोगी की अवकाश की अवधि में विकअ-सह-आयुक्त, जनजातीय कार्य का प्रभार श्री राकेश सिंह, भाप्रसे, संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी, आयएस., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ-सह-आयुक्त, जनजातीय कार्य के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती दीपाली रस्तोगी द्वारा विकअ-सह-आयुक्त, जनजातीय कार्य का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राकेश सिंह, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रस्तोगी, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई.-5-989-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आशीष सक्सेना, भाप्रसे, कलेक्टर जिला झाबुआ को दिनांक 15 से 18 जनवरी 2018 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13, 14 जनवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री आशीष सक्सेना, भाप्रसे की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री एस. पी. एस. चौहान, राप्रसे, अपर कलेक्टर जिला झाबुआ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष सक्सेना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आशीष सक्सेना, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला झाबुआ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. पी. एस. चौहान उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री आशीष सक्सेना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष सक्सेना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2018

क्र. ई.-1-10-2017-5-एक.—सुश्री शैलबाला अंजना मार्टिन, भाप्रसे (2009) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एमपी इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट एथॉरिटी एवं उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का प्रभार सौंपा जाता है।

क्र. ई.-1-11-2018-5-एक.—श्री अनिरुद्ध मुकर्जी, भाप्रसे (1993), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, दी प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुम्बई का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2018

क्र. ई.-5-607-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. सी. गुप्ता, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को दिनांक 24 से 27 जनवरी 2018 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 28 जनवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री के. सी. गुप्ता की अवकाश अवधि में श्री राजेश राजौरा, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई.-1-2-2017-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में उल्लिखित अधिकारी जो भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2017-एआईएस (I)-बी, दिनांक 9 जनवरी 2018 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना (3) में दर्शाए राप्रसे के संवर्गीय पद पर पदस्थ हैं, को दिनांक 9 जनवरी 2018 से भाप्रसे संवर्ग के उसी पद पर पदस्थ घोषित किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री ललित कुमार दाहिमा	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग

(2) नीचे तालिका के खाना (2) में उल्लिखित अधिकारी, जो भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2017-एआईएस (I)-बी, दिनांक 9 जून 2018 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से

(4) श्री के. सी. गुप्ता द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजेश राजौरा, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-774-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजीत कुमार, आयएस., संचालक, बजट को दिनांक 05 से 25 दिसम्बर 2017 तक, इक्कीस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री अजीत कुमार, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1048-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, भाप्रसे., उपसचिव, कार्मिक सामान्य प्रशासन विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 8 दिसम्बर 2017 द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर 2017 से 3 जनवरी 2018 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 29 दिसम्बर 2017 से 6 जनवरी 2018 तक, नौ दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 8 दिसम्बर 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्।

पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना (3) में दर्शाए गए संवर्ग के असंवर्गीय पद पर पदस्थ हैं, को दिनांक 9 जनवरी, 2018 से उक्त असंवर्गीय पद को उक्त अधिकारी के इस पद पर पदस्थ रहने की तिथि तक, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में उक्त नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित खाना (4) में दर्शाये गये संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करते हुए नीचे तालिका के खाना (3) में अंकित पद पर पदस्थ घोषित किया जाता है :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	भाप्रसे में नियुक्ति दिनांक को धारित असंवर्गीय पद का नाम	भाप्रसे संवर्ग में शामिल पद का नाम जिसके समकक्ष घोषित किया जाता है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री बसंत कुरें	अपर कलेक्टर, उज्जैन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2018

क्र. ई-1-03-2018-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समकक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री एस. एस. कुमारे (2000), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग तथा पदेन सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश खाद्य आयोग.	—
2	श्री नरेन्द्र सिंह परमार (2004), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग.	—
3	श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव (2009), उपसचिव "कार्मिक" मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.	अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

क्र. ई-1-14-2017-5-एक.—श्री प्रबल सिपाहा, भाप्रसे (2009) अपर संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर तथा आयुक्त (फील्ड) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर पदस्थ किया जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री प्रबल सिपाहा द्वारा संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर के असंवर्गीय पद

को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

क्र. ई-5-1073-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) जितेन्द्र सिंह राजे, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को दिनांक 30 नवम्बर से 15 दिसम्बर 2017 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री जितेन्द्र सिंह राजे, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जितेन्द्र सिंह राजे, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.**

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2018

क्र. ई.-5-776-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. चन्द्रशेखर, भाप्रसे., तत्कालीन अपर सचिव, मुख्य मंत्री (वर्तमान में सचिव, मुख्य मंत्री एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम तथा मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन) को समसंख्यक आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2017 द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2017 से 2 जनवरी 2018 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 23 से 30 दिसम्बर 2017 तक, आठ दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश दिनांक 31 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्।

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2018

क्र. ई.-5-838-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनोहर लाल दुबे, आयएस., सचिव, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, खनिज विकास निगम एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य आनंद संस्थान को समसंख्यक आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2017 द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर 2017 से 6 जनवरी 2018 तक, बाईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 19 दिसम्बर 2017 से 6 जनवरी 2018 तक, इक्कीस दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश दिनांक 7 जनवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश की अनुमति सहित कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**सुधीर कुमार कोचर, उपसचिव "कार्मिक".**

## गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधित आदेश

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2018

क्र. एफ-1(ए)-60-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 23 दिसम्बर 2017 को निरस्त करते हुए, श्री दीपक वर्मा, भापुसे प्रभारी उप पुलिस महानिरीक्षक, (मध्य क्षेत्र) भोपाल को परिवार सहित जैसलमेर राजस्थान जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 15 दिसम्बर 2017 से 1 जनवरी 2018 तक अठारह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

- |                        |   |        |
|------------------------|---|--------|
| 1. श्री दीपक वर्मा     | — | स्वयं  |
| 2. श्रीमती रंजना वर्मा | — | पत्नी  |
| 3. तन्मय वर्मा         | — | पुत्र  |
| 4. तन्शी वर्मा         | — | पुत्री |

(2) श्री दीपक वर्मा, भापुसे की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री अनिल माहेश्वरी भाप्रसे, प्रभारी उमनि, विसबल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक वर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रभारी उप पुलिस महानिरीक्षक, (मध्य क्षेत्र) भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री दीपक वर्मा, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री दीपक वर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक वर्मा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2018

क्र. एफ 1-23-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को "Yoshida International School in Sapugaskanda, Sri Lanka" में दिनांक 5 जनवरी 2018 को

“The Importance of Ethics in planning our future” विषय पर व्याख्यान देने हेतु श्रीलंका की विदेश यात्रा (एक्स इण्डिया अवकाश) की कार्योत्तर अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश यात्रा के दौरान महाबोधी सोसायटी ऑफ श्रीलंका का आतिथ्य स्वीकार करेंगे.
3. विदेश में कोई (Assignment) नहीं लेंगे.

(2) यात्रा से लौटने पर श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे यात्रा पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीदास, अवर सचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2018

फा. क्र. 3(ए)01-2017-इक्कीस-ब(एक)-89.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन, एतद्वारा निम्नलिखित सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ श्रेणी), को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तों) नियम, 1994 यथासंशोधित नियम-5(1)(सी) के अन्तर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 के पद पर रिट पिटिशन क्र. 308/2016, 5092/2016 एवं आर.पी. क्र. 248/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29 अप्रैल 2016 के अनुक्रम में इन रिट याचिकाओं पुनरीक्षण याचिका में पारित निर्णय आदेश के अध्यायन, स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करता है:—

1. श्रीमती नीलम मिश्रा
2. श्री अशोक भारद्वाज
3. श्री संजय अग्रवाल

4. श्रीमती आरती ए. शुक्ला
5. श्री आदेश कुमार जैन
6. श्री आशुतोष अग्रवाल
7. श्री धमेन्द्र कुमार ताडा
8. श्री मनोज कुमार सिंह
9. श्री विवेक पटेल
10. श्री प्रवीण शिवहरे
11. श्रीमती ज्योति मिश्रा
12. सुश्री श्वेता गोयल
13. श्री इरशाद अहमद
14. श्री नीतिराज सिंह सिसौदिया
15. श्री संजय कुमार शाही
16. श्री संजय कुमार गुप्ता
17. श्री किशोर कुमार गेहलोत
18. श्री आदित्य रावत
19. श्री राजेन्द्र देवड़ा
20. श्री गौतम भट्ट
21. श्री पंकज श्रीवास्तव
22. श्री जयंत शर्मा
23. श्री समरेश सिंह
24. श्री अमर गोयल
25. श्री सिद्धार्थ तिवारी
26. श्री नीलू संजीव श्रृंगिच्छी
27. श्री अरविंद कुमार शर्मा
28. श्री अतुल सक्सेना
29. श्री राजेश कुमार तिवारी
30. श्री श्रीष कैलाश शुक्ल
31. श्री वारीन्द्र कुमार तिवारी
32. श्री विनोद कुमार शर्मा
33. श्री मुकेश नाथ
34. श्री राघवेन्द्र भारद्वाज
35. श्री तरुण सिंह
36. श्री धर्मेंश भट्ट
37. श्री सचिन जैन
38. श्री अकबर शेख
39. श्री नीरज शर्मा
40. सुश्री आरती शर्मा
41. श्री सुधांशु सक्सेना
42. श्री मुकेश रावत

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2018

फा. क्र. 3 (ए) 2016-इक्कीस-ब(एक)165.—(मेरिट क्र. 57), राज्य शासन, श्री राकेश सिंह पिता श्री सोवरन सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक

अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड (म. प्र.) है। उसकी जन्मतिथि 02 जुलाई 1984 है।

फा. क्र. 3(ए) 2016-इक्कीस-ब(एक)3793.—(मेरिट क्र. 36), राज्य शासन, श्री इन्द्रजीत रघुवंशी पिता रामजीलाल रघुवंशी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी (म. प्र.) है। उसकी जन्मतिथि 01 फरवरी 1980 है।

फा. क्र. 3(ए) 2016-इक्कीस-ब(एक)3807.—(मेरिट क्र. 42), राज्य शासन, श्री कृष्णपालसिंह सिसोदिया पिता श्री धर्मराजसिंह सिसोदिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला बड़वानी (म. प्र.) है। उसकी जन्मतिथि 20 अगस्त 1984 है।

फा. क्र. 3(ए) 2016-इक्कीस-ब(एक)3822.—(मेरिट क्र. 88), राज्य शासन, श्री हर्षवर्धन रावत पिता स्व. श्री पुनम सिंह रावत को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला धार (म. प्र.) है। उसकी जन्मतिथि 12 दिसम्बर, 1984 है।

फा. क्र. 3(ए) 2016-इक्कीस-ब(एक)3828.—(मेरिट क्र. 78), राज्य शासन, सुश्री निकाता चौहान पिता स्व. श्री इन्द्रपाल सिंह चौहान को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला धार (म. प्र.) है। उसकी जन्मतिथि 5 जनवरी, 1991 है।

फा. क्र. 3(ए) 2016-इक्कीस-ब(एक)3830.—(मेरिट क्र. 99), राज्य शासन, श्री राजेन्द्र बर्मन पिता श्री गोपाल बर्मन को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला धार (म. प्र.) है। उसकी जन्मतिथि 8 जुलाई, 1982 है।

फा. क्र. 3(ए) 2016-इक्कीस-ब(एक)3840.—(मेरिट क्र. 89), राज्य शासन, श्री डालचंद पिता श्री धनपत सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर (म. प्र.) है। उसकी जन्मतिथि 10 जुलाई, 1989 है।

फा. क्र. 3(ए) 2016-इक्कीस-ब(एक)3842.—(मेरिट क्र. 81), राज्य शासन, सुश्री श्वेता खरे पिता हरिओम खरे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला आगर-मालवा (म. प्र.) है। उसकी जन्मतिथि 10 नवम्बर 1982 है।

फा. क्र. 3(ए) 2016-इक्कीस-ब(एक)3843.—(मेरिट क्र. 71), राज्य शासन, श्री धर्मेन्द्र नागवंशी पिता श्री प्रीतम सिंह नागवंशी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) है। उसकी जन्मतिथि 15 अगस्त 1989 है।

फा. क्र. 3(ए) 2016-इक्कीस-ब(एक)3854.—(मेरिट क्र. 74), राज्य शासन, श्रीमती जागृति सचीन चन्द्रकापूरे पति सचीन चन्द्रकापूरे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला बालाघाट (म. प्र.) है। उसकी जन्मतिथि 15 अगस्त 1983 है।

फा. क्र. 3(ए) 2016-इक्कीस-ब(एक)3856.—(मेरिट क्र. 72), राज्य शासन, सुश्री आरती रतौनिया पिता श्री लक्ष्मण सिंह रतौनिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर (म. प्र.) है। उसकी जन्मतिथि 06 जुलाई 1988 है।

फा. क्र. 3(ए) 2016-इक्कीस-ब(एक)5676.—(मेरिट क्र. 90), राज्य शासन, सुश्री ज्योति मेरावी पिता श्री यशवंत सिंह मेरावी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला बालाघाट (म. प्र.) है। उसकी जन्मतिथि 26 अगस्त 1987 है।

फा. क्र. 3(ए) 2016-इक्कीस-ब(एक)6073.—(मेरिट क्र. 101), राज्य शासन, हीरालाल सिसोदिया पिता स्व. श्री सुरेश सिसोदिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला धार (म. प्र.) है। उसकी जन्मतिथि 20 दिसम्बर, 1988 है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

## महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जनवरी 2018

क्र. एफ-8-7-2011-पचास-1.—केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के नियम 3 (iv) में निहित प्रावधानों के तहत राज्य शासन, एतद्वारा, विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 अगस्त 2016 द्वारा श्रीमती पद्मा शुक्ला को मध्यप्रदेश राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उक्त अधिसूचना के जारी होने के दिनांक अर्थात् 9 अगस्त 2016 से मध्यप्रदेश राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के लिये निम्नलिखित अशासकीय सदस्यों को तीन वर्ष के लिये नामांकित करता है:—

### केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा नामांकित—

1. श्री पवन कुमार व्याय, व्याय गली, पी.जी.व्ही. कॉलेज के पास जीवाजीगंज, लस्कर, ग्वालियर.
2. श्री रूपेश नेमा, नेमा स्वीट, निकास रोड विदिशा.
3. श्री प्रियंक कानूनगो, जिवंती, 9 सिविल लाईन, विदिशा-464 001.
4. श्री राजा तिवारी, गुलाब कॉलोनी, शिवाजी वार्ड, जिला सागर
5. श्री गौरव गोहद.

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2018

क्र. 53-2786-2017-पचास-2.—दिनांक 1 दिसम्बर 2017 को जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 की उपधारा (1) तथा (2) [सहपठित नियम 2016 का नियम 88 (10)] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम (3) में उल्लेखित व्यक्तियों को बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है:—

### अनुसूची

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	सदस्य का नाम एवं प्रवर्ग (3)
1	सिंगरौली	1. सुरेशमणि तिवारी, अध्यक्ष 2. श्रीमती मंजू सिंह कुशवाह, सदस्य. 3. सुश्री किरण जैन, सदस्य
2	रतलाम	1. डॉ. रचना भारती, अध्यक्ष 2. श्री जीवराज पुरोहित, सदस्य 3. श्री कैलाश नारायण जोशी, सदस्य. 4. श्री वीरेन्द्र कुलकर्णी, सदस्य
3	रायसेन	1. श्री संदीप कुमार दुबे, अध्यक्ष 2. श्री हल्के भाई सेन, सदस्य.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पंकज शर्मा, उपसचिव.



**खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जनवरी 2018

क्र. एफ-5-10-2011-उन्तीस-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1क) अनुसार चयन समिति की सिफारिश पर निम्नांकित को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिले के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में उनके पदभार ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष या 65 वर्ष की आयु उसमें से जो भी पूर्वतर हो, तक के लिये सदस्य के पद पर नियुक्त करता है :—

क्र.	नाम एवं पता	जिला उपभोक्ता फोरम का नाम	पद की श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व. श्री राममनोहर श्रीवास्तव, बी-253, पुष्पा नगर कॉलोनी, चाँदबड़, भोपाल.	भोपाल क्रमांक-1	अनारक्षित
2	श्री अनिल कुमार वर्मा पुत्र श्री ब्रजकांत वर्मा, म. नं. 80, ब्रन्दावन नगर, पिपलानी भोपाल-4620222.	भोपाल क्रमांक-2	अनारक्षित
3	कु. अलका सक्सेना पुत्री स्व. श्री शशिकांत सक्सेना, जी-95/65, (1250) क्वार्टर, तुलसी नगर, भोपाल.	भोपाल क्रमांक-2	आरक्षित (महिला)
4	सुश्री सफलता तिवारी पुत्री स्व. श्री गंगाराम बाजपेयी, वार्ड-17, आनंद नगर, होशंगाबाद (मध्यप्रदेश).	होशंगाबाद	आरक्षित (महिला)

2. उक्त सदस्य की नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी.—

- 2.1 कार्यभार ग्रहण के उपरांत प्रत्येक निर्धारित कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे.
- 2.2 बिना उपयुक्त कारण एवं पूर्व सूचना के फोरम की बैठक में लगातार पाँच बार अनुपस्थित रहने पर पद से हटाया जा सकेगा.
- 2.3 केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
- 2.4 राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय एवं भत्ते देय होंगे.
- 2.5 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986, उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 तथा मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के प्रावधान बाध्यकारी होंगे.

3. सदस्य संबंधित जिले के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में कार्यभार ग्रहण करेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वी. एस. रावत, उपसचिव.

**पर्यावरण विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2018

क्र. 22-3225-2017-अठारह-5.—भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2010 के स्थान पर आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम 2017 अधिसूचित किया गया है. वेटलैण्ड नियम, 2017 के बिन्दु क्र. 5(1) के परिपालन में मध्यप्रदेश में राज्य आर्द्रभूमि (Wetland) प्राधिकरण का गठन किया जाता है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे तथा प्राधिकरण की शक्तियां एवं कार्य परिशिष्ट-अ अनुसार होंगे :—

- |  |   |              |
|--|---|--------------|
| 1. माननीय मंत्री, पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन  | — | अध्यक्ष      |
| 2. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन अथवा समतुल्य अपर मुख्य सचिव   | — | उपाध्यक्ष    |
| 3. पर्यावरण विभाग का भारसाधक प्रमुख सचिव   | — | सदस्य        |
| 4. वन विभाग का भारसाधक सचिव  | — | सदस्य (पदेन) |
| 5. ग्रामीण विकास विभाग का भारसाधक सचिव   | — | सदस्य (पदेन) |
| 6. जल संसाधन विभाग का भारसाधक सचिव   | — | सदस्य (पदेन) |
| 7. मत्स्य पालन विभाग का भारसाधक सचिव   | — | सदस्य (पदेन) |
| 8. पर्यटन विभाग का भारसाधक सचिव  | — | सदस्य (पदेन) |
| 9. राजस्व विभाग का भारसाधक सचिव  | — | सदस्य (पदेन) |
| 10. निदेशक, राज्य सुदूर संवेदी केन्द्र   | — | सदस्य (पदेन) |
| 11. मुख्य वन्यजीव वार्डन   | — | सदस्य (पदेन) |
| 12. सदस्य सचिव, राज्य जैव विविधता बोर्ड  | — | सदस्य (पदेन) |
| 13. सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड   | — | सदस्य (पदेन) |
| 14. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय का अपर प्रधान मुख्य संरक्षक.  | — | सदस्य (पदेन) |
| 15. आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी, जल विज्ञान, मत्स्य, भू-दृश्य योजना और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में से प्रत्येक का एक विशेषज्ञ जिसे राज्य सरकार द्वारा नामांकित किया जाए, और |   |              |
| 16. पर्यावरण विभाग में अपर सचिव/संयुक्त सचिव/निदेशक  | — | सदस्य सचिव   |

राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण 3 से अधिक यदि अपेक्षित हो, अन्य सदस्यों, का सह-चयन, कर सकेंगे. प्राधिकरण की वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक होगी तथा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण के गैर अधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष की अवधि का होगा.

## परिशिष्ट "अ"

## मध्यप्रदेश राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की शक्तियां एवं कार्य

(1) वेटलैण्ड नियम 2017 के उपनियम 5(4) अनुसार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :-

- क. इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर राज्य की सभी आर्द्रभूमियों की सूची तैयार करना;
- ख. इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर अधिसूचित की जाने वाली आर्द्रभूमियों की सूची तैयार करना, अन्य सुसंगत राज्य अधिनियमों के अधीन तैयार/अधिसूचित आर्द्रभूमियों की किसी विद्यमान सूची को संज्ञान में लेना;
- ग. इन नियमों के अधीन विनियमन हेतु उनके संक्षिप्त दस्तावेजों के आधार पर अभिज्ञात आर्द्रभूमियों की संस्तुति करना;
- घ. इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर सभी आर्द्रभूमियों की व्यापक डिजिटल सूची तैयार करना और उक्त प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा विकसित की जाने वाले डेडीकेटेड वेब पोर्टल पर इसे अपलोड करना, और इस सूची को प्रत्येक दस वर्ष में अद्यतन किया जाएगा;
- ङ. अधिसूचित आर्द्रभूमियों के भीतर विनियमित और अनुज्ञात किए जाने वाले कार्यकलापों और उनके प्रभाव क्षेत्र की विस्तार सूची विकसित करना;
- च. विनिर्दिष्ट आर्द्रभूमियों के प्रतिशिद्ध कार्यकलापों की सूची में बढ़ोत्तरी यदि कोई हो तो, की सिफारिश करना;
- छ. आर्द्रभूमियों की अधिकारिता के भीतर उनके संरक्षण और युक्तियुक्त उपयोग के लिए कार्य नीतियां परिभाषित करना, यदि पारिस्थितिक प्रणाली के कार्यकलापों (जल भण्डारण, भू-जल संभरण, बाढ़ प्रतिरोधक जैसे) और मूल (मनोरंजन और सांस्कृतिक जैसे) का अनुरक्षण किया जाता है या उसमें अभिवृद्धि की जाती है तो इन पारिस्थितिक प्रणाली को प्रबंधित करने के लिये एक सिद्धांत, जो संरक्षण के साथ संगत वहनीय उपयोगों को समावेशित करता है (जैसे जीवन निर्वाह स्तर हेतु मछली पकड़ना या जलीय वनस्पति की पैदावार करना) का विवेकपूर्ण उपयोग करना;
- ज. प्रत्येक अधिसूचित आर्द्रभूमियों के लिये एकीकृत प्रबंधन योजना का पुनर्विलोकन करना (केन्द्रीय सरकार के समन्वयन से सीमा-पारीय आर्द्रभूमियों सहित), और इन योजनाओं के भीतर आर्द्रभूमियों, जो पारिस्थितिकीय स्वरूप के अनुकूल हैं, के पारम्परिक उपयोगों को जारी रखना और उसमें समर्थन देने पर विचार करना;
- झ. उन मामलों में, जहां अधिसूचित आर्द्रभूमियों या अर्द्रभूमि परिसरों की सीमा के भीतर भूमि क्षेत्र का निजी भू-धारण अधिकार है, उन्हें बढ़ावा देने के लिए कार्यकलापों के माध्यम से पारिस्थितिकीय स्वरूप को बनाये रखने के लिये कार्यतंत्रों हेतु सिफारिश करना;
- ञ. विद्यमान राज्य स्तर की विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ प्रबंध योजना के कार्यान्वयन के अभिसरण के लिये कार्यतंत्रों की पहचान करना;
- ट. इन नियमों और अन्य सुसंगत अधिनियमों, नियमों और विनियमों का प्रवर्तन सुनिश्चित करना और अर्द्धवार्षिक आधार पर (प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष के जून और दिसम्बर पर) एक सूचना तंत्र के माध्यम से ऐसी अधिसूचित आर्द्रभूमियों की स्थिति पर संबंधित राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को सूचना देना;
- ठ. विभिन्न संगत विभागों और अन्य संबंधित अधिकरणों के माध्यम से युक्तियुक्त उपयोग के सिद्धांत के आधार पर एकीकृत प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन का समन्वयन करना.
- ड. राज्य के भीतर सभी आर्द्रभूमि विनिर्दिष्ट प्राधिकरणों के लिये नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य करना;
- ढ. संबंधित क्रियान्वयन अधिकरणों को आर्द्रभूमियों के संरक्षण और सतत प्रबंधन हेतु आवश्यक निर्देश जारी करना;
- ण. आर्द्रभूमियों के मूल्यों और क्रियाकलापों के संबंध में पणधारियों और स्थानीय समुदायों के बीच जागरूकता के संवर्धन हेतु उपाय करना, और

त. स्वप्रेरणा से या राज्य सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट अन्य मामले पर सलाह देना.

(2) उपनियम 5(5) अनुसार राज्य सरकार का संबंधित विभाग, प्राधिकरण के लिये नोडल विभाग और सचिवालय के रूप में सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा और कार्य करेगा.

(3) उपनियम 5(6) अनुसार उपनियम 6 के अंतर्गत प्राधिकरण इन नियमों के प्रकाशन के 90 दिन के भीतर :—

1. संक्षिप्त दस्तावेजों और प्रबंध योजनाओं का पुनर्विलोकन करने तथा आर्द्रभूमिय प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी तकनीकी विषय पर सलाह देने के लिये तकनीकी समिति का, और
2. जनता द्वारा प्राधिकरण को दी गयी शिकायतों की सुनवाई करने और उन्हें अग्रेषित करने के लिये एक कार्यन्त उल्लब्ध कराने हेतु चार सदस्यों से बनी एक शिकायत समिति का गठन करेगा.

(4) उपनियम 5(7) अनुसार उपनियम 6 में निर्दिष्ट समितियां अपने कृत्यों के निष्पादन के लिये प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी.

(5) उपनियम 5(8) प्राधिकरण की वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक होगी.

(6) उपनियम 5(9) राज्य सरकार या प्रशासन द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण के गैर अधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष की अवधि का होगा.

क्र. 22-3225-2017-अठारह-5.—भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम 2017 अधिसूचित किया गया है. नियम 2017 के उपनियम 5(5) के अनुसार राज्य शासन या संबंधित विभाग द्वारा प्राधिकरण के लिए नोडल विभाग और सचिवालय के रूप में सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाना है. उक्त नियम के परिपालन में नोडल विभाग के रूप में पर्यावरण विभाग एवं सचिवालय के रूप में एको कार्य करेगा तथा शक्तियां एवं कार्य परिशिष्ट “ब” अनुसार होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव शर्मा, अपर सचिव.

### परिशिष्ट “ब”

#### राज्य सरकार की शक्तियां और कार्य का प्रत्योजन

नियम 7(1) अनुसार राज्य सरकार या सम्बद्ध विभाग इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर अधिसूचित किये जाने हेतु अभिज्ञात प्रत्येक आर्द्रभूमि के लिये एक संक्षिप्त दस्तावेज तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित का उपबंध होगा :—

- क. निर्देशांकों सहित यथार्थ डिजिटल मानचित्रों द्वारा समर्थित और जमीनी सत्यापन द्वारा विधिमान्य आर्द्रभूमि का सीमांकन;
- ख. इसके प्रभाव क्षेत्र का सीमांकन और डिजिटल मानचित्र में संकेतिक उसका भूमि उपयोग और आच्छादित भूमि क्षेत्र;
- ग. पारिस्थितिक-स्वरूप का विवरण;
- घ. पूर्वतः विद्यमान अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का लेखा;
- ङ. आर्द्रभूमि तथा इसके प्रभाव क्षेत्र के भीतर अनुज्ञप्त स्थल विशिष्ट क्रियाकलापों की सूची;
- च. आर्द्रभूमि तथा इसके प्रभाव क्षेत्र के भीतर विनियमित किये जाने वाले स्थल-विशिष्ट क्रियाकलापों की सूची; और
- छ. विनियमों के प्रवर्तन रीति;

नियम 7(2) प्राधिकरण संक्षिप्त दस्तावेज के आधार पर आर्द्रभूमियों को अधिसूचित किये जाने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करेगा.

नियम 7(3) राज्य सरकार संबंधित और प्रभावित व्यक्तियों से आक्षेपों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा की गई सिफारिश की तारीख से 240 दिन की अवधि के भीतर राजपत्र में आर्द्रभूमियों को अधिसूचित करेगी.

नियम 7(4) क. केन्द्रीय सरकार सीमा पार आर्द्रभूमियों के मामले में, संक्षिप्त दस्तावेज जिसमें उपनियम 1 में यथासूचीबद्ध सूचना दी गई हो, को तैयार करने में संबद्ध राज्य सरकार के साथ समन्वय करेगी।

ख. संक्षिप्त दस्तावेज के आधार पर, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति आर्द्रभूमि को अधिसूचित किये जाने के लिये केन्द्रीय सरकार को सिफारिशें करेगी।

ग. केन्द्रीय सरकार संबद्ध और प्रभावित व्यक्तियों से प्राप्त आक्षेपों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् समिति द्वारा की गयी सिफारिश की तारीख से 240 दिन से अनधिक की अवधि के भीतर आर्द्रभूमियों को राजपत्र में अधिसूचित करेगी।

नियम 7(5) क. केन्द्रीय सरकार आर्द्रभूमियों से संबंधित सूचना के लिए एक समर्पित वेबपोर्टल का सृजन करेगी।

ख. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अपनी अधिकारिता में आर्द्रभूमियों के विषय में, सभी संबंधित सूचना अपलोड करेगी।

## पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2018

क्र. 16-1079-2017-वि-5-बाईस.—श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् के दिनांक 1 जनवरी 2018 से दिनांक 19 जनवरी 2018 तक की अवकाश अवधि में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् का प्रभार श्री अमित राठौर, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं अपर आयुक्त, विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश को अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शोभा निकुम, अवर सचिव.

## नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2018

क्र. एफ-3-76-2017-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 4969-09-उपां-टी सी-ओरछा-2017, दिनांक 16 अक्टूबर 2017 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा आक्षेपित किये गये अनुसार प्रवर्तित ओरछा विकास योजना 2011 में उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है :-

### अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बबेड़ी जंगल	खसरा क्रमांक 37/7/1/3	14.114	कृषि एवं मार्ग	औद्योगिक एवं मार्ग
कुल रकबा			14.114 हेक्टेयर		

उपरोक्त उपांतरण ओरछा विकास योजना 2011 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. के. साधव, उपसचिव.

**विभाग प्रमुखों के आदेश**  
**कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश**

झाबुआ, दिनांक 29 दिसम्बर 2017

क्र. 9258-व.लि.1-2017.—सामान्य पुस्तक के परिपत्र 02 के अनुक्रमांक 04 के नियम 08 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल की अधिसूचना एम 3-2-1999-एक-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आशीष सक्सेना, कलेक्टर, जिला-झाबुआ वर्ष 2018 के लिये सम्पूर्ण जिला झाबुआ की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नांकित तिथियों को निम्नानुसार तीन स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

क्र. (1)	जिला (2)	पर्व अथवा त्यौहार (3)	दिनांक (4)	दिन (5)	संपूर्ण विवरण (6)
1	झाबुआ संपूर्ण जिला.	वर्ल्ड इन्डीजीनियस डे (world Indigenous day)	9 अगस्त 2018	गुरुवार	संपूर्ण जिला
2		नवरात्र प्रारंभ (घट स्थापना)	10 अक्टूबर 2018	बुधवार	—''—
3		दिपावली का दूसरा दिन (पड़वा)	8 नवम्बर 2018	गुरुवार	—''—

**टीप :**

(1) यह स्थानीय अवकाश कोषालय/उप कोषालय तथा बैंकों के लिये प्रभावशील नहीं रहेगा.

(2) जिन शैक्षणिक संस्थाओं की इन दिनाकों में परीक्षाएं नियत है इन पर भी यह अवकाश प्रभावशील नहीं रहेगा. परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यथावत रहेगी.

आशीष सक्सेना, कलेक्टर.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश**

शहडोल, दिनांक 1 जनवरी 2018

क्रमांक 5-व.लि.-2-2017-01.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ-32-1999-एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 के पालन में सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, नरेश पाल, कलेक्टर, शहडोल, मध्यप्रदेश वर्ष 2018 के लिए निम्नानुसार दर्शायी गई तारीखों को पूरे दिन के लिए 03 स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

क्रमांक (1)	जिला (2)	अवकाश का दिनांक (3)	दिन (4)	पर्व (5)
1	शहडोल	3 मार्च 2018	शनिवार	भाई दूज (होली का दूसरा दिन)
2	शहडोल	17 अक्टूबर 2018	बुधवार	दुर्गा महाष्टमी
3	शहडोल	8 नवम्बर 2018	गुरुवार	दीपावली का दूसरा दिन

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालय/उपकोषालय तथा बैंकों में लागू नहीं होंगे.

नरेश पाल, कलेक्टर.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश

आगर-मालवा, दिनांक 4 जनवरी 2018

क्र. 07-सामान्य-एक-2018-01-क्र. एफ 59-01-04.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक 3-3-1999-एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग दो के अनुक्रमांक 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, अजय गुप्ता, कलेक्टर, जिला आगर-मालवा वर्ष 2018 के लिये निम्नानुसार दिनांक को स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

क्रमांक (1)	त्यौहार का नाम (2)	दिनांक (3)	वार (4)	क्षेत्र (5)
1	रंगपंचमी	6-3-2018	मंगलवार	सम्पूर्ण जिला
2	बाबा बैजनाथ की शाही सवारी	20-8-2018	सोमवार	सम्पूर्ण जिला
3	दीपावली का दूसरा दिन	8-11-2018	गुरुवार	सम्पूर्ण जिला

अजय गुप्ता, कलेक्टर.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

शाजापुर, दिनांक 8 जनवरी 2018

क्र. सामान्य-एक-2018-06-क्र. एफ 59-01-04.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक 3-3-1999-एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग दो के अनुक्रम 4 के नियम 8 अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, श्रीकान्त बनोट, कलेक्टर, जिला शाजापुर वर्ष 2018 के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

अ. क्र. (1)	नाम त्यौहार (2)	दिनांक (3)	वार (4)	क्षेत्र (5)
1	रंगपंचमी	6-3-2018	मंगलवार	सम्पूर्ण जिला
2	दशहरा महाष्टमी	17-10-2018	बुधवार	सम्पूर्ण जिला
3	दीपावली का दूसरा दिन	8-11-2018	गुरुवार	सम्पूर्ण जिला

श्रीकान्त बनोट, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

क्र. 1428-भू-अर्जन-री-1-17-18

झाबुआ, दिनांक 8 दिसम्बर 2017

—: सार्वजनिक अधिसूचना :-

मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है।

अतएव राज्य सरकार को ग्राम गोपालपुरा, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतित होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावे।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ (म.प्र.) को लिखित में भेज सकेगा।

—: अनुसूची :-

क्रं.	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हें.में)
1	झाबुआ	पेटलावद	गोपालपुरा/04	2	0.032
2				201	0.010
3				566	0.010
4				197	0.015
5				565	0.003
6				199	0.008
7				203	0.009
8				200	0.007
9				204	0.011
10				202	0.015



क्र.	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (है.में)			
11	झाबुआ	पेटलावद	गोपालपुरा/04	563/3	0.007			
12				563/2	0.015			
13				563/1	0.023			
14				572	0.031			
15				602	0.015			
16				603/1	0.033			
17				593/1	0.036			
18				583/1	0.034			
19				617	0.031			
20				616/1	0.002			
21				616/2	0.047			
22				622	0.037			
23				623	0.017			
24				626	0.005			
25				627	0.065			
26				637	0.051			
27				628	0.022			
28				819	0.079			
29				629/1	0.028			
30				630/1	0.009			
31				631/5	0.017			
32				631/4	0.008			
33				631/3	0.007			
34				631/2	0.008			
35				631/1	0.036			
36				632/1	0.005			
37				813	0.004			
38				814	0.032			
39				820	0.031			
40				578/2	0.014			
							कुल योग :-	0.869

क्र. 1430-भू-अर्जन-री-1-17-18

**—: सार्वजनिक अधिसूचना :—****मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012**

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला—झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है।

अतएव राज्य सरकार को ग्राम उन्ई, तहसील पेटलावद, जिला—झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतित होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावें।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी, तहसील पेटलावद, जिला—झाबुआ (म.प्र.) को लिखित में भेज सकेगा।

**—: अनुसूची :—**

क्रं.	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (है.में)
1	झाबुआ	पेटलावद	उन्ई/03	465	0.004
2				466	0.019
				<b>कुल योग :-</b>	<b>0.023</b>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आशीष सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

प्र. क्र. 289-अ-82-2017-18

धार, दिनांक 10 जनवरी 2018

**// प्रारम्भिक अधिसूचना //**

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम फुलगाँवडी तहसील सरदारपुर जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

### अनुसूची (1)

ग्राम - फुलगाँवड़ी		तहसील - सरदारपुर		
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
	दाहोद-इन्दौर- नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना	2.661	0.000	2.661
	योग:-	2.661	0.000	2.661

### अनुसूची (2)

दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम फुलगाँवड़ी की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम - फुलगाँवड़ी

तहसील - सरदारपुर

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अंबाराम पिता भागीरथ जाति-मारु निवासी ग्राम फुलगाँवड़ी	118/1	1.220	0.000	1.220	0.270	0.000	0.270
2	बानकीबाई पति स्व. नंदा चिरोंजीलाल, तौलाराम, लीलाबाई, दाखाबाई, तुलसाबाई पिता नंदा जाति पटल्या हि. 13 पेसे लालचन्द्र, कैलाश पिता नारायण, मांगुडीबाई, पुजलीबाई पति स्व. नारायण हि. 12 पेसे निवासी फुलगाँवड़ी	1177	0.460	0.000	0.460	0.118	0.000	0.118
3	श्रीराम पिता नरसिंह जाति पटल्या निवासी ग्राम फुलगाँवड़ी	1178	1.536	0.000	1.536	0.260	0.000	0.260
4	शिवलाल पिता राधु जाति भील निवासी ग्राम फुलगाँवड़ी	1173/2	0.538	0.000	0.538	0.055	0.000	0.055
5	कैलाश पिता नारायण, मांगुडीबाई बेवा नारायण जाति पटल्या निवासी ग्राम फुलगाँवड़ी	1173/1	0.538	0.000	0.538	0.285	0.000	0.285
6	हरिराम पिता नरसिंह जाति पटल्या निवासी ग्राम फुलगाँवड़ी	1172/1	2.041	0.000	2.041	0.085	0.000	0.085
7	रूपकिशोर पिता विष्णुशंकर जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम सरदारपुर	247/1	1.165	0.000	1.165	0.165	0.000	0.165
8	मांगीलाल पिता प्रेमचंद जाति भील निवासी ग्राम फुलगाँवड़ी	246/2	1.045	0.000	1.045	0.180	0.000	0.180
9	मांगीलाल वरदीबाई मांगुडीबाई सोनीबाई निर्मलाबाई पिता नारायण जाति भील निवासी ग्राम फुलगाँवड़ी	246/1	0.877	0.000	0.877	0.147	0.000	0.147

10	गुमानसिंह पिता अमरसिंह जाति भील निवासी ग्राम फुलगांवड़ी	84	1.076	0.000	1.076	0.047	0.000	0.047
11	कमलाबाई पिता धुलाजी जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली	83	2.435	0.000	2.435	1.045	0.000	1.045
12	शारदाबाई पति भेरू, जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली	82	0.293	0.000	0.293	0.004	0.000	0.004
	<b>योग :-</b>		<b>13.224</b>	<b>0.000</b>	<b>13.224</b>	<b>2.661</b>	<b>0.000</b>	<b>2.661</b>

प्र. क्र. 291-अ-82-2017-18

## // प्रारम्भिक अधिसूचना //

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम मोरगाँव तहसील सरदारपुर जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

**अनुसूची (1)**

ग्राम - मोरगाँव

तहसील - सरदारपुर

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
	दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना	5.079	0.477	5.556
	<b>योग:-</b>	<b>5.079</b>	<b>0.477</b>	<b>5.556</b>

**अनुसूची (2)**

दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम मोरगाँव की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम - मोरगाँव

तहसील - सरदारपुर

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	संतोषबाई पिता नाथुसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मोरगाँव	758	0.251	0.000	0.251	0.042	0.000	0.042
2	विष्णुसिंह पिता अंतरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मोरगाँव	760/2/ख 772/1 773/2	2.049	0.000	2.049	0.215	0.000	0.215
3	भगवानसिंह विक्रमसिंह विष्णुसिंह पिता अंतरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मोरगाँव	760/2/क	0.595	0.000	0.595	0.262	0.000	0.262
		760/1/ख/2	0.199	0.000	0.199	0.052	0.000	0.052

4	अंतरसिंह पिता तोलाराम जाति राजपूत निवासी ग्राम मोरगाँव	760/1/ख/1	0.658	0.000	0.658	0.136	0.000	0.136
5	गुलाबबाई बेवा भागीरथ दिलीप अमरसिंह पिता भागीरथ जाति भील निवासी ग्राम मोरगाँव	753/6	0.492	0.000	0.492	0.188	0.000	0.188
		753/2	0.401	0.000	0.401	0.113	0.000	0.113
6	नानुराम पिता मादु जाति भील निवासी ग्राम मोरगाँव	753/5	0.276	0.000	0.276	0.148	0.000	0.148
		752/4	0.115	0.000	0.115	0.032	0.000	0.032
		753/1	0.314	0.000	0.314	0.084	0.000	0.084
7	मोहन, रामा, राधाकिशन पिता सारवन्धा जाति भील निवासी ग्राम मोरगाँव	753/3	0.448	0.000	0.448	0.111	0.000	0.111
8	भागवताबाई बेवा मोहन जितेन्द्र, राजेश, प्रदिप प्रकाश पिता मोहन जाति भील निवासी ग्राम मोरगाँव	749	1.003	0.000	1.003	0.146	0.000	0.146
9	अंकित कुमार पिता सुरेशचन्द्रजी निधि पति अंकितकुमार नीतेश पिता प्रफुल्लकुमार शशी पति सुगनचंद्रजी जाति जैन निवासी अलिराजपुर	695	1.442	0.000	1.442	0.389	0.000	0.389
		689/2/ख/2/1/2	0.209	0.000	0.209	0.056	0.000	0.056
10	राधेश्याम पिता उमरावसिंह सुशीलाबाई बेवा उमरावसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मोरगाँव	689/2/ख/2/1/1/1	0.439	0.000	0.439	0.136	0.000	0.136
11	जितेन्द्रसिंह पिता बहादूरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मोरगाँव	689/2/ख/2/1/1/2	0.836	0.000	0.836	0.168	0.000	0.168
12	मनुबाई पति बहादूरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मोरगाँव	689/ख/2/2	0.314	0.000	0.314	0.057	0.000	0.057
		689/2/क	0.627	0.000	0.627	0.137	0.000	0.137
		689/1	1.212	0.000	1.212	0.225	0.000	0.225
13	पार्वतीबाई पिता जादुसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम	689/2/ख/1	1.213	0.000	1.213	0.253	0.000	0.253
14	भेरू, मुकेश पिता श्यामा जाति भील निवासी ग्राम मोरगाँव	614	0.752	0.000	0.752	0.199	0.000	0.199
15	मोहन, सुखराम, विश्राम, शंकर, प्रकाश पिता रामा कलाबाई, लीलाबाई मीराबाई पिता रामा सज्जनबाई बेवा रामा भेरू मुकेश पिता श्यामा जाति भील निवासी ग्राम मोरगाँव	620	1.171	0.000	1.171	0.426	0.000	0.426
16	बोंदर, पारस, ताराचंद कनीराम पिता सोमाजी, गुलाबबाई बेवा सोमाजी जाति भील निवासी ग्राम मोरगाँव	622/1	0.000	0.136	0.136	0.000	0.005	0.005
		623/5	0.000	0.700	0.700	0.000	0.126	0.126
17	सरदार, रामेश्वर पिता मादु, हीराबाई बेवा मादु जगदीश पिता सारवन्धा रामीबाई बेवा सारवन्धा जाति भील निवासी ग्राम मोरगाँव	623/4	0.000	0.627	0.627	0.000	0.016	0.016

18	गुलसिंह पिता बढिया जाति भील निवासी सुनेडी	619	00	0.261	0.261	0.000	0.243	0.243
19	फकीरचंद पिता हिरालाल जाति कुलमी निवासी ग्राम मोरगाँव	105/2/ 1	00	0.021	0.021	0.000	0.010	0.010
20	नारायण पिता हिरालाल जाति कुलमी निवासी ग्राम मोरगाँव	105/2/ 2	00	0.021	0.021	0.000	0.021	0.021
21	शांतिलाल पिता हिरालाल जाति कुलमी निवासी ग्राम	105/2/ 3	0.230	0.042	0.272	0.021	0.021	0.042
		95	0.543	0.000	0.543	0.021	0.000	0.021
		100	0.010	0.000	0.010	0.010	0.000	0.010
		99	0.878	0.000	0.878	0.261	0.000	0.261
22	गोपाल राधेश्याम पिता पन्नालाल सम्पतबाई बेवा पन्नालाल जाति कुलमी निवासी ग्राम मोरगाँव	105/1	0.383	0.040	0.418	0.215	0.035	0.250
		104	1.391	0.000	1.391	0.376	0.000	0.376
		93 94	1.369	0.000	1.369	0.336	0.000	0.336
		101 97	0.115	0.000	0.115	0.065	0.000	0.065
23	बगदीराम पिता गणपत जाति कुलमी निवासी ग्राम मोरगाँव	90	0.721	0.000	0.721	0.199	0.000	0.199
योग :-			20.656	1.848	22.499	5.079	0.477	5.556

प्र. क्र. 293-अ-82-2017-18

### // प्रारम्भिक अधिसूचना //

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013))

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम उण्डेली तहसील सरदारपुर जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

### अनुसूची (1)

क्र.	विवरण	तहसील - सरदारपुर		
		अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
	दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना	6.142	0.418	6.560
	योग:-	6.142	0.418	6.560

## अनुसूची (2)

दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम उण्डेली की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम - उण्डेली

तहसील - सरदारपुर

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	खुशवंत, रंजना, सीमा, बालिग दुर्गा नाबालिग पिता अम्बाराम पा. क. माता मंजुबाई व मंजुबाई पति स्व. अम्बाराम जाति मारु नि. फुलगाँवड़ी	1/1	0.825	0.000	0.825	0.015	0.000	0.015
		1/4	1.320	0.000	1.320	0.190	0.000	0.190
		7/1	0.292	0.000	0.292	0.272	0.000	0.272
2	चुन्नीलाल पिता भागीरथ जाति मारु निवासी फुलगाँवड़ी	1/2	0.810	0.000	0.810	0.165	0.000	0.165
3	व्यंकट पिता भागीरथ जाति मारु नि. फुलगाँवड़ी	1/3	0.802	0.000	0.802	0.140	0.000	0.140
4	कंवरलाल पिता भागीरथ जाति मारु निवासी फुलगाँवड़ी	1/5	1.098	0.000	1.098	0.329	0.000	0.329
		7/2	1.630	0.000	1.630	0.160	0.000	0.160
5	पंकज पिता कनीराम जाति भील निवासी भेरुचौकी	2/2	0.000	0.356	0.356	0.000	0.020	0.020
6	अशोक बा. मनोहर, लक्ष्मी ना.बा. पिता गोविन्द पा.क. माता सोरमबाई बेवा गोविन्द जाति भील नि. उण्डेली	230/1	0.590	0.000	0.590	0.259	0.000	0.259
7	रामलाल पिता गणपत जाति भील नि. उण्डेली	230/2	0.000	0.591	0.591	0.000	0.040	0.040
8	सुनिल, सुभाष पिता बलराम जाति जाट नि. उण्डेली	236	1.672	0.000	1.672	0.200	0.000	0.200
9	रामेश्वर पिता रणछोड़ जाति कुल्मी नि. उण्डेली	237	0.000	1.745	1.745	0.000	0.350	0.350
10	कावेरीबाई बेवा लालु जाति भील नि. उण्डेली	238	0.000	0.021	0.021	0.000	0.008	0.008
11	धापुबाई पति भवंरसिंह जाति भील नि. उण्डेली	239	2.060	0.000	2.060	0.209	0.000	0.209
12	पवित्राबाई बेवा शिवनारायण, मदन पिता शिवनारायण जाति कुल्मी नि. मारगाँव	243	4.756	0.000	4.756	0.339	0.000	0.339
13	कैलाश पिता राधुजी जाति जाट नि. उण्डेली	247	2.372	0.000	2.372	0.370	0.000	0.370
14	भागवंताबाई पति गुलाब जाति जाट नि. उण्डेली	264	2.822	0.000	2.822	0.448	0.000	0.448
15	निर्मलाबाई पति मदनलाल जाति कुल्मी नि. मोरगाँव	266	1.087	0.000	1.087	0.300	0.000	0.300
16	कृष्णाबाई पति रमेशचन्द्र व मनोरमाबाई पति जगदीशचन्द्र जाति सुतार नि. उण्डेली	275	1.181	0.000	1.181	0.565	0.000	0.565
17	राजाराम पिता पुना, जमनाबाई बेवा पुना जाति भील नि. मोरगाँव	397	0.857	0.000	0.857	0.354	0.000	0.354

18	रेखाबाई पति दुलेसिंह जाति भील नि. बोदला	418	1.359	0.000	1.359	0.170	0.000	0.170
19	अंतरसिंह दत्तक पुत्र गंगाराम जाति भील नि. उण्डेली	423/2	1.484	0.000	1.484	0.075	0.000	0.075
		424	0.679	0.000	0.679	0.289	0.000	0.289
20	जगदीश पिता शोभाराम जाति जाट नि. उण्डेली	405/1/1	0.443	0.000	0.443	0.130	0.000	0.130
21	लक्ष्मीनारायण, उमेश, आनन्दाबाई, अजुत्याबाई, विद्याबाई पिता शंकरलाल व सुहागबाई बेवा शंकरलाल जाति कुलमी नि. मोरगाँव	405/1/2	0.443	0.000	0.443	0.239	0.000	0.239
22	रामचन्द्र पिता गेंदालाल जाति कुलमी नि. मोरगाँव	405/1/3	0.886	0.000	0.886	0.080	0.000	0.080
23	सुरेशचन्द्र पिता रामचन्द्र जाति कुलमी नि. मोरगाँव	405/2/2	0.439	0.000	0.439	0.170	0.000	0.170
24	संदीप, रामप्रसाद पिता मगन जाति भील नि. उण्डेली	417/2	0.546	0.000	0.546	0.110	0.000	0.110
25	गंगाराम पिता बल्लु जाति भील नि. उण्डेली	417/3	0.546	0.000	0.546	0.110	0.000	0.110
26	नंदराम पिता कालु जाति भील नि. उण्डेली	404/2	1.265	0.000	1.265	0.354	0.000	0.354
27	लालचंद पिता हीरालाल जाति भील नि. मोरगाँव	427/3	0.418	0.000	0.418	0.100	0.000	0.100
योग :-			32.682	2.713	35.395	6.142	0.418	6.560

प्र. क्र. 295-अ-82-2017-18

### // प्रारम्भिक अधिसूचना //

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013))

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम बोदला तहसील सरदारपुर जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (1) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-



## अनुसूची (1)

ग्राम - बोदला

तहसील - सरदारपुर

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
	दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना	4.610	0.905	5.515
	योग:-	4.610	0.905	5.515

## अनुसूची (2)

दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम बोदला की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम - बोदला

तहसील - सरदारपुर

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गोविन्द, बालाराम पिता तेजाराम एवं भुलीबाई पति तेजाराम जाति जाट नि. बोदला	166	1.150	0.000	1.150	0.349	0.000	0.349
2	काली, धुली, ग्यारसी, सोनकी, धापुबाई पिता सारवण्या जाति भील नि. बोदला	170/1	0.476	0.000	0.476	0.230	0.000	0.230
		171/1	0.943	0.000	0.943	0.230	0.000	0.230
		172/1	0.167	0.000	0.167	0.065	0.000	0.065
3	सुगन पिता चंपालाल, कांतीबाई पति चम्पालाल जाति भील नि. बोदला	173/2	0.400	0.000	0.400	0.065	0.000	0.065
4	अमरसिंह पिता मडु, अन्नाबाई पति अमरसिंह जाति भील नि. बोदला	158/2	1.077	0.000	1.077	0.140	0.000	0.140
5	शम्भू पिता अम्बाराम जाति जाट नि. बोदला	160	1.432	0.000	1.432	0.344	0.000	0.344
		163	0.418	0.000	0.418	0.103	0.000	0.103
		291	1.567	0.000	1.567	0.438	0.000	0.438
		315/1	0.063	0.000	0.063	0.040	0.000	0.040
		320	0.052	0.000	0.052	0.052	0.000	0.052
	321/2	1.389	0.000	1.389	0.270	0.000	0.270	
6	कैलाश पिता शोभाराम जाति जाट नि. उण्डेली	159	0.021	0.000	0.021	0.008	0.000	0.008
7	कैलाश पिता अम्बाराम जाति जाट नि. बोदला	136	2.644	0.000	2.644	0.438	0.000	0.438
8	कालु, रामेश्वर, मुन्नालाल, मांगुबाई, कमलाबाई पिता बालाजी जाति बलाई नि. उटावदा, धार	276/1	0.324	0.000	0.324	0.175	0.000	0.175
9	राधाकिशन, आनंदीबाई, रामीबाई, रुकमणीबाई, नर्मदाबाई, लक्ष्मीबाई, चन्दाबाई, ताराबाई पिता धन्ना जाति भील नि. बोदला	164	0.000	1.619	1.619	0.000	0.090	0.090
10	लक्कीसिंह पिता बलवीरसिंह जाति सिर्वी नि. धार	276/2	0.000	0.324	0.324	0.000	0.150	0.150

11	मुन्ना, संजीव, गिरधारी, हरिश्चन्द्र पिता मांगीलाल, नंदीबाई बेवा मांगीलाल जाति भील नि. बोदला	290	0.376	0.000	0.376	0.230	0.000	0.230
		383/3	0.091	0.000	0.091	0.005	0.000	0.005
12	रामचन्द्र पिता अम्बाराम जाति जाट नि. बोदला	274	0.846	0.000	0.846	0.274	0.000	0.274
		307	0.282	0.000	0.282	0.110	0.000	0.110
13	घाणुबाई पति धुलजी जाति कुम्हार नि. बोदला	306/1/2	0.000	1.045	1.045	0.000	0.488	0.488
14	सुरेश पिता शंभुलाल जाति जाट नि. बोदला	306/1/1	0.235	0.000	0.235	0.010	0.000	0.010
15	नारायण पिता चम्पिया, घन्ना पिता बाला, शोभाराम, सरदार, छोगालाल पिता कालु, कनीराम, सम्पत, सोनी, पिता धुल्या, तेजराम पिता दुला जाति बलाई नि. बोदला	315/2	0.000	0.104	0.104	0.000	0.005	0.005
		319	0.000	0.052	0.052	0.000	0.047	0.047
16	केलकीबाई बेवा मीश्रीलाल व संगीता पिता मीश्रीलाल जाति भील नि. बोदला	318/1	0.209	0.000	0.209	0.050	0.000	0.050
17	नारायण पिता चम्पिया व घन्ना पिता बाला जाति बलाई नि. बोदला	318/2	0.000	0.272	0.272	0.000	0.125	0.125
18	रतन पिता काल्या जाति भील नि. बोदला	375	0.199	0.000	0.199	0.120	0.000	0.120
		380/2/1	0.261	0.000	0.261	0.020	0.000	0.020
19	(बदीबाई विधवा काल्या फोट) वारिस :- रतन, रमेश, सजनबाई, सरमबाई, दाखाबाई, पिता काल्या, भेरुसिंह, देवीलाल, शंकर, सुभाष, दिनेश, अमृतलाल, राधाबाई पिता मांगीलाल, धिसीबाई पति स्व. मांगीलाल जाति भील नि. बोदला	374	0.628	0.000	0.628	0.234	0.000	0.234
20	मानसिंह, भीमा, पेमा, घनश्याम, सांवरिया पिता चैनसिंह, सुगणाबाई पति स्व. चैनसिंह, अरुणाबाई विधवा मोहन, विनोद पिता मोहन, केशरबाई बेवा पन्नालाल, संगीता, सुनिता, अनीता पिता मीश्रीलाल, केलकीबाई, मीश्रीलाल, गंगाराम, शोभाराम पिता पन्नालाल, भेरु, सागर, चंदर, भारत, कैलाश, कमलेश, बालु, सुखराम पिता लाला, मडीबाई पति स्व. लाला, कंवरलाल, जितेन्द्र, संतोष, रेखा, सविता, रोशन पिता प्रहलाद, शानाबाई पति स्व. प्रहलाद, राधाकिशन, आनंदीबाई, रामीबाई, रुकमणीबाई, लक्ष्मीबाई, नर्मदाबाई, चन्दाबाई, ताराबाई पिता घन्नालाल जाति भील नि. बोदला	380/1	0.596	0.000	0.596	0.300	0.000	0.300
		381/1	0.262	0.000	0.262	0.170	0.000	0.170
		382	1.077	0.000	1.077	0.140	0.000	0.140
योग :-			17.185	3.416	20.601	4.610	0.905	5.515

प्र. क्र. 297-अ-82-2017-18

## // प्रारम्भिक अधिसूचना //

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम केशरपुरा-निपानिया तहसील सरदारपुर जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

## अनुसूची (1)

ग्राम - केशरपुरा-निपानिया		तहसील - सरदारपुर		
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
	दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना	7.958	0.261	8.219
	योग:-	7.958	0.261	8.219

## अनुसूची (2)

दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम केशरपुरा-निपानिया की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम - केशरपुरा-निपानिया

तहसील - सरदारपुर

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राजेन्द्रसिंह पिता दुर्गाशंकर जाति राजपूत नि. अमझेरा	206/2/2	1.045	0.000	1.045	0.125	0.000	0.125
2	दिलीप पिता लालसिंह जाति राजपूत नि. अमझेरा	206/2/1	1.045	0.000	1.045	0.770	0.000	0.770
3	निर्मला पति लोकेश जाति काछी नि. अमझेरा	213/1	1.170	0.000	1.170	0.376	0.000	0.376
4	रिंकुबाई पाति मुकेश जाति काछी नि. अमझेरा	213/2	1.171	0.000	1.171	0.125	0.000	0.125

5	घाणुबाई पति कैलाश जाति कीर नि. हातोद	215	1.223	0.000	1.223	0.273	0.000	0.273
6	भेरू परमानंद पिता शंकर, शांताबाई विधवा शंकर, मनोज पिता राधेश्याम, सीमाबाई विधवा राधेश्याम जाति कुम्हार नि. हातोद	217	1.307	0.000	1.307	0.345	0.000	0.345
7	रामा दत्तक पुत्र भेरा जाति भील नि. मिण्डा	219	1.839	0.000	1.839	0.324	0.000	0.324
		96	0.544	0.000	0.544	0.125	0.000	0.125
8	मोतीराम, नंदकिशोर पिता गुलाब जाति कीर नि. मजरा मदद हातोद	222/3/2	0.052	0.000	0.052	0.52	0.000	0.052
9	रघुनाथ पिता मोहनलाल जाति कुलमी नि. हातोद	222/3/1	0.021	0.000	0.021	0.021	0.000	0.021
10	धर्मराज पिता गोपाल, लीलाबाई पति गोपाल जाति कुलमी नि. हातोद	223/4	1.186	0.000	1.186	0.102	0.000	0.102
11	जितेन्द्र पिता गोपाल, लीलाबाई पति गोपाल जाति कुलमी नि. हातोद	223/3	1.186	0.000	1.186	0.230	0.000	0.230
12	जितेन्द्र पिता गोपाल जाति कुलमी नि. हातोद	223/2/3	0.146	0.000	0.146	0.088	0.000	0.088
13	योगेश पिता शोभाराम जाति कुलमी नि. हातोद	223/2/1	0.418	0.000	0.418	0.109	0.000	0.109
		223/1	2.373	0.000	2.373	0.610	0.000	0.610
15	सायरबाई पिता दुलीचन्द व राकेश, धर्मेन्द्र, जितेन्द्र, मुकेश पिता दुलीचन्द जाति कीर नि. हातोद	148/3	0.749	0.000	0.749	0.220	0.000	0.220
16	पंचम पिता गुलाब जाति कीर नि. हातोद मजरा मदद	148/2/1	0.000	0.541	.541	0.000	0.261	.0261
17	बहादुरसिंह पिता नंदाजी जाति लोधा नि. मांगोद	149/1	1.489	0.000	1.489	0.251	0.000	0.251
18	ललिताबाई पति सत्यनारायण जाति लोधा नि. मांगोद	149/2	1.489	0.000	1.489	0.217	0.000	0.217
19	लीलाबाई पति हुकुमसिंह जाति राजपुत नि. हातोद	141/1/ख/1	0.327	0.000	0.327	0.085	0.000	0.085
20	नंदराम पिता तोलाराम जाति राजपुत निवासी हातोद	141/1/क/1	0.486	0.000	0.486	0.085	0.000	0.085
21	भेरूसिंह, मोहनसिंह, हुकुमसिंह, अमृतबाई, देवकन्याबाई पिता हिरालाल रेशमबाई विधवा हिरालाल जाति राजपुत निवासी हातोद	141/1/क/2	0.486	0.000	0.486	0.085	0.000	0.085
22	उंकार पिता सुखराम जाति भील निवासी मिण्डा	129/2	0.962	0.000	0.962	0.340	0.000	0.340
23	निर्मयसिंह पिता सुखराम जाति भील निवासी मिण्डा	129/1	0.961	0.000	0.961	0.240	0.000	0.240
24	संजुबाई पति मुकेश कुमार जाति राजपुत निवासी हातोद	97	0.229	0.000	0.229	0.178	0.000	0.178
25	परमानंद पिता अम्बालाल जाति गारी निवासी हातोद	98/2	1.077	0.000	1.077	0.408	0.000	0.408

26	हरेसिंह पिता छितरसिंह जाति राजपुत निवासी हातोद	99/2	1.777	0.000	1.777	0.136	0.000	0.136
27	नारायण पिता मांगीलाल जाति गारी निवासी हातोद	98/1	1.076	0.000	1.076	0.251	0.000	0.251
28	भंवरसिंह पिता छितरसिंह जाति राजपुत निवासी हातोद	99/1	1.766	0.000	1.766	0.245	0.000	0.245
29	द्रोपतीबाई पति नारायण जाति गारी निवासी हातोद	25/1	0.366	0.000	0.366	0.010	0.000	0.010
		25/2	0.867	0.000	0.867	0.450	0.000	0.450
30	मोहन पिता वजेराम जाति राजपुत निवासी हातोद	26	0.857	0.000	0.857	0.387	0.000	0.387
31	तोलाराम पिता अमरसिंह जाति राजपुत निवासी हातोद	17/2	0.183	0.000	0.183	0.098	0.000	0.098
32	लाखनसिंह पिता तोलाराम जाति राजपुत निवासी हातोद	17/3	0.836	0.000	0.836	0.199	0.000	0.199
33	विष्णु पिता वजेराम धापुबाई बेवा वजेराम जाति राजपुत निवासी हातोद	17/1	1.019	0.000	1.019	0.293	0.000	0.293
34	बहादुरसिंह पिता कालुसिंह जाति राजपुत निवासी हातोद	225/1	1.045	0.000	1.045	0.042	0.000	0.042
35	शोभाराम पिता शंकर जाति कुलभी निवासी हातोद	148/2/2	0.209	0.000	0.209	0.063	0.000	0.063
	योग		32.982	0.541	33.523	7.958	0.261	8.219

प्र. क्र. 299-अ-82-2017-18

### // प्रारम्भिक अधिसूचना //

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013))

चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम हातोद तहसील सरदारपुर जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

## अनुसूची (1)

ग्राम - हातोद

तहसील - सरदारपुर

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
	दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना	8.177	0.212	8.389
	योग:-	8.177	0.212	8.389

## अनुसूची (2)

दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम हातोद की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम - हातोद

तहसील - सरदारपुर

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सारवणीबाई पति स्व. नानुराम, मोहन, मांगीलाल, चंदर, किशन, पुना पिता नानुराम, कैलाश, रमेश, जगदीश पिता कालू, मानीबाई पति स्व. कालू, मालीबाई पिता गंगाराम, भैरु पिता बुद्धा जाति भील निवासी ग्राम हातोद	1266	1.410	0.000	1.410	0.125	0.000	0.125
2	तोलाराम पिता अमरसिंह, विष्णु पिता वजेसिंह, धापुबाई पति स्व. वजेसिंह, राजबाई पति स्व. विक्रमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हातोद	1273/1	4.181	0.000	4.181	0.345	0.000	0.345
		1271	0.251	0.000	0.251	0.102	0.000	0.102
3	तोलाराम पिता अमरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हातोद	1273/2	1.045	0.000	1.045	0.355	0.000	0.355
5	कल्याणसिंह पिता मांगीलाल व झुम्माबाई विधवा मांगीलाल जाति राजपूत निवासी ग्राम हातोद	1270	0.554	0.000	0.554	0.136	0.000	0.136
6	पपीताबाई, नाबा. पिता विक्रमसिंह सर. दादी रतनबाई जाति भील निवासी ग्राम हातोद	1268/3	1.567	0.000	1.567	0.115	0.000	0.115
7	प्रहलाद पिता कालू व राजुबाई पति स्व. कालू जाति राजपूत निवासी ग्राम हातोद	1269	1.035	0.000	1.035	0.210	0.000	0.210
8	सौरभबाई पति मांगीलाल जाति कीर नि-ग्राम हातोद	1276/3	0.600	0.000	0.600	0.063	0.000	0.063

9	कैलाश, भगवान अनिल, पिता अम्बाराम, शंकुन्तला रुखमणी, कल्पना पिता अम्बाराम कंकुबाई स्व. दिनेश, आकाश, संजय पिता दिनेश जाति भील निवासी ग्राम हातोद	1276/4	0.501	0.000	0.501	0.063	0.000	0.063
10	नन्दीबाई पति स्व. छीतर, अमृताबाई पति स्व. रमेश, प्रदीप, पिकी पिता रमेश पुष्पाबाई पति स्व. लक्ष्मण, संतोष, आशुतोष पिता लक्ष्मण जाति बलाई निवासी ग्राम हातोद	1277/3	1.502	0.000	1.502	0.172	0.000	0.172
11	जगन्नाथ पिता बाला जाति बलाई निवासी ग्राम हातोद	1277/2	1.503	0.000	1.503	0.176	0.000	0.176
12	प्रेमबाई पति नारायण जाति राजपूत निवासी ग्राम हातोद	1277/1 /क/2	0.627	0.000	0.627	0.251	0.000	0.251
13	लाडुबाई पति भागीरथ जाति बलाई निवासी ग्राम हातोद	1247	1.003	0.000	1.003	0.341	0.000	0.341
14	विक्रमसिंह पिता छोगालाल जाति राजपूत निवासी ग्राम हातोद	1284	0.648	0.000	0.648	0.102	0.000	0.102
15	सुरेश पिता शंकर जाति राजपूत निवासी ग्राम हातोद	1245/6	0.656	0.000	0.656	0.438	0.000	0.438
16	गिरवरसिंह पिता शंकरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हातोद	1245/5	0.655	0.000	0.655	0.376	0.000	0.376
17	नरवरसिंह पिता शंकरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हातोद	1245/4	0.655	0.000	0.655	0.307	0.000	0.307
18	सुरेश पिता शंकर जाति राजपूत निवासी ग्राम हातोद	1245/1	0.836	0.000	0.836	0.645	0.000	0.645
19	शिवनारायण पिता पूरचंद जाति कुलमी निवासी ग्राम हातोद	1231	0.941	0.000	0.941	0.293	0.000	0.293
20	मोहन पिता पन्नालाल, सम्पतबाई बेवा पन्नालाल जाति कीर निवासी ग्राम हातोद	1213/1/ क 1213/1/ ग	1.283	0.000	1.283	0.101	0.000	0.101
21	भलीबाई पति मोहन जाति कीर निवास निवासी ग्राम हातोद	1227/2 /ख	0.272	0.000	0.272	0.107	0.000	0.107
22	बंशीलाल पिता ऊंकारलाल जाति कीर निवासी ग्राम हातोद	1226/1 /1/1	0.523	0.000	0.523	0.095	0.000	0.095

23	गिरधारी, शंकर, धन्ना, सुवाग, लस्सी, गीता, सीता कंचन, कैलाशबाई, पिता नंदा जानीबाई विधवा नंदा, गोविन्द, गणपत, शान्तिलाल, संतोषबाई, अमृतबाई, सोहनबाई पिता नानुराम, हीराबाई, धापुबाई पिता गणेश, मेहरबान पिता बुदा, शंकर पिता पप्पु, रणछोड, शान्ताबाई पिता विश्राम, नंदू, रमेश, अनोखीलाल, पिता पन्नालाल, धापुबाई विधवा पन्नालाल, प्रेमसिंह पिता गणपत, रामकुवर विधवा गणपत, राकेश पिता गोवर्धन जाति कीर निवासी ग्राम हातोद	1217	0.512	0.000	0.512	0.094	0.000	0.094
24	कमलेश पिता शिवनारायण जाति ब्राह्मण निवासी इन्दौर	1227/2 /क	0.470	0.000	0.470	0.270	0.000	0.270
25	भरतलाल पिता सालगराम जाति कुलमी निवासी बान्देडी	1227/1 /3	0.068	0.000	0.068	0.035	0.000	0.035
26	शांतीलाल सोहनबाई पिता नानुराम जाति किर निवासी ग्राम हातोद	1215/2 /2	0.445	0.000	0.445	0.146	0.000	0.146
27	गणपत संतोषबाई पिता नानुराम जाति किर निवासी ग्राम हातोद	1215/2 /4	0.444	0.000	0.444	0.402	0.000	0.402
28	गोविन्द अमृतबाई पिता नानुराम जाति किर निवासी ग्राम हातोद	1215/2 /3	0.209	0.000	0.209	0.136	0.000	0.136
29	सुखलाल, हरिओम, गोपाल, पिता बाबुलाल, सुरजबाई पति स्व. बाबुलाल जाति कीर निवासी ग्राम हातोद	1201/2	0.541	0.000	0.541	0.046	0.000	0.046
		1194/3	0.026	0.000	0.026	0.020	0.000	0.020
30	तोलाराम पिता नन्दा जाति कीर निवास स्थान नि-ग्राम हातोद	1194/2	0.567	0.000	0.567	0.102	0.000	0.102
31	दयाराम पिता नन्दा जाति कीर निवासी ग्राम हातोद	1194/1	0.567	0.000	0.567	0.146	0.000	0.146
32	समन्दरसिंह पिता जगन्नाथ जाति राजपुत निवासी ग्राम हातोद	1195/1	0.293	0.000	0.293	0.136	0.000	0.136



33	नन्दराम पिता जगन्नाथ जाति राजपूत निवासी ग्राम हातोद	1195/2	0.292	0.000	0.292	0.146	0.000	0.146
34	प्रतीक, विशाल पिता गणेश जाति जायसवाल पता निवासी धार	1197/1 /2/1	-	0.257	0.257	0.000	0.102	0.102
35	किरणबाला पति अशोककुमार पुराणी जाति जैन नि-राजगढ	1075/2 /1	0.409	0.000	0.409	0.305	0.000	0.305
36	सिद्धार्थ, सुलभ पिता दिलीपकुमार पुराणीक जाति जैन निवासी राजगढ	1075/1 /1	0.362	0.000	0.362	0.004	0.000	0.004
37	सुनील कुमार पिता कन्हैयालाल कोठारी जाति (भाहेश्वरी) निवासी राजगढ	1068	1.233	0.000	1.233	0.345	0.000	0.345
38	अहिल्याबाई पति स्व. मुन्नालाल, नीलेश बा. चेतना ना.बा. पि. मुन्नालाल सर. माता स्वयं अहिल्याबाई जाति कुलमी निवासी ग्राम हातोद	1065/5 /2	0.796	0.000	0.796	0.272	0.000	0.272
39	सुशीलादेवी पति श्रीरामकुमार जाति तेली निवासी टाण्डा	1065/5 /1	0.796	0.000	0.796	0.031	0.000	0.031
40	शकुन्तलाबाई पति गुलाबचन्द्र जाति कुलमी निवासी ग्राम हातोद	1066/2	0.648	0.000	0.648	0.240	0.000	0.240
41	छोगालाल पिता अमरसिंह जाति भील पता नि. हातोद	1060/2	0.836	0.000	0.836	0.056	0.000	0.056
42	प्रेमबाई पति नारायण जाति राजपूत निवासी ग्राम हातोद	1277/1 /क/1 /2	0.274	0.000	0.274	0.111	0.000	0.111
43	लाडुबाई पति स्व. भागीरथ, केशरसिंह, गिरधारीलाल, दरियावबाई, शैतानबाई, भागुबाई, रामकन्याबाई पिता भागीरथ, पंकज पिता देवीसिंह, गंगाबाई पति स्व. देवीसिंह, शुभम, रोहित, टीना पिता उमेश, रामकृवरबाई पति स्व. उमेश जाति बलाई निवासी ग्राम हातोद	1177/1 /क/1 /1 /क	0.700	0.000	0.700	0.055	0.000	0.055
44	ठाकुरलाल पिता भेरूलाल जाति कुलमी नि-ग्राम हातोद	1240	1.787	0.000	1.787	0.015	0.000	0.015
45	नाथूसिंह पिता कन्हैयालाल जाति राजपूत निवासी ग्राम हातोद	1230/1	0.000	0.697	0.697	0.000	0.015	0.015
46	अन्तरसिंह पिता नन्दराम जाति राजपूत निवासी ग्राम हातोद	1193/1	0.836	0.000	0.836	0.051	0.000	0.051
47	उषा पति गणेश, विशाल पिता गणेश जाति जायसवाल पता निवासी धार	1197/1 /2/2	0.000	0.110	0.110	0.000	0.095	0.095
48	भगवानसिंह पिता मूलचन्द्र जाति बलाई निवासी ग्राम हातोद	1067	0.763	0.000	0.763	0.095	0.000	0.095
	योग		36.122	1.064	37.186	8.177	0.212	8.389

प्र. क्र. 301-अ-82-2017-18

## // प्रारम्भिक अधिसूचना //

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013)

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम चिचोड़िया तहसील सरदारपुर जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

## अनुसूची (1)

ग्राम - चिचोड़िया		तहसील - सरदारपुर		
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
	दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना	5.203	1.861	7.064
	योग:-	5.203	1.861	7.064

## अनुसूची (2)

दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम चिचोड़िया की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम - चिचोड़िया

तहसील - सरदारपुर

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सुन्दरबाई पति स्व. मानसिंह, बंदीलाल रतन पिता मानसिंह जाति भील निवासी ग्राम चिचोड़िया	719/2	0.000	1.000	1.000	0.000	0.057	0.057
2	शंकर पिता मंदरूप जाति मारु निवासी ग्राम चिचोड़िया	717	1.097	0.000	1.097	0.373	0.000	0.373
		448/1	1.000	0.000	1.000	0.011	0.000	0.011
3	नारायणसिंह पिता किशनसिंह जाति राजपुत	711/2	0.826	0.000	0.826	0.105	0.000	0.105

4	रुगनाथ पिता लुणा जाति मारु निवासी ग्राम चिचोड़िया	707/1/1	0.895	0.000	0.895	0.105	0.000	0.105
		708/3	0.167	0.000	0.167	0.060	0.000	0.060
5	हिरालाल पिता लुणा जाति मारु निवासी ग्राम चिचोड़िया	707/1/2	0.778	0.000	0.778	0.105	0.000	0.105
6	श्रीकृष्ण मुरलीधर पिता गोविंदप्रसाद, सुशीलाबाई विधवा श्याम, नारायण, राजेशकुमार, राकेशकुमार पिता श्यामनारायण जाति जायसवाल निवासी सरदारपुर	710	1.045	0.000	1.045	0.230	0.000	0.230
7	बाबुलाल पिता पुना जाति मारु निवासी ग्राम चिचोड़िया	708/2	0.470	0.000	0.470	0.020	0.000	0.020
		709/1	0.418	0.000	0.418	0.298	0.000	0.298
		709/2	0.366	0.000	0.366	0.159	0.000	0.159
		698/2	0.459	0.000	0.459	0.096	0.000	0.096
8	फुलचंद पिता नानुराम जाति मारु निवासी ग्राम चिचोड़िया	444	1.223	0.000	1.223	0.524	0.000	0.524
		696	0.000	0.627	0.627	0.000	0.271	0.271
		697	0.219	0.000	0.219	0.167	0.000	0.167
		698/1	0.586	0.000	0.586	0.015	0.000	0.015
9	भगवान पिता दल्ला जाति मारु निवासी ग्राम चिचोड़िया	705	1.672	0.000	1.672	0.021	0.000	0.021
10	पुंजा पिता रामा जाति भील निवासी ग्राम चिचोड़िया	694	0.000	0.523	0.523	0.000	0.276	0.276
11	प्रेमचंद पिता मंदरूप जाति मारु निवासी ग्राम चिचोड़िया	448/2	0.944	0.000	0.944	0.019	0.000	0.019
12	मिश्रीबाई पिता रामा जाति मारु निवासी ग्राम चिचोड़िया	692	0.000	1.327	1.327	0.000	0.431	0.431
		451	0.000	0.115	0.115	0.000	0.005	0.005
13	घनश्याम पिता अम्बाराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम चिचोड़िया	690	1.275	0.000	1.275	0.087	0.000	0.087
14	मिश्रीबाई पिता रामा जाति मारु							
15	दिलीप नाबा० पिता अम्बाराम सरप्रस्त पिता स्वयं जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम चिचोड़िया	466	1.484	0.000	1.484	0.732	0.000	0.732
16	अम्बाराम पिता रामचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम चिचोड़िया	464	0.941	0.000	0.941	0.052	0.000	0.052
		685	2.079	0.000	2.079	0.017	0.000	0.017
17	रामचन्द्र पिता शंकर जाति मारु निवासी ग्राम चिचोड़िया	679/1	0.502	0.000	0.502	0.231	0.000	0.231
		679/2	0.491	0.000	0.491	0.013	0.000	0.013
		675	1.463	0.000	1.463	0.392	0.000	0.392
18	जगदीश पिता मिश्रीलाल जाति मारु निवासी ग्राम चिचोड़िया	677/4	0.418	0.000	0.418	0.196	0.000	0.196
		677/3	0.418	0.000	0.418	0.083	0.000	0.083

19	शम्भु, बल्लु, मगन, शैतान पिता पुनिया जाति भील निवासी ग्राम चिचोड़िया	674/4	0.532	0.000	0.532	0.022	0.000	0.022
		674/1	0.314	0.000	0.314	0.076	0.000	0.076
20	नानालाल, सुखराम पिता कोदरिया, सोनकिबाई बैवा कोदरिया जाति भील निवासी ग्राम चिचोड़िया	674/2	0.314	0.000	0.314	0.228	0.000	0.228
21	लालु पिता रणजी भील निवासी ग्राम चिचोड़िया	656/2	0.244	0.000	0.244	0.209	0.000	0.209
22	सुकबाई पिता नंदा जाति भील निवासी ग्राम चिचोड़िया	593	0.00	0.272	0.272	0.000	0.195	0.195
		602	0.000	0.052	0.052	0.000	0.036	0.036
		601	0.000	0.094	0.094	0.000	0.007	0.007
		590	0.000	0.930	0.930	0.000	0.261	0.261
23	घनश्याम पिता अम्बाराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम चिचोड़िया	583	0.251	0.000	0.251	0.145	0.000	0.145
24	दाखुडीबाई पिता पुन्या जाति भील निवासी ग्राम चिचोड़िया	582/1	0.000	0.277	0.277	0.000	0.135	0.135
25	राजाराम पिता कालु भील निवासी ग्राम चिचोड़िया	582/2	0.288	0.000	0.288	0.054	0.000	0.054
26	सीताराम पिता कालु जाति भील निवासी ग्राम चिचोड़िया	577	0.209	0.000	0.209	0.157	0.000	0.157
27	रेशमबाई, काशीराम पिता घिसा जाति चमार निवासी ग्राम चिचोड़िया	556	1.463	0.000	1.463	0.149	0.000	0.149
28	मयाराम पिता शम्भु जाति भील निवासी ग्राम चिचोड़िया	9/1	0.000	0.100	0.100	0.000	0.074	0.074
29	शम्भु पिता किसना जाति भील निवासी ग्राम चिचोड़िया	9/2	0.000	0.214	0.214	0.000	0.003	0.003
30	नन्दराम, थावर, मानसिंह पितमल कल्लु नाबा० पिता रामा सरपरस्त माता जमनाबाई विधवा रामा भील निवासी ग्राम चिचोड़िया	8/2	0.000	0.200	0.200	0.000	0.052	0.052
31	मयाराम पिता शम्भु जाति भील निवासी ग्राम चिचोड़िया	8/3	0.079	0.000	0.079	0.052	0.000	0.052
32	सुखराम पिता शम्भु जाति भील निवासी ग्राम चिचोड़िया	8/1	0.000	0.078	0.078	0.000	0.058	0.058
	<b>योग :-</b>		<b>24.930</b>	<b>5.809</b>	<b>30.739</b>	<b>5.203</b>	<b>1.861</b>	<b>7.064</b>

प्र. क्र. 303-अ-82-2017-18

## // प्रारम्भिक अधिसूचना //

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013)

चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दाहोद- इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम इडरिया तहसील सरदारपुर जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि दाहोद- इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

## अनुसूची (1)

ग्राम - इडरिया		तहसील - सरदारपुर		
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
	दाहोद- इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना	5.813	2.131	7.944
	योग:-	5.813	2.131	7.944

## अनुसूची (2)

दाहोद- इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम इडरिया की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम - इडरिया

तहसील - सरदारपुर

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मुन्ना पिता विज्या भील निवासी ग्राम डाडुर	111/3	0.926	0.000	0.926	0.371	0.000	0.371
2	श्री महादेव मंदिर खामकस्बा अमझोरा मिल्कीयत सरकार बएहतमामकम ओकाफमुस आरीफ देवस्थान व्यवस्थापक कलेक्टर धार	113	0.000	2.257	2.257	0.000	0.380	0.380

3	सुंदरबाई पति मकना जाति पटल्या भील निवासी ग्राम इडरिया	114	0.711	0.000	0.711	0.271	0.271	0.271
4	श्यामलाल पिता मकना जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया	115/1	0.313	0.000	0.313	0.050	0.000	0.050
5	नाथू पिता रणछोड जाति भील निवासी ग्राम इडरिया	116	0.000	0.888	0.888	0.000	0.140	0.140
6	भगवान पिता बालचंद्र जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया	117/1	0.000	0.210	0.210	0.000	0.110	0.110
7	मकना पिता बालचंद्र जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया	117/2	0.000	0.418	0.418	0.000	0.180	0.180
8	मांगीलाल पिता फत्या बगदीबाई पति स्व. फत्या जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया	117/3	0.000	0.261	0.261	0.000	0.050	0.050
9	प्रकाश, संतोष पिता भेरिया, सीताबाई, सज्जनबाई पति स्व. भेरिया जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया	117/4	0.000	0.261	0.261	0.000	0.003	0.003
10	सीताबाई पति नारायण सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा	118	1.442	0.000	1.442	0.250	0.000	0.250
11	नारायण दत्तक पुत्र गोदा जाति सिर्वी निवासी ग्राम इडरिया	119	2.351	0.000	2.351	0.015	0.000	0.015
12	मुअख्तरबी पति स्व. यामीनखॉ जाति मुसलमान, सलीम खॉ, साबीर खॉ पिता यामीनखॉ, जाति मुसलमान निवासी ग्राम निवासी अमझेरा	125	0.000	2.278	2.278	0.000	0.560	0.560
13	लालू पिता केशा जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम राजपुरा	135/1	1.300	0.000	1.300	0.450	0.000	0.450
14	रामा पिता केशा जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा	135/2	1.299	0.000	1.299	0.080	0.000	0.080
15	पन्नालाल पिता केशा जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा	135/3	1.300	0.000	1.300	0.530	0.000	0.530
16	लालचंद्र पिता भूरा जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा	137/1	0.500	0.000	0.500	0.200	0.000	0.200
17	सोरमबाई पति स्व. जसमल विनोद पिता जसमल अनिल अंजना ना.बा. पिता जसमल जाति पटल्या पालनकर्ता माता स्वयं निवासी ग्राम इडरिया	161/1	0.051	0.000	0.051	0.002	0.000	0.002
		161/3	0.435	0.000	0.435	0.350	0.000	0.350
18	दयाराम पिता जबरिया जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया	161/2	0.051	0.000	0.051	0.015	0.000	0.015
		161/4	0.435	0.000	0.435	0.110	0.000	0.110
19	शारदाबाई पिता रामा जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम राजपुरा	198	0.345	0.000	0.345	0.130	0.000	0.130
		199	0.188	0.000	0.188	0.150	0.000	0.150
		290	0.669	0.000	0.669	0.100	0.000	0.100
		201/2	0.510	0.000	0.510	0.010	0.000	0.010
		203/1	0.333	0.000	0.333	0.200	0.000	0.200

20	जगदीश पिता रामा जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया	203/2, 204	0.419	0.000	0.419	0.000	0.003	0.003
21	रतन पिता रामा जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया	206/1	0.428	0.000	0.428	0.150	0.000	0.150
22	राधेश्याम पिता रामा जाति सिर्वी निवासी राजपुरा	207	0.251	0.000	0.251	0.000	0.025	0.025
		208	0.752	0.000	0.752	0.000	0.430	0.430
23	मांगीलाल पिता मन्ना जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा	211	1.181	0.000	1.181	0.400	0.000	0.400
24	मनुबाई पति स्व. भावसिंह शारदाबाई सगणाबाई पिता भावसिंह जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया	353/2	0.000	0.606	0.606	0.000	0.020	0.020
25	गंगाराम पिता दोला जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया	353/3	1.307	0.000	1.307	0.400	0.000	0.400
		355/2	0.334	0.000	0.334	0.120	0.000	0.120
26	तुलसीराम, दरियावसिंह, अनसिंह, रामू पेमा पिता मन्ना बगदीबाई, सजनबाई पति स्व. मन्ना जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया	206/2	0.439	0.000	0.439	0.339	0.000	0.339
		353/4/1	0.263	0.000	0.263	0.180	0.000	0.180
		353/4/2	0.342	0.000	0.342	0.170	0.000	0.170
		353/4/3	0.597	0.000	0.597	0.077	0.000	0.077
		355/1/1/1	0.157	0.000	0.157	0.125	0.000	0.125
		355/1/1/2	0.157	0.000	0.157	0.115	0.000	0.115
27	(रामा पिता दोला फोट) वारिस:- अमरसिंह, देवीसिंह, जगदीश, राकेश, रतन, नन्दूडीबाई, अवन्तिबाई पिता रामा जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया	355/1/2	0.313	0.000	0.313	0.000	0.180	0.180
		356/2	0.084	0.000	0.084	0.000	0.050	0.050
28	मनसुख पिता अमरसिंह जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया	355/3	0.209	0.000	0.209	0.020	0.000	0.020
29	जगदीश पिता रामा जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया	357/4	0.261	0.000	0.261	0.160	0.000	0.160
30	कूका पिता दोला जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया	357/5	0.470	0.000	0.470	0.220	0.000	0.220
31	नंदराम पिता राजाराम दितुबाई पति राजाराम जाति भील निवासी ग्राम इडरिया	365/1	0.950	0.000	0.950	0.053	0.000	0.053
योग :-			22.073	7.179	29.252	5.813	2.131	7.944

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

क्र.-भू-अर्जन-2018-09

आगर-मालवा, दिनांक 11 जनवरी 2018

भूमि अर्जन, पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन 2013) अंतर्गत चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिल राजगढ़ की ग्राम गोकलपुर के लिये डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि का जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रायोजनार्थ आवश्यकता है :-

**अनुसूची (1)**

ग्राम - गोकलपुर		तहसील - नलखेड़ा	
क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	85.380	79.055
	<b>योग</b>	<b>85.380</b>	<b>79.055</b>

**अनुसूची (2)**

(1) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से

क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	कालु सिंह पिता दल्ला जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	47	0.210	0.157
		255	0.010	0.010
		256	0.010	0.010
		266	0.290	0.290
		258	0.020	0.020
		289	0.870	0.314
		272	0.090	0.090
		277	0.100	0.100
	<b>योग</b>		<b>1.600</b>	<b>0.991</b>



2	मांगु मानु प्रहलाद पिता देवीसिंह लीलाबाई पुत्री देवीसिंह फुन्दीबाई वि. देवीसिंह स भा जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	48	0.210	0.065
		283	0.210	0.210
		285	0.200	0.190
		264	0.290	0.220
		259	0.020	0.020
		276	0.100	0.100
		<b>योग</b>	<b>1.030</b>	<b>0.805</b>
3	देवीसिंह प्रभु पिता उमरावसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	49	0.300	0.300
		104	0.370	0.370
		<b>योग</b>	<b>0.670</b>	<b>0.670</b>
4	देवीसिंह पिता उमरावसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	50	0.030	0.030
		116/1	0.210	0.210
		331/1	0.460	0.460
		241/1	0.050	0.050
		<b>योग</b>	<b>0.750</b>	<b>0.750</b>
5	निर्भयसिंह बहादुर सिंह राधेश्याम पिता नारायण भा 43 पैसा , प्रभुलाल पिता गुलाब भाग 53 पे. जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	52	0.060	0.060
		112	1.250	1.250
		158	0.050	0.050
		159	0.130	0.130
		225	0.410	0.410
		231	0.110	0.110
		333	0.220	0.220
		335/345	0.570	0.570
		<b>योग</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
6	भैया पिता उमराव जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	53	0.040	0.040
		116/2	0.210	0.210
		331/2	0.480	0.400
		241/2	0.060	0.060
		<b>योग</b>	<b>0.790</b>	<b>0.710</b>
7	मांगीलाल बंशीलाल पिता अमर सिंह अजुबाई कमलाबाई भूलीबाई छम्माबाई लीलाबाई सीताबाई पु. अमरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	54	0.090	0.090
		117	0.290	0.290
		216	0.130	0.130
		338	0.850	0.850
		<b>योग</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>

8	मानसिंह काशीराम भागीरथ सीताराम मदनलाल पुत्रगण देवीसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	55	0.120	0.120
		69	1.800	1.550
	<b>योग</b>		<b>1.920</b>	<b>1.670</b>
9	निरभयसिंह पिता नारायणसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	56	0.070	0.070
		107/1	0.520	0.520
		334	0.880	0.880
		205	0.130	0.110
	<b>योग</b>		<b>1.600</b>	<b>1.580</b>
10	रामसिंह पिता बापुसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	57	0.070	0.070
		129	1.000	1.000
		141	0.400	0.400
		171	0.240	0.240
		206	0.130	0.110
	<b>योग</b>		<b>1.840</b>	<b>1.820</b>
11	अनार पिता नाथु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	58	0.080	0.080
		118/1	0.240	0.240
		160	0.160	0.160
		172/1	0.060	0.060
		237	0.010	0.010
		247/1	0.020	0.020
		339/1	0.330	0.330
	<b>योग</b>		<b>0.900</b>	<b>0.900</b>
12	रामदयाल पिता बल्देव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	58/2	0.070	0.070
		247/2	0.020	0.020
		108/2	0.370	0.370
		118/2	0.260	0.260
		172/2	0.060	0.060
		211/1/1	0.030	0.030
	<b>योग</b>		<b>0.810</b>	<b>0.810</b>
13	निर्भयसिंह बहादुरसिंह राधेश्याम पुत्रगण नारायण जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	59	0.210	0.210
		213	0.040	0.040
		337	0.750	0.750
		60	0.020	0.020
		62	0.070	0.070

x		66	0.380	0.130
		64	0.060	0.060
		110	0.970	0.970
		153	0.060	0.060
		144	0.250	0.250
		<b>योग</b>		<b>2.810</b>
14	बंशीलाल पिता शिवलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	61/1	0.050	0.050
		119/1	0.120	0.120
	<b>योग</b>		<b>0.170</b>	<b>0.170</b>
15	करण सिंह पिता हरलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	61/2	0.040	0.040
		108/3	0.370	0.370
		118/3	0.250	0.250
		142	0.390	0.390
		211/1/2	0.030	0.030
		172/3	0.060	0.060
		247/3	0.010	0.010
		119/2	0.100	0.100
<b>योग</b>		<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	
16	देवबाई पुत्र भंवरलाल 1/2 शिवनारायण, कमल, पिता प्रभुलाल राजकुवरबाई पुत्री प्रभु 1/2 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	63	0.060	0.060
		65	0.020	0.020
		67	0.380	0.010
		107/2	0.520	0.520
		154	0.060	0.060
		308	1.110	0.400
		143	0.120	0.120
		212	0.030	0.030
		<b>योग</b>		<b>2.300</b>
17	दातू पिता बुला जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	71	0.470	0.470
		238	0.020	0.020
		248	0.040	0.040
		245	0.020	0.020
		267	1.450	1.450
		268	0.180	0.180
		270	0.230	0.230
		288	0.270	0.270
		319	2.090	1.500
<b>योग</b>		<b>4.770</b>	<b>4.180</b>	
18	नाथु पिता रूग्गा जाति गुर्जर पता निवासी	236	0.030	0.030

	ग्राम भूमि स्वामी	102/1	0.200	0.200
		145/1	0.060	0.060
		73/1	0.160	0.160
		147/1	0.290	0.290
		150/1	0.150	0.150
		239/1	0.020	0.020
		302/1	0.310	0.160
	<b>योग</b>		<b>1.220</b>	<b>1.070</b>
19	अनारबाई पु. धुला जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	74	0.100	0.100
		281	0.360	0.360
	<b>योग</b>		<b>0.460</b>	<b>0.460</b>
20	प्रभु पिता सिद्ध जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	76	0.300	0.300
		77/3	0.060	0.060
		157/3	0.220	0.220
		336/2	0.680	0.630
	<b>योग</b>		<b>1.260</b>	<b>1.210</b>
21	रामकुवर बाई पति जयनारायण जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	77/1	0.200	0.170
		157/2	0.110	0.110
		233/1	0.060	0.060
	<b>योग</b>		<b>0.370</b>	<b>0.340</b>
22	सोरमबाई वि. देव जी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	77/2	0.200	0.140
		233/2	0.060	0.060
		318/2	0.500	0.170
	<b>योग</b>		<b>0.760</b>	<b>0.370</b>
23	झब्बुबाई पु. अनारबाई जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	105	0.370	0.370
		274	0.190	0.190
	<b>योग</b>		<b>0.560</b>	<b>0.560</b>
24	बंशीलाल पिता शिवलाल सोरमबाई पिता शिवलाल भाग 115 स. भाग अनार हरलाल पिता नाथू भाग 215 स. भाग रामदयाल पिता बल्देव भाग 115 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	108/1	0.380	0.380
		118/4	0.260	0.260
		247/4	0.020	0.020
	<b>योग</b>		<b>0.660</b>	<b>0.660</b>
25	बाबूलाल पिता अमरसिंह 1/2 रमेश पिता	109	0.700	0.700

x	प्रहलाद सुगनबाई पु. प्रहलाद 1/2 स. भाग जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	123	0.850	0.850
		170	0.360	0.181
		216/343	0.220	0.220
	योग			2.130
26	भगवानसिंह पिता सिद्धु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	114	0.660	0.660
		योग		0.660
27	निर्भयसिंह बहादुर सिंह राधेश्याम पि. नारायण सिंह राजकुंवरबाई वि. नारायण गीताबाई कमलाबाई पु. नारायण भूमि स्वामी 1/2 स भाग प्रभमि. गुलाब 1/2 जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	113	0.200	0.200
		योग		0.200
28	सिद्धनाथ पिता रूग्गा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	124	0.410	0.410
		योग		0.410
29	रंभाबाई कमलाबाई पु. जगमाल प्रभुलाल पु. कालुसिंह झब्बुबाई शांतीबाई पु. कालुसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	128	0.880	0.880
		134	1.120	1.120
		164	1.270	1.270
		227	0.130	0.130
		229	0.130	0.130
		251	0.050	0.050
		322	0.610	0.610
		योग		4.190
30	शिवलाल होकम सिंह मानसिंह पिता भागीरथ चन्द्रबाई, वि. भागीरथ भुरीबाई गिलासबाई पुत्रिया भागीरथ हि. 1/2 समभाग देवीसिंह पिता लालजी हि. 1/2 जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	135	0.340	0.340
		137	1.450	1.450
		151	1.650	1.650
		217	0.230	0.230
		189	0.460	0.130
		320	1.080	1.080
		योग		5.210
32	शंकरालाल पिता अनार जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	161	0.140	0.140
		योग		0.140
33	मदन सिंह पिता देवीसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	167	0.470	0.240

		173	0.120	0.120
	<b>योग</b>		<b>0.590</b>	<b>0.360</b>
34	सिद्धनाथ रूगनाथ हिंदुसिंह रामचरण मोडसिंह पु. देवीसिंह 1/2 दरियावबाई पु. बालु 1/2 जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	214	0.530	0.530
		228	0.060	0.060
		244/2	0.010	0.010
		284	0.050	0.040
		148	1.670	1.670
		304	0.300	0.300
		328	1.720	1.720
	<b>योग</b>		<b>4.340</b>	<b>4.330</b>
35	मांगीलाल भगवान सिंह पिता गुलाब जी संभाग जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	215	0.070	0.070
		224/1	0.520	0.520
		224/4	0.130	0.130
		242/3	0.020	0.020
	<b>योग</b>		<b>0.740</b>	<b>0.740</b>
36	रमेशचंद्र पिता बंशीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	224/2/1	0.170	0.170
		242/1/2	0.020	0.020
	<b>योग</b>		<b>0.190</b>	<b>0.190</b>
37	जयनारायण पिता सिद्धनाथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	233/3	0.130	0.130
		336/1	0.340	0.290
	<b>योग</b>		<b>0.470</b>	<b>0.420</b>
38	रामसिंह पि. बापुसिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	240	0.020	0.020
	<b>योग</b>		<b>0.020</b>	<b>0.020</b>
39	बिहारी पिता भंवर जी जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	242/2	0.020	0.020
	<b>योग</b>		<b>0.020</b>	<b>0.020</b>
40	सिद्धनाथ रूगनाथ रामचरण मोडसिंह हिन्दुसिंह पिता देवीसिंह सभाग1/2 दरियावबाई पुत्रीया बापु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	244/1	0.030	0.030
	<b>योग</b>		<b>0.030</b>	<b>0.030</b>
41	कालुसिंह रामसिंह पु. देवीसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	261	0.060	0.060
		257	0.040	0.040
		271	0.400	0.400
		290	1.090	0.836
	<b>योग</b>		<b>1.590</b>	<b>1.336</b>

42	कालु पिता भग्गा जाति गूजर पता निवासी ग्राम कचनारिया भूमि स्वामी	269	0.090	0.090
	योग		0.090	0.090
43	शिवलाल पिता प्यारा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	305	0.470	0.470
	योग		0.470	0.470
44	गिलासबाई विधवा हरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	339/3 min	0.130	0.130
	योग		0.130	0.130
45	1/3 देवीसिंह भैया पि. उमरावसिंह शांतीबाई पि. भेरू 1/3 जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	341	0.530	0.530
	योग		0.530	0.530
46	मांगु पिता रूग्गा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	102/2	0.200	0.200
		145/2	0.060	0.060
		147/2	0.290	0.290
		73/2	0.160	0.160
		150/2	0.140	0.140
		239/4	0.020	0.020
	योग		0.870	0.870
47	अयोध्याबाई पु. रूग्गा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	149	0.320	0.320
		102/3	0.200	0.200
		145/4	0.070	0.070
		150/4	0.150	0.150
		73/4	0.150	0.150
		147/4	0.290	0.290
		239/3	0.010	0.010
		302/3	0.300	0.160
योग		1.490	1.350	
48	प्रभलाल पिता गुलाब हि. 1/4 भगवानसिंह मानसिंह आभाराम रमेशचन्द्र पिता सिद्धू बालीबाई सुरताबाई मोहनबाई पिता सिद्धू गिलासबाइ वि. सिद्धू हि. 1/4 देवीसिंह भैया पिता उमरावसिंह हि. 1/4 मांगीलाल बंशीलाल पिता अमरसिंह अन्जुबाई कमलाबाई	106	0.340	0.340
		332	0.260	0.260
		340	1.550	1.550
		278	0.080	0.080
		140	0.470	0.470

	धापूबाई लिलाबाई सीताबाई पिता अमरसिंह हि. 7/32 रामदयाल करणसिंह माता भुलीबाई पु. नारायण जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी			
	योग		2.700	2.700
49	चन्दर पिता रूग्गा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	102/4	0.200	0.200
		147/3	0.290	0.290
		150/3	0.150	0.150
		73/3	0.150	0.150
		145/3	0.060	0.060
		239/2	0.020	0.020
		302/2	0.310	0.160
	योग		1.180	1.030
50	भगवानसिंह गोकलसिंह पिता भैया जी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	102/5	0.900	0.900
	योग		0.900	0.900
51	मानसिंह पिता सिद्धू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	111/1	0.490	0.490
	योग		0.490	0.490
52	रमेशचंद्र पिता सिद्धू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	111/2	0.490	0.490
	योग		0.490	0.490
53	आत्माराम पिता सिद्धू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	111/3	0.490	0.490
	योग		0.490	0.490
54	प्रेमनारायण पिता समंदरसिंह सीताबाई वि. समंदर स.भाग जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	122	4.620	4.590
		45	0.220	0.035
		81	0.890	0.600
		156	0.850	0.850
	योग		6.580	6.075
55	चन्दर पिता भेरू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	226/1	0.050	0.050
		133/1	0.230	0.230
		136/1	0.190	0.190
		152/1	0.050	0.050
		162/1	0.260	0.260



		323/1	0.090	0.090
		326/1	0.680	0.680
		230/1	0.030	0.030
	योग		<b>1.580</b>	<b>1.580</b>
56	छीतु पिता भेरू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	133/2	0.230	0.230
		136/2	0.180	0.180
		152/2	0.060	0.060
		162/2	0.260	0.260
		226/2	0.050	0.050
		326/2	0.270	0.270
		230/2	0.030	0.030
		323/2	0.090	0.090
	योग		<b>1.170</b>	<b>1.170</b>
57	निर्भयसिंह पिता सिद्धू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	133/3	0.230	0.230
		136/3	0.190	0.190
		152/3	0.050	0.050
		162/3	0.260	0.260
		226/3	0.050	0.050
		323/3	0.080	0.080
		326/3	0.480	0.480
		230/3	0.040	0.040
	योग		<b>1.380</b>	<b>1.380</b>
58	राधेश्याम रमेश पिता बालु चन्द्रबाई वि. बालु ललताबाई पुत्रि बालु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	133/4	0.230	0.230
		136/4	0.180	0.180
		152/4	0.060	0.060
		323/4	0.080	0.080
		326/4	0.480	0.480
		162/4	0.260	0.260
		226/4	0.050	0.050
		230/4	0.040	0.040
	योग		<b>1.380</b>	<b>1.380</b>
59	रमेश पिता प्रभुलाल गिलासबाइ वि. प्रभुलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	130/1	0.450	0.450
		165/1	0.190	0.080
		218/3	0.080	0.080
		163/3	0.580	0.580
		219/1	0.270	0.270
		243/2	0.010	0.010
	योग		<b>1.580</b>	<b>1.470</b>
60	बंशीलाल पिता देवीसिंह जाति गुर्जर पता	130/2	0.220	0.220

	निवासी ग्राम भूमि स्वामी	163/1	0.280	0.280
		218/1	0.160	0.160
	<b>योग</b>		<b>0.660</b>	<b>0.660</b>
61	रामदयाल पिता गंगाराम सुन्दरबाई पुत्री गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	130/4	0.540	0.540
		166/2	0.120	0.100
		219/3	0.010	0.010
	<b>योग</b>		<b>0.670</b>	<b>0.650</b>
62	भगवानसिंह चन्दरसिंह गोकलसिंह पिता भैया सौलबाई लीलाबाई पुत्रिया भैया सम्पतबाई वि. भैया जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	130/5	0.340	0.340
		166/3	0.760	0.700
		243/4	0.010	0.010
	<b>योग</b>		<b>1.110</b>	<b>1.050</b>
63	मानसिंह पिता देवसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	163/2	0.290	0.290
		218/2	0.150	0.150
		130/3	0.220	0.220
	<b>योग</b>		<b>0.660</b>	<b>0.660</b>
64	देवीसिंह पिता रामा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	165/2	0.010	0.010
		166/1	0.170	0.150
		243/1	0.010	0.010
	<b>योग</b>		<b>0.190</b>	<b>0.170</b>
65	मागु पिता गंगाराम कमलाबाई पुत्री गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	165/3	0.640	0.440
		219/2	0.010	0.010
		243/3	0.010	0.010
	<b>योग</b>		<b>0.660</b>	<b>0.460</b>
66	मांगीलाल पिता घीसालाल जाति चमार पता निवासी ग्राम लाडोन भूमि स्वामी	321/1	0.650	0.650
	<b>योग</b>		<b>0.650</b>	<b>0.650</b>
67	सिद्धीबाई शांतीबाई प्रमबाई पिता भैया जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	273	0.090	0.090
		275	0.100	0.100
		46	0.210	0.157
		265	0.290	0.040
		234	0.280	0.280
		103	0.600	0.600
		260	0.020	0.020
	<b>योग</b>		<b>1.590</b>	<b>1.287</b>

68	बहादुर सिंह पिता नारायण सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	232	0.080	0.080
		335	0.560	0.560
	योग		0.640	0.640
69	श्यामू बाई पति बंशीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	157/1	0.110	0.110
	योग		0.110	0.110
70	बाबूलाल दत्तक पुत्र अमर सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	224/2/3	0.090	0.090
		242/2/2	0.030	0.030
	योग		0.120	0.120
71	शंकर पिता सिद्धनाथ जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भू स्वामी	77/4	0.050	0.050
	योग		0.050	0.050
72	कमला बाई पति दातु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	287	0.520	0.500
	योग		0.520	0.500
73	मोहनलाल पिता घीसालाल, धन्नीबाई पुत्री घीसालाल जाति चमार पता निवासी लाडोन भूमि स्वामी	321/2	0.660	0.660
	योग		0.660	0.660
महायोग			85.380	79.055

नोट:- भूमि से संबंधित नक्शे एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसवनेर एवं भू-अर्जन कार्यालय आगर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

क्र.-भू-अर्जन-2018-13

भूमि अर्जन, पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन 2013) अंतर्गत चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिल राजगढ़ की ग्राम महेन्द्री के लिये डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि का जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रायोजनार्थ आवश्यकता है :-

**अनुसूची (1)**

क्र.	ग्राम - महेन्द्री विवरण	तहसील - नलखेड़ा जिला आगर-मालवा	
		अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बाँध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	99.740	74.155
	योग	99.740	74.155

**अनुसूची (2)**

(1) कुण्डलिया बाँध परियोजना में प्रभावित होने से

कुण्डलिया बाँध परियोजना डूब क्षेत्र से प्रभावित भूमि का पत्रक

**अनुसूची (1)**

क्र.	ग्राम - महेन्द्री विवरण	तहसील - नलखेड़ा जिला आगर-मालवा	
		अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बाँध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	99.740	74.155
	योग	99.740	74.155

**अनुसूची (2)**

(1) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से

क्र.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का
1	2	3	4	5
1	रामप्रसाद पिता बल्देव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/2	2.100	0.130
		43/2	1.000	1.000
	<b>योग</b>		<b>3.100</b>	<b>1.130</b>
2	बाजाबाई पति हरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4	2.880	0.060
		<b>योग</b>	<b>2.880</b>	<b>0.060</b>
3	मायाराम पिता बल्देव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	11/1	0.370	0.260
		12/1	0.440	0.270
		43/1	1.000	1.000
	<b>योग</b>	<b>1.810</b>	<b>1.530</b>	
4	रमेश पिता बल्देव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	11/2	0.810	0.610
		53/4	0.730	0.730
		150	0.030	0.020
		44/1	1.000	1.000
	<b>योग</b>	<b>2.570</b>	<b>2.360</b>	
5	सीताराम पिता बल्देव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	11/3	0.820	0.750
		53/1	0.730	0.730
		44/2	1.000	1.000
		104	0.040	0.040
	<b>योग</b>	<b>2.590</b>	<b>2.520</b>	
6	ज्ञानसिंह पिता प्रभुलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	12/2	0.820	0.480
		<b>योग</b>	<b>0.820</b>	<b>0.480</b>
7	फुलसिंह पिता रामप्रसाद जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	12/3	0.820	0.480
		53/5	0.730	0.730
	<b>योग</b>	<b>1.550</b>	<b>1.210</b>	

8	दिलीप पिता भंवर लाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	18/1	0.670	0.490
		38/1	0.120	0.120
	योग		<b>0.790</b>	<b>0.610</b>
9	राजलबाई पति विक्रम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	18/2	0.660	0.150
		38/3	0.120	0.120
	योग		<b>0.780</b>	<b>0.270</b>
10	पारूबाई पति रमेश जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	18/3	0.670	0.280
		38/2	0.120	0.120
	योग		<b>0.790</b>	<b>0.400</b>
11	कालूराम पिता लक्ष्मीनारायण जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	19	1.680	0.970
		योग		<b>1.680</b>
12	कमलसिंह पिता प्रेमनारायण जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	20/1	0.800	0.800
		206/1	0.590	0.590
		112	0.070	0.070
	योग		<b>1.460</b>	<b>1.460</b>
13	धरमसिंह पिता प्रेमनारायण जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	20/2	0.800	0.800
		206/2	0.540	0.540
		202	0.350	0.350
		147	0.080	0.010
	योग		<b>1.770</b>	<b>1.700</b>
14	देवजी पिता भगवानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	21/1	0.830	0.600
		114	0.080	0.080
		205/1	0.630	0.630
	योग		<b>1.540</b>	<b>1.310</b>
15		21/2	0.830	0.700
		200	0.350	0.350
		145	0.090	0.040
		205/2	0.570	0.570
	योग		<b>1.840</b>	<b>1.660</b>
16	रामविलास बाई पति प्रभुलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	23	2.160	0.730
		योग		<b>2.160</b>

17	रामसिंह पिता समंदरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	24	1.090	0.450
	<b>योग</b>		<b>1.090</b>	<b>0.450</b>
18	प्रेमनारायण पिता समंदरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	25	1.050	0.400
	<b>योग</b>		<b>1.050</b>	<b>0.400</b>
19	भगवानसिंह पिता समंदरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	26	1.060	1.060
	<b>योग</b>		<b>1.060</b>	<b>1.060</b>
20	ज्ञानुबाई पति रामदयाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	27/1	0.520	0.520
		52	0.560	0.560
	<b>योग</b>		<b>1.080</b>	<b>1.080</b>
21	राजकुंवर बाई पति राजाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	27/2	0.520	0.520
		199/1	0.170	0.120
	<b>योग</b>		<b>0.690</b>	<b>0.640</b>
22	रहमान खां पिता हसन खां कालीबाई रहीसाबाई पिता हसन जाति पिंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	37	2.170	2.170
	<b>योग</b>		<b>2.170</b>	<b>2.170</b>
23	गोर्वधन पिता फत्ता जाति नाई पता निवासी ग्राम बडागांव भूमि स्वामी	39	2.100	2.100
	<b>योग</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
24	कालू पिता बल्देव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	40/1	1.000	1.000
	<b>योग</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
25	प्रभु पिता बल्देव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	40/2	1.000	1.000
	<b>योग</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
26	शिवलाल पिता भवरलाल जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	45/1	2.100	2.100
	<b>योग</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
27	ओंकारसिंह पिता घीसा जाति गुर्जर	46/313/1	1.000	1.000
	<b>योग</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
28	सोरमबाई पति उंकार सिंह जाति गुर्जर	46/313/2	1.000	1.000
		46/313/1/1	1.000	1.000
	<b>योग</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

29	राजाराम पिता चंदर सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	49	0.310	0.310
		144	0.080	0.040
	<b>योग</b>		<b>0.390</b>	<b>0.350</b>
30	पारूबाई पत्नि भगवानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	50	0.880	0.880
	<b>योग</b>		<b>0.880</b>	<b>0.880</b>
31	सोरम बाई पत्नि रामसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	51	0.890	0.890
	<b>योग</b>		<b>0.890</b>	<b>0.890</b>
32	प्रभुलाल पिता बल्देव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	53/2	0.730	0.730
	<b>योग</b>		<b>0.730</b>	<b>0.730</b>
33	प्रेम सिंह पिता उंकार सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	55/1	0.170	0.170
		73/4	0.260	0.260
		74/2	0.150	0.150
		77/3	0.340	0.340
		78/2	0.280	0.280
	<b>योग</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
34	लाड़सिंह पिता उंकार सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	55/2	0.170	0.170
		73/3	0.270	0.270
		74/3	0.140	0.140
		77/1	0.330	0.330
		78/3	0.280	0.280
	<b>योग</b>		<b>1.190</b>	<b>1.190</b>
35	मानसिंह पिता छीता जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	55/3	0.340	0.340
		73/1	0.530	0.530
		74/4	0.290	0.290
		78/4	0.560	0.560
	<b>योग</b>		<b>1.720</b>	<b>1.720</b>
36	मदन सिंह पिता धुलसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	55/4	0.320	0.320
		74/1	0.300	0.300
		78/1	0.570	0.570
	<b>योग</b>		<b>1.190</b>	<b>1.190</b>
37	शिवनारायण पित देवसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	56/1	0.200	0.200
		110	0.090	0.090
		119	0.060	0.060
	<b>योग</b>		<b>0.350</b>	<b>0.350</b>



38	अयोध्याबाई पति आत्माराम जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	56/2/1	1.000	1.000
	योग		1.000	1.000
39	गंगाराम पिता अमरसिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	57	1.620	1.620
		58	1.250	1.250
		130	0.340	0.340
		133	0.530	0.390
	योग		3.740	3.600
40	सिद्धु पिता रामा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	59	0.400	0.400
		61	1.510	1.510
		69	0.360	0.360
		72	1.720	1.520
	योग		3.990	3.790
41	रामनारायण पिता गंगाराम जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	60	0.440	0.440
		62	1.130	1.130
		105	0.300	0.300
		107	0.040	0.040
		126	0.130	0.130
		132	0.260	0.260
		121	0.600	0.600
		136	0.040	0.040
	215	1.500	0.020	
योग		4.440	2.960	
42	सजन बाई पति मायाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	53/3	0.720	0.720
		70/4	0.900	0.400
	योग		1.620	1.120
43	संपतबाई वि. लालजी चंदाबाई कमलाबाई शारदाबाई पिता लालजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	63/1	0.600	0.600
	योग		0.600	0.600
44	मोड सिंह पिता लाल जी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	63/2	0.490	0.490
		64/3	0.320	0.320
		102/1	0.070	0.020
		109/2	0.030	0.030
		120/1	0.020	0.020

		213/2	0.340	0.100
	<b>योग</b>		<b>1.270</b>	<b>0.980</b>
45	निर्मय सिंह पिता लालजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	63/3	0.490	0.490
		64/2	0.320	0.320
		102/2	0.070	0.030
		109/1	0.030	0.030
		120/2	0.010	0.010
		213/3	0.350	0.300
	<b>योग</b>		<b>1.270</b>	<b>1.180</b>
46	सौदान सिंह पिता लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	63/4	0.500	0.500
		64/1	0.320	0.320
	<b>योग</b>		<b>0.820</b>	<b>0.820</b>
47	करण सिंह पिता देवीसिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	66/1	0.210	0.210
		67	0.900	0.900
	<b>योग</b>		<b>1.110</b>	<b>1.110</b>
48	बनेसिंह पिता देवीसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	66/2	0.320	0.320
		68	0.790	0.790
	<b>योग</b>		<b>1.110</b>	<b>1.110</b>
49	तोफानसिंह पिता सीताराम जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	70/2	0.440	0.020
50	सुगनबाई पति रमेश जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	70/3	0.900	0.270
51	जीवन ना बा पिता रामप्रसाद सर पिता स्वयं जाति गुजर	70/5	0.900	0.640
52	अजब सिंह पिता सीताराम जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	70/6	0.830	0.240
		209	0.050	0.050
	<b>योग</b>		<b>2.290</b>	<b>1.220</b>
53	सागर पिता नारायण जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	71	4.900	0.560
	<b>योग</b>		<b>4.900</b>	<b>0.560</b>
54	नारायण पिता रूगनाथ जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	79/1	2.580	1.100
55	रामचरण पिता राधेश्याम जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	79/2	1.810	1.280
56	रेशमबाई पति नारायण जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	79/3	1.810	0.650

	योग		6.200	3.030
57	बंशीलाल पिता सिद्धु जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	82	1.550	1.550
		90	0.210	0.070
	योग		1.760	1.620
58	कामुबाई पति भंवरजी जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	87/1	0.040	0.040
		92/1	0.020	0.010
	योग		0.060	0.050
59	रमेश पिता बापु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	87/2	0.050	0.050
		92/2	0.010	0.005
	योग		0.060	0.055
60	विक्रम सिंह पिता बापु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	87/3	0.050	0.050
		योग		0.050
61	गंगाराम पिता सिद्धु सोनुबाई पत्नि गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	87/4	0.040	0.040
		योग		0.040
62	फुलसिंह पिता सीताराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	87/5	0.030	0.030
		योग		0.030
63	चंदाबाई पति आत्माराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	87/6	0.270	0.270
		योग		0.270
64	आत्माराम पिता सिद्धुजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	87/7	0.030	0.030
		योग		0.030
65	हिन्दु सिंह पिता सिद्धु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	88	0.210	0.210
		129	0.170	0.170
		138	0.210	0.080
	योग		0.590	0.460
66	चंदरसिंह पिता सिद्धु जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	89	0.220	0.210
		128	0.160	0.160
		135	0.180	0.180
	योग		0.560	0.550

67	रामसिंह पिता सिद्धसिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	101	0.040	0.030
	योग		0.040	0.030
68	लक्ष्मीनारायण पिता लाल जी जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	102/3	0.060	0.020
		109/3	0.030	0.030
		120/3	0.020	0.020
		213/1	0.350	0.020
	योग		0.460	0.090
69	रमेश पिता सिद्ध जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	127	0.220	0.220
		108	0.150	0.150
	योग		0.370	0.370
70	मानसिंह पिता सिद्ध जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	106	0.120	0.120
		131	0.200	0.200
	योग		0.320	0.320
71	निर्मल पिता रामसिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	113	0.080	0.080
		203/1	0.235	0.235
		207	0.380	0.380
	योग		0.695	0.695
72	रामदयाल पिता चंदरसिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	115	0.070	0.070
		199/2	0.210	0.120
	योग		0.280	0.190
73	अम्बाराम पिता रामसिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	146	0.080	0.030
		203/2	0.545	0.545
		201	0.370	0.370
	योग		0.995	0.945
74	चंदरसिंह पिता समंदरसिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	204	1.160	1.160
	योग		1.160	1.160
75	रूगनाथ सिंह पिता दरियावसिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	210	1.030	0.600
		212	0.430	0.420
	योग		1.460	1.020
76	समुंदर पिता बुला जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	16	2.030	0.090
	योग		2.030	0.090
77	आत्माराम पिता देवीसिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	56/2/2	1.110	1.110
	योग		1.110	1.110
	महायोग		99.740	74.155

नोट:- भूमि से संबंधित नक्शे एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसवनेर एवं भू-अर्जन कार्यालय आगर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

क्र.-भू-अर्जन-2018-16

भूमि अर्जन, पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन 2013) अंतर्गत चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिल राजगढ़ की ग्राम धनोरा के लिये डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि का जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रायोजनार्थ आवश्यकता है :-

## अनुसूची (1)

ग्राम - धनोरा		तहसील - नलखेड़ा	जिला आगर-मालवा
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	14.510	6.020
योग		14.510	6.020

## अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा	रिमार्क
1	2	3	4	5	
1	नारायण पिता नानूराम जाति चमार	494	1.250	0.680	
		506	0.550	0.200	
	योग		1.800	0.880	
2	बापू पिता नंदा जाति चमार	495	0.370	0.370	
	योग		0.370	0.370	
3	भागीरथ पिता रंजीत सिंह जाति गूर्जर नि. ग्राम लटुरी	496	0.470	0.470	
	योग		0.470	0.470	
4	पन्नालाल पिता नाथूलाल जाति चमार	503	0.080	0.080	
		1217	0.260	0.260	
	योग		0.340	0.340	
5	सिद्धनाथ पिता नाथू जाति चमार	504	0.080	0.080	

		1213	0.260	0.050	
	योग		0.340	0.130	
6	अमृतलाल पिता नाथूलाल जाति चमार	505	0.080	0.080	
		509	2.090	0.290	
	योग		2.170	0.370	
7	कालूराम पिता नानूराम जाति चमार	507	0.550	0.210	
	योग		0.550	0.210	
8	गंगाराम पिता नानूराम जाति चमार	508	0.550	0.180	
	योग		0.550	0.180	
9	प्रेमनारायण पिता बाबलसिंह जाति खाती	587	0.050	0.050	
	योग		0.050	0.050	
10	भंवर लाल बापूलाल नारायण पिता हीरा जमनाबाई पु हीरा हि 1/2 स भा देवीलाल हजारीलाल पिता बलदेव हि 1/2 स भा जाति भील नि. ग्रम भूमिस्वामी	591	0.500	0.210	
		596	0.230	0.050	
	योग		0.730	0.260	
11	हकीम पिता रामचरण व केशर बाई वि रामचरण सुरेश पवन पिता मुन्शीलाल धूलीबाई वि मुन्शीलाल जाति खाती	597	0.570	0.050	
	योग		0.570	0.050	
12	कोशल्या बाई पति अनोखीलाल जाति खाती	598	0.210	0.050	
	योग		0.210	0.050	
13	सुनील कुमार पिता मांगीलाल जाति खाती	599	0.210	0.050	
	योग		0.210	0.050	
14	प्रकशचंद्र पिता कमोदसिंह जाति खाती	600	0.460	0.050	
	योग		0.460	0.050	
15	गीताबाई पति कंवर लाल जाति बलाई शासकीय पट्टेदार	602	1.070	0.270	
	योग		1.070	0.270	

२०१८-१९

16	मांगीलाल गोकल भंवरलाल दरियावबाई इन्दरबाई पु. भंवरलाल नंदकिशोर ईश्वर सिंह ना बा सा माता मानू बाई वि हरि पन्ना रूग्गा पिता लच्छा हि 1/2 स भा शिवलाल होकम सिंह पिता लालजीराम सम्पतबाई वि लालजीराम हि 5/12 स भा भैरू पिता बद्दा व गीताबाई श्यामूबाई पु बद्दा हि 1/12 जाति बलाई नि.ग्रम भूमिस्वामी	1192	1.100	0.380	
	योग		1.100	0.380	
17	होकम सिंह पिता लालजीराम जाति बलाई नि.ग्रम भूमिस्वामी	1194	0.420	0.160	
	योग		0.420	0.160	
18	शिवलाल पिता लालजी जाति बलाई नि.ग्रम भूमिस्वामी	1195	0.420	0.160	
	योग		0.420	0.160	
19	ओमप्रकाश पिता मन्ना लाल जाति बलाई	1196	0.460	0.160	
	योग		0.460	0.160	
20	कैलाशचंद्र पिता मन्नालाल जाति बलाई	1197	0.470	0.160	
	योग		0.470	0.160	
21	घांसीराम पिता मन्नालाल जाति बलाई	1198	0.460	0.130	
		1204	0.250	0.250	
	योग		0.710	0.380	
22	ओमप्रकाश पिता मन्नालाल जाति बलाई	1203	0.260	0.260	
	योग		0.260	0.260	
23	भागीरथ पिता नाथू जाति चमार	1205	0.260	0.110	
	योग		0.260	0.110	
24	शंकरलाल पिता नाथूलाल जाति चमार	1215	0.260	0.260	
	योग		0.260	0.260	
25	शिवलाल पिता नाथूलाल जाति चमार	1216	0.260	0.260	
	योग		0.260	0.260	
	महायोग		14.510	6.020	

नोट:- भूमि से संबंधित नक्शे एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसवनेर एवं भू-अर्जन कार्यालय आगर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

प्र. क्र.-13-अ-82-17-18-559.-

बैतूल, दिनांक 12 जनवरी 2018

**प्रारंभिक अधिसूचना**

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि, कालम (6) में वर्णित किए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। अर्जित होने वाली भूमि का खसरा नम्बर, रकबा एवं धारक का नाम अनुसूची क्रमांक-2 में वर्णित है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

**अनुसूची-1**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(हे0में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	भैसदेही	बगदरा	0.240	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) बैतूल	भैसदेही से बगदरा मार्ग हेतु

**अनुसूची - 2**

**( प्रभावित धारको की सूची )**

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में से	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	65/1	1.017	0.140 हे0	मल्लू व0 मन्नू जाति कोरकू सा0देह
1	65/2	1.018	0.100 हे0	मुन्ना व0 चिन्ध्या जाति कोरकू सा0 देह
<b>योग</b>			<b>0.240 हे0</b>	

- 1- चूंकि प्रस्तावक विभाग (लो नि वि) द्वारा ग्राम भैसदेही से बगदरा मार्ग निर्माण कर लिए जाने के फलस्वरूप प्रभावित हितबद्ध व्यक्ति की आंशिक भूमि, अर्जन हेतु प्रस्तावित है। इस अर्जन प्रकरण में कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू-अर्जन अधिकारी ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
- 4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पद पर भी अपलोड किया गया है।



प्र. क्र.-02-अ-82-16-17-560.—

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म०प्र०)	भैसदेही	भाण्डवा	0.148	भाण्डवा (जिला बैतूल) से गोहटी ( जिला हरदा) मार्ग हेतु

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

अ०क्र०	खसरा नम्बर	रकबा हे० में से	अर्जन की भूमि का रकबा हे० में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	195/2	0.769	0.148 हे०	रतन, शिवलाल, शिवराम, करण व० मौजी, उमदा बेवा मौजी, रम्मी बेवा मौजी, सुनिता ना बा छतन वली मां रम्मी बेवा छतन जाति ठाट्या सा देह।
योग			0.148 हे०	

(2) चूंकि भाण्डवा (जिला बैतूल) से गोहटी (जिला हरदा) मार्ग सड़क निर्माण परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2)के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

क्रमांक 38-अ-82-17-18-16525

सागर, दिनांक 27 दिसम्बर 2017

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत चिरई एवं पटनाखुर्द माइनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS-MS/MPPCB/SEAC/Tor-RVP(139)/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/2013) पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत चिरई एवं पटनाखुर्द माइनर नहर निर्माण
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
  2. तहसील : केसली
  3. ग्राम : बमनी
  4. पट.ह.नं.- : 15
  5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.500 है.

**:: अनुसूची-1 ::**

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4			7
1	राजकुमार पिता नारायण सींग, भगवतसींग पिता तुलसीराम माखन पिता तखतसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	374/1	1.080	0.160	
		भूमिस्वामी	374/3	0.310	0.040	
		भूमिस्वामी	374/4	0.080	0.040	
		भूमिस्वामी	377	1.120	0.220	
2	नारायण सींग वल्द नन्हू साकिन देह	भूमिस्वामी	386/1	1.980		
2	तुलसीराम पिता नन्हू साकिन देह	भूमिस्वामी	386/2	1.860	0.500	
3	तखत सींग पिता नन्हू साकिन देह	भूमिस्वामी	386/3	1.780		
4	सियारानी वेवा काशीराम, पारवती पुत्री काशीराम, बैजनाथ वल्द गजराज, प्रहलाद पिता बैजनाथ, शंकर, जयराम, शेवदयाल, गोविन्द, मीराबाई, कल्लोबाई पिता मिहरापसींग, बलराम पिता खिलान, सुरखरानी वेवा खिलान, दुरगसींग पिता धोकलसींग, रूपरानी वेवा धोकलसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	373	0.310	0.140	

7	भुवानी, परमलाल, मुन्ना पिता उमराई साकिन देह	भूमिस्वामी	374/2	0.960	0.160
6	दलपा, द्वारका, दिल्ली, बन्दू पिता उमराई, शांतिबाई, गुडडीबाई पिता उमराई साकिन देह	भूमिस्वामी	614/1	0.290	0.100
7	कैलाश पिता विन्दावन साकिन देह	भूमिस्वामी	649/1	0.220	0.060
		भूमिस्वामी	649/2	0.220	0.060
8	काशीराम वल्द मोहन, तुलसीराम, नल्थीबाई पिता तुलसीराम, शिवप्रसाद, सुन्दर पिता कन्छेदी, जयराम, दयाली पिता उदयराम, कुंवरबाई, पानबाई पिता उदयराज, वली माँ व खुद फूलरानी वेवा उदयराम, बलियाबाई, गनेशी, मथुरा पिता दिवई, चित्तर, दुरजन, मुन्ना पिता शिवप्रसाद, जगरानी वेवा शिवप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	672	0.920	0.020
योग:-			11	11.130	1.500

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 78-अ-82-17-18-200

सागर, दिनांक 5 जनवरी 2018

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर की बाबिर मटिया नहर विस्तार योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना आपेक्षित नहीं है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। प्रकरण में अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी भूमि अर्जन कर जलाशय का निर्माण किन्तु जल से क्षेत्र के कृषक लाभान्वित होंगे एवं जलका आर्थिक स्तर सुधरेगा। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसे सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- |                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| (1) परियोजना का नाम         | : | बाबिर मटिया नहर विस्तार योजना निर्माण हेतु |
| (2) भूमि का विवरण           | : |  |
| 1. जिला                     | : | सागर                                       |
| 2. तहसील                    | : | बण्डा                                      |
| 3. ग्राम                    | : | नीमोन                                      |
| 4. पट. ह.नं.                | : | 15   |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 2.310 हे.                                  |

## ::अनुसूची::

सक्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	लक्ष्मणसींग रविन्द्रसींग पिता बखतसींग शकुनबाई बेवा बखतसींग कायूसींग पि. मकुन्दीसींग लोधी निवासी देह	भूमिस्वामी	206/1	0.680	0.06	
2	जयराम सीताराम नर्मदा भरत पिता काशीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	178	2.940	0.12	
3	कैलाशचंद पिता दीपचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	177	1.210	0.10	
4	कपूरीबाई पति उत्तमचंद निवासी बण्डा	भूमिस्वामी	176	0.090	0.02	
		भूमिस्वामी	854/1	0.990	0.05	
5	उत्तमचंद पिता पन्नालाल साकिन देह	भूमिस्वामी	175	1.460	0.03	
		भूमिस्वामी	169/1	0.610	0.05	
6	राजकुमार पि. रूपनारायण कारोलिया सा. देह	भूमिस्वामी	171	0.810	0.1	
7	गंधर्वसींग पिता जसरथ सींग राजपूत सा.देह	भूमिस्वामी	153	0.670	0.09	
8	धनबाई पुत्री जसरथसींग लोधी साकिन देह	भूमिस्वामी	114	0.350	0.02	
9	साहबसींग पि. जसरथसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	107/1	3.080	0.04	
10	लोटनसींग पिता जसरथसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	107/2	3.090	0.18	
11	रमला पिता जवरा साकिन देह	भूमिस्वामी	109/1	0.310	0.03	
12	राजेन्द्र पि सुखलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	109/2	0.300	0.03	
13	दम्पू खुमान पि अनंता बृजरानी बेवा अनंता मोती हल्लू ललता पि नथू मुकेश नरेश नावा पिता व पालक लखन मनीषा रामदेवी पिता लखन गीता बेवा लखन साकिन देह	भूमिस्वामी	108/1	1.250	0.18	

14	कस्तूरीबाई पति छतरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	99	2.140	0.16	
15	छुट्टिया पिता दुल्ला साकिन देह	भूमिस्वामी	836/2	0.410	0.13	
16	सुरेन्द्र राजेन्द्र पिता जाहरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	838/1	0.810	0.08	
17	धनसींग पि गनेश साकिन देह	भूमिस्वामी	839	0.640	0.05	
18		भूमिस्वामी	830	0.640	0.10	
19	रूपनारायण शिवनारायण पिता राजाराम मालतीबाई पिता राजाराम विश्नु महेश पिता हरीनारायण संतोषबाई पुत्री हरीनारायण साकिन देह	भूमिस्वामी	840	2.450	0.14	
20	गुलाबसींग मुन्नासींग वीरेन्द्रसींग पिता नत्थूसींग केशरबाई पुत्री नत्थूसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	842/1	0.100	0.02	
21	एवन्कुमार पिता रूपनारायण साकिन देह	भूमिस्वामी	841/1	0.120	0.05	
22	वीरेन्द्रसींग पिता धीरज सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	856	1.210	0.08	
23	वीरसींग पि रगवरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	855/1	0.150	0.10	
24	हल्काई पिता हुकुमसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	855/2	0.160	0.11	
25	प्रेमबाई बेवा फूलसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	854/2	0.400	0.04	
27	सुरेन्द्र राजेन्द्र पिता जाहर सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	852	1.200	0.15	
<b>योग:-</b>			<b>28</b>	<b>28.270</b>	<b>2.310</b>	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 39-अ-82-17-18-203

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु पद(2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS-MS/MPPCB/SEAC-I/TOR(283)/2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 26/10/2020 तक वैध है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत मड़खेड़ा जागीर माईनर नंबर-5 नहर निर्माण
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
  2. तहसील : सागर
  3. ग्राम : मड़खेरा जागीर
  4. पट.ह.नं.- : 130
  5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल : 2.896 है.

संक्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा (हेक्टर में)	अर्जित रकवा (हेक्टर में)	भूमि प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	सुशीलाबाई पत्नि रविशंकर पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1011	2.220	0.258	
2	संजय कुमार पिता मकरध्वज उर्फ मकरुप्रसाद पाण्डे सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1012/1	2.120	0.432	
3	प्रकाश पिता खेतसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1012/2	0.800		
4	नन्नु पिता मानसींग सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	72	1.510	0.294	
5	प्रेम बत्त अमान साकिन देह	भूमिस्वामी	75/1	1.970	0.420	
		भूमिस्वामी	75/2	1.000		
6	चेनसींग पिता हनुमतसींग पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	84	1.700	0.092	
7	जमना पिता गुलाब पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	76/1	0.390	0.084	
8	मूरतसींग पिता दुरगसींग दांगी पता सा. बिलहरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	76/2	0.400	0.187	
9	नरान पिता गुलाब साकिन देह	भूमिस्वामी	78/1	0.380	0.022	
10	परषोत्तम पिता नन्हेभाई साकिन बिलहरा	भूमिस्वामी	78/2	0.400		
11	रामचरन पिता घस्सा साकिन देह	भूमिस्वामी	82/1	0.400	0.106	
12	महेश्वर मिश्रा घस्सा साकिन देह	भूमिस्वामी	82/2	0.400		
13	तरवर पिता घस्सा साकिन देह	भूमिस्वामी	82/3	0.400		
14	मूरतसींग पिता दुरगसींग दांगी सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	83/1	1.400	0.324	
15	पुरषोत्तम पिता नन्हेभाई सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	83/2	0.400		

16	पंचम घुन्नी बालकिशन झब्बू पिता छैकोडी कुसुमरानी बेवा छैकोडी गिरजा पूत्री छैकोडी दयाराम, धीरज पिता मरिया साकिन देह	भूमिस्वामी	81/1	0.270	0.130
17	नरान बल्द प्रहलाद साकिन देह	भूमिस्वामी	81/2	0.530	
18	शोभाराम श्रीराम पिता परसू देह	भूमिस्वामी	80	0.790	0.149
19	बाबूसिंह पिता प्रहलादसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	45	0.220	0.048
20	कमलेश हल्लेभाई कुवरबाई पिस. विन्द्रावन सा. देह	भूमिस्वामी	44/1	0.180	0.015
21	गीताबाई पुत्री विन्द्रावन साकिन देह	भूमिस्वामी	44/2	0.060	
22	शोभाराम श्रीराम पिता परसू देह	भूमिस्वामी	43	0.100	0.061
23	पंचम घुन्नी बालकिशन झब्बू पिता छैकोडी कुसुमरानी बेवा छैकोडी गिरजा पूत्री छैकोडी दयाराम, धीरज पिता मरिया साकिन देह	भूमिस्वामी	42	0.050	0.029
24	श्रीदुलैया जोजे प्रहलाद साकिन देह	भूमिस्वामी	41	1.080	0.077
		भूमिस्वामी	39	0.040	0.002
		भूमिस्वामी	38	0.100	0.003
25	पानबाई पति महेश पुत्री नरान पता सा. देह	भूमिस्वामी	37	0.320	0.096
26	गोमती बेवा बुद्धे कमलाबाई गिरजाबाई पुत्री बुद्धे पता सा. बिलहरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	36	0.270	0.067
योग:-			29	19.9	2.896

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 40-अ-82-17-18-204

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS-MS/MPPCB/SEAC/Tor-RVP(139)/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/2013) पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकोहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण
- (2) भूमि का विवरण :
1. जिला : सागर
  2. तहसील : केसली
  3. ग्राम : गंगवारा
  4. पट.ह.नं.- : 13
  5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.639 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4			7
1	संतोषरानी वेवा करन सींग, गोविन्द, नीलेश नाबालिग वल्द करनसींग, लक्ष्मीबाई नाबालिग पुत्री करनसींग वली माँ संतोषरानी वेवा करनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	7	1.260	0.086	
2	उमारानी जोजे मिहरबान सिंह साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	8	1.340	0.084	
3	रतन उर्फ श्यामसिंह, परषोत्तम उर्फ परसराम पिता शेवसींग साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	11	1.590	0.080	
4	नारान काशीराम श्रीराम पिता तुलसीराम साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	56/2	2.620	0.050	
5	भगवानदास लक्ष्मीनारायण हेमराज वालिग दशरथ नाबालिग पिता अमान वली व खुद माँ द्रोपतीबाई वेवा अमान, मेनाबाई, रामकलीबाई, आशाबाई, जानकीबाई पुत्री अमान, इमरती नाबालिग पुत्री पालक पार्वती पिता कमलेश साकिन बमनी जिला नरसिंहपुर हेमराज, केशव पिता प्रेमनारायण, रेवतीबाई, हेमलबाई, हीराबाई, जमनाबाई पुत्री प्रेमनारायण गुलाबरानी वेवा प्रेमनारायण साकिन देह	भूमिस्वामी	57/5	1.410	0.064	



6	दशरथ वल्द अमान साकिन देह	भूमिस्वामी	57/6	0.600	0.150	
7	रामचरन वल्द हिरऊ लक्ष्मीबाई जोजे रामचरन आदिवासी शासकीय पट्टेदार	भूमिस्वामी	168/4	1.000	0.125	
योग:-			07	9.820	0.639	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 41-अ-82-17-18-205

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS-MS/MPPCB/SEAC/Tor-RVP(139)/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/2013) पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
  2. तहसील : केसली
  3. ग्राम : जैतपुर
  4. पट.ह.नं.- : 22
  5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 2.970 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	सुभान खां, करीम खां, रहीम खां, मुन्ना खां, रसीद खां पिता शेखलाल बल्ली पुत्र शेखलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	13	2.050	0.170	
2	राजेश कुमार वल्द परषोत्तम साकिन देह	भूमिस्वामी	20/1	0.900	0.180	
3	आशुतोष नाबालिग वल्द राजेश वली बब्बा परषोत्तम वल्द बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	21/1	0.300	0.050	
4	रत्तू वल्द धनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	27/2	1.600	0.220	
5	प्रेमरानी जोजे रामनाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	28/2	1.610	0.190	
6	संतोष वलद विपतू, महरानी वेवा विपतू साकिन देह	भूमिस्वामी	34	0.790	0.050	
7	राजेश कुमार वल्द परषोत्तम साकिन देह	भूमिस्वामी	42/1	0.370	0.170	
8	हरिशंकर, आनंद कुमार वल्द रामा सा. देह	भूमिस्वामी	145	0.810	0.120	
9	महेश, महेन्द्र, शीलचंद, जिनेश, हरेश कुमार, छोटेलाल पिता गुलझारीलाल, कुसुमरानी वेवा गुलझारीलाल, ममता, सुधा पुत्री गुलझारीलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	146/1	0.940	0.150	
10	महेश, महेन्द्र पिता गुलझारीलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	146/2	0.900	0.100	
11	जिनेश कुमार वल्द गुलझारी साकिन देह	भूमिस्वामी	146/5	0.410	0.050	
12	केशव पिता काशीराम साकिन डोमा	भूमिस्वामी	146/4	0.360	0.070	
13	शुभम वल्द शिवकुमार, सीमा वेवा शिवकुमार साकिन देह	भूमिस्वामी	159/2	0.890	0.120	
14	रामा वल्द हल्कू साकिन देह	भूमिस्वामी	279	1.970	0.200	
15	रामकुमार, राममिलन, रामनरेश, रामकृष्णा बालिग सत्य, गोविन्द, अशोक कुमार, श्रीराम पिता राधेश्याम, प्रेमरानी वेवा राधेश्याम साकिन देह	भूमिस्वामी	280	0.380	0.050	
16	सुदामा पिता भैयालाल साकिन देह	भूमिस्वामी	281/1	0.200	0.040	
17	चन्द्रभान सिंह पिता रामस्वरूप साकिन देह	भूमिस्वामी	283/2	0.470	0.210	
18	धम्मन वल्द हीरालाल साकिन देह	भूमिस्वामी	293/5	0.040	0.010	
19	रमाकांत पिता बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	294/1	0.550	0.060	
		भूमिस्वामी	295/1	0.800	0.010	

20	गनेश प्रसाद वल्द रामप्रसाद साकिन जैतपुर	भूमिस्वामी	355/1	0.450	0.080	
21	भगवानसींग बलराम वल्द सूरतसींग साकिन देहचुवा	भूमिस्वामी	355/2	0.490	0.040	
22	सूरतसींग वल्द गनेश साकिन देह	भूमिस्वामी	356/1	1.560	0.160	
23	श्री देव मुरलीधर जी मंदिर मौजा देह मुह. देवकीनंदन, विश्वनाथ पिता रामसहाय, रामस्वरूप पिता परसादी, सुखराम पिता देवकरन, रामनरेश पिता भगवतशरण, अशीष पिता रमेश प्रबंधक कलेक्टर सागर	भूमिस्वामी	16	5.930	0.470	
योग:-			24	24.770	2.970	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 42-अ-82-17-18-206

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS-MS/MPPCB/SEAC/Tor-RVP(139)/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/2013) पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण  
 (2) भूमि का विवरण  
 1. जिला : सागर  
 2. तहसील : केसली  
 3. ग्राम : डोमा  
 4. पट.ह.नं.- : 21  
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.910 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	खूबसींग पिता टुण्डे साकिन देह	भूमिस्वामी	400	0.660	0.110	
		भूमिस्वामी	348	0.240	0.020	
2	छोटेराल भैयाजी, होती, लालप्रभु पिता सिग्राम साकिन देह	भूमिस्वामी	349	0.280	0.090	
3	सोहन वल्द बहादुर साकिन देह	भूमिस्वामी	335/1	0.300	0.040	
		भूमिस्वामी	336/1	0.210	0.010	
4	तुलसीराम, परताप पिता रतनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	335/2	0.300	0.030	
5	तुलसीराम, परताप पिता रतनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	336/2	0.210	0.030	
6	भैयाजी पिता सिग्राम सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	331/1	0.360	0.050	
7	होतीलाल पिता सिग्राम सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	331/2	0.360	0.060	
8	कुसुमरानी जोजे पूरनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	327/2	0.500	0.070	
9	चीनदयाल वल्द लक्ष्मन साकिन देह	भूमिस्वामी	327/3	0.470	0.070	
10	अनुराधा पति मोहन सिंह लोधी साकिन देह	भूमिस्वामी	325/6	0.200	0.060	
11	रामनाथ पिता खुमबान साकिन देह	भूमिस्वामी	323/2	0.470	0.020	

12	परसराम वल्द जगन्नाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	312/1	0.200	0.070
13	घनश्याम नाबालिग वल्द व वली मोतीलाल वल्द उदयराम साकिन देह	भूमिस्वामी	312/2	0.400	0.060
14	मनोहर पिता खरगराम साकिन देह	भूमिस्वामी	312/5	0.220	0.010
15	लवकुश नाबालिग वल्द हाकम वली आजी कुसुमरानी साकिन देह	भूमिस्वामी	196/482/1	1.000	0.080
16	हाकम वल्द हरीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	196/482/3	1.400	0.100
17	धरमदास, ग्याप्रसाद, सुनील कुमार पिता जगदीश सा. देह	भूमिस्वामी	202/3	1.210	0.080
18	अजित कुमार, सुरेन्द्र कुमार, जीवन, शीतलचंद पिता हुकमचंद, जैन्तीबाई, सुलोचना, चंदाबाई कमल, श्रीरजनी, सुषमा पिता हुकमचंद, गेंदाबाई वेवा हुकमचंद, प्रेमचंद, ताराचंद, उत्तमचंद, भागचंद वल्द पन्नालाल सा. जैतपुर	भूमिस्वामी	200/1	3.140	0.270
19	सीताराम बक्ते, मूरत, दलीप, वनदेवी पुत्री गुलाब, सुहागरानी वेवा गुलाब साकिन देह	भूमिस्वामी	117	2.020	0.020
20	गोकल, रामअवतार पिता मकुन्दी, सरस्वती, शांतिबाई, नन्हीबाई, राजकुमारी पुत्री मकुन्दी, बृजरानी वेवा मकुन्दी साकिन जैतपुर भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	119	0.590	0.050
21	बलवंतसींग, माहनसींग, गजरजसींग, पूरनसंग, काशीराम पिता फूलसींग लोधी साकिन देह	भूमिस्वामी	396	0.030	0.010
22	पूरन, मुन्ना, दशरथ पिता शोभाराम, दिनेश वल्द भागीरथ, पार्वती, ममता, सीमा वती नाबालिग पिता भागीरथ वली माँ व खुद सुमतरानी वेवा भागीरथ साकिन देह	भूमिस्वामी	444	3.360	0.220
		भूमिस्वामी	330	1.680	0.070
		भूमिस्वामी	334	0.390	0.030
23	महेश, श्यामलाल पिता सीताराम, रानी वेवा सीताराम, पार्वती पुत्री सीताराम साकिन देह	भूमिस्वामी	352/3	0.610	0.060
24	शिवदयाल, रामकेश पिता खूबसींग लोधी साकिन देह	भूमिस्वामी	355/1	0.300	0.030
25	जगदीश पिता निरपत साकिन देह	भूमिस्वामी	202/1	2.220	0.090
योग:-			29	23.330	1.910

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 43-अ-82-17-18-207

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS-MS/MPPCB/SEAC/Tor-RVP(139)/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/2013) पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण  
 (2) भूमि का विवरण  
 1. जिला : सागर  
 2. तहसील : केसली  
 3. ग्राम : सोनपुर  
 4. पट.ह.नं.- : 13  
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.620 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4			7
1	नंदकिशोर वल्द दयाली साकिन देह	भूमिस्वामी	52	0.700	0.030	
		भूमिस्वामी	86/1	0.090	0.040	
2	फागू वल्द ग्याप्रसाद साकिन जनकपुर	भूमिस्वामी	53	0.450	0.030	
		भूमिस्वामी	54/3	0.430	0.100	
3	कमलरानी पति नंदकिशोर साकिन देह	भूमिस्वामी	57/1	1.160	0.100	
4	सुभाषचंद वल्द नाथूराम साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	86/2	0.590	0.090	
		भूमिस्वामी	122/1	1.160	0.100	
5	मिहीलाल वल्द तुलसीराम साकिन जनकपुर	भूमिस्वामी	121/1	1.040	0.090	
		भूमिस्वामी	122/2	0.170	0.020	
6	चतुर्भुज वल्द मिहीलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	121/2	1.040	0.100	
7	रेवाराम गुलाबसींग बालीप्रसाद पिता बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	121/3	0.040	0.010	
		भूमिस्वामी	125/1	2.080	0.140	
8	रेवाराम, गुलाबसींग बाली प्रसाद पिता बाबूलाल गुलाबबाई, खरपाबाई देवा बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	125/2	0.180	0.050	
		भूमिस्वामी	127	3.690	0.120	
9	रेवाराम वल्द बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	128/1	2.050	0.100	
10	गुलाबसींग वल्द बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	128/2	2.050	0.150	

11	बालीप्रसाद वल्द बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	128/3	2.060	0.050
		भूमिस्वामी	130/6	0.180	0.030
12	रमेश वल्द जगमोहन साकिन जनकपुर	भूमिस्वामी	130/2	0.310	0.040
13	वीरेन्द्र कुमार वल्द शीतलचंद साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	130/3	0.220	0.030
14	गजराज गौरीशंकर पिता मनमोद साकिन जनकपुर	भूमिस्वामी	131/1	1.890	0.200
योग:-			21	21.580	1.620

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 44-अ-82-17-18-216

सागर, दिनद्वंक 6 जनवरी 2018

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS-MS/MPPCB/SEAC/Tor-RVP(139)/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/2013) पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- |                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| (1) परियोजना का नाम | : | सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण |
| (2) भूमि का विवरण   | : | सागर  |
| 1. जिला             | : | केसली   |
| 2. तहसील            | : |   |

3. ग्राम : पटनाखुर्द  
 4. पट.ह.नं.- : 16  
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.430 है.

**:: अनुसूची-1 ::**

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4			7
1	रामसहाय बल्दर हरीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	283/3	0.110	0.020	
		भूमिस्वामी	187/1	0.200	0.080	
2	प्रेमनारायण, धनश्याम पिता शोभाराम, भागबाई, इन्द्रवती, दुर्गाबाई पुत्री शोभाराम, कस्तूरीबाई वेवा शोभाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	174	0.150	0.020	
3	यशवंतसींग, तरवर सींग, निजामसींग, हरिनारायण, गनेशसींग पिता छोटेलाल, राजबाई, पर्वत, उमाबाई पुत्रो छोटेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	120/1	0.490	0.050	
		भूमिस्वामी	523/1	0.610	0.140	
		भूमिस्वामी	508/1	0.090	0.030	
4	मुकेश नाबालिग बल्द व बली निजामसींग, मिहरबानसींग नाबालिग बल्द व बली यशवंत सींग, मिहीलाल नाबालिग बल्द व बली तरवर सींग, उमेश नाबालिग बल्द व बली हरिनारायण, राजेन्द्र नाबालिग बल्द व बली गनेशसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	120/2	0.490	0.020	
5	पार्वतीबाई पुत्री डोमन साकिन देह	भूमिस्वामी	459/3	0.400	0.020	
6	सुगम नाबालिग बल्द साहब बली लालसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	513	0.170	0.050	
योग:-			09	2.710	0.430	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।



क्रमांक 45-अ-82-17-18-217

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु पद(2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS-MS/MPPCB/SEAC-I/TOR(283)/2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 26/10/2020 तक वैध है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत बेरखेड़ी मड़िया माईनर नंबर-8 एवं 9 नहर निर्माण
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
  2. तहसील : सागर
  3. ग्राम : बेरखेड़ी मड़िया
  4. पट.ह.नं.- : 133
  5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल : 6.516 है.

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
<b>बेरखेड़ी मड़िया माईनर नंबर-8</b>						
1	डॉ. दुर्गाप्रसाद पिता रामकल्प चौबे साकिन यादव कालोनी मधुकरशाह वार्ड सागर	भूमिस्वामी	191/1	1.270	0.240	
		भूमिस्वामी	191/2	1.210		
2	डॉ. दुर्गाप्रसाद पिता रामकल्प चौबे साकिन यादव कालोनी मधुकरशाह वार्ड सागर	भूमिस्वामी	192/1	0.350	0.134	
3	विनीत कुमार पिता डॉ. दुर्गा प्रसाद चौबे पता सा. यादव कालोनी मधुकरशाह वार्ड सागर	भूमिस्वामी	192/2	0.800		
4	सुहागशानी पति नन्हेमाई पता सा. सींगना	भूमिस्वामी	193/1	2.710	0.605	
5	ज्योति पति गोविन्द पता सा. सींगना	भूमिस्वामी	193/2	2.600		
6	जगन्नाथ बल्द कुदंज दुलारी बेवा डेलनसींग सेमरावारी बेवा प्रहलादसींग साकिन सींगना	भूमिस्वामी	190/1	0.150	0.211	
7	हम्मीर सींग पिता कुदंज साकिन देह	भूमिस्वामी	190/2	0.690		
8	अशोककुमार पिता दामोदर प्रसाद कुसुमबाई पति अशोककुमार पता. सागर	भूमिस्वामी	190/3	0.290		
		भूमिस्वामी	190/4	0.910		
9	जगन्नाथ बल्द कुदंज साकिन सींगना	भूमिस्वामी	189	3.010	0.278	
10	भरत बल्द नन्ना साकिन सींगना	भूमिस्वामी	188/1	0.710	0.192	
11	महताब बल्द नन्ना साकिन सींगना	भूमिस्वामी	188/2	0.700		
12	रूपसींग बल्द नन्ना साकिन सींगना	भूमिस्वामी	188/3	0.200		
13	रामरानी बेवा नन्ना घसीटीबाई ज्ञानबाई पुत्रियां नन्ना साकिन सींगना	भूमिस्वामी	188/4	1.200		

2					
14	रामसेवक अमोल पिस. मुन्ना साकिन सींगना	भूमिस्वामी	187/1	0.410	0.979
15	अशोक वल्द खेतसींग साकिन सींगना	भूमिस्वामी	187/2	1.200	
		भूमिस्वामी	187/3	0.400	
		भूमिस्वामी	187/7	0.410	
16	लालसींग वल्द मुल्ले साकिन सींगना	भूमिस्वामी	187/4	0.400	
		भूमिस्वामी	187/5	0.610	
17	कुन्दनलाल वल्द कलू साकिन सींगना	भूमिस्वामी	187/6	0.410	
		भूमिस्वामी	187/11	1.000	
18	मुन्नालाल वल्द खेतसींग साकिन सींगना	भूमिस्वामी	187/8	0.610	
		भूमिस्वामी	187/9	0.400	
		भूमिस्वामी	187/10	0.600	
19	सुनील बल्द प्यारेलाल साकिन सींगना	भूमिस्वामी	187/12	0.400	
20	प्यारेलाल बल्द खेतसींग साकिन सींगना	भूमिस्वामी	187/13	0.400	
21	बालचंद पिता मूल्ले बसारे सींगना	भूमिस्वामी	187/14	0.400	
22	पूर्णब्रह्मसिंह पिता पारब्रह्मसिंह, नीलेशसिंह उर्फ नितेन्द्र सिंह पिता अवधकिशोर सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	186/2	1.320	0.429
23	पहलवान सिंह बल्द धरमसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	186/3	5.090	
24	रौहुल नाबालिग पिता हिम्मत वली माँ आशारानी पति हिम्मत साकिन सींगना	भूमिस्वामी	98/1	1.200	0.274
25	सोनू नावा. पिता हिम्मत वली मा. आशारानी पति हिम्मत साकिन सींगना	भूमिस्वामी	98/2	1.200	
28	मोनू नावा. पिता हिम्मत वली माँ आशारानी पति हिम्मत साकिन सींगना	भूमिस्वामी	98/3	1.200	
27	भरत बल्द नन्ना साकिन सींगना	भूमिस्वामी	100/1	1.660	0.120
28	महताब बल्द नन्ना सींगना	भूमिस्वामी	100/2	1.670	
<b>बेरखेड़ी मड़िया माईनर नंबर-9</b>					
29	श्री दवी दुर्गा जी मुह. महाराज सींग वल्द धरमसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	241/1	5.250	0.456
30	इशरार अहमद सिद्दीकी पिता सहाबुद्दीन साकिन खिरसाडोह परासिया जिला छिदवाड़ा	भूमिस्वामी	237/1	1.360	0.306
31	भागीरथ पिता पुन्ना साकिन देह	भूमिस्वामी	237/2	0.300	
32	भागीरथ पिता मुन्ना साकिन देह	भूमिस्वामी	224/1	0.240	0.286
33	इशरार अहमद सिद्दीकी पिता सहाबुद्दीन साकिन खिरसाडोह परासिया जिला छिदवाड़ा	भूमिस्वामी	224/2	0.140	
		भूमिस्वामी	224/3	0.160	
34	इशरार अहमद बल्द सहाबुद्दीन सिद्दीकी खिरसाडोहतहसील परासिया जिला छिदवाड़ा	भूमिस्वामी	223	1.910	0.125
35	लीलावती पत्नि इन्द्राज सिंह साकिन बांदरी	भूमिस्वामी	222	0.610	0.250
36	तखत पिता भबूदे साकिन देह	भूमिस्वामी	220/1	0.400	0.360
37	डॉ. रामानुज पिता शिवराम गुप्ता साकिन मोतीनगर वाई सागर	भूमिस्वामी	220/2	2.450	
38	गुरभिन्दरसिंह पिता धरमसिंह साकिन सराफा बाजार सागर	भूमिस्वामी	220/3	1.000	
		भूमिस्वामी	220/4	0.500	
39	प्रहलाद बल्द तेजसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	228	0.880	0.020
40	करैयावारी उर्फ कौसाबाई पति मूरतसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	225	1.120	0.029
41	श्री राम बल्द निरभेसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	230	2.100	0.021
42	राजू पिता महादेव साकिन देह	भूमिस्वामी	219/1	0.130	0.015
43	संतोष पिता रामदयाल साकिन देह	भूमिस्वामी	219/2	0.130	
44	शिवलाल पिता जगदीश साकिन देह	भूमिस्वामी	219/3	0.140	
45	शालकराम रमेश पिता गोविन्दसींग साकिन सींगना	भूमिस्वामी	218/1	3.230	0.362
46	सौरभ पिता कृष्णकुमार ऋषभ नावा. पिता व बली कृष्णकुमार पिता दामोदर सा. देह	भूमिस्वामी	218/2	2.000	
47	हरनाम, श्री राम बल्द निर्भय सींग द्रोपतीबाई देवा निर्भय सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	217	3.100	0.032

3

48	मोहन कल्लू पिस. डोमन साकिन देह	भूमिस्वामी	216/1	1.820	0.792
49	कलू पिता डोमन साकिन देह	भूमिस्वामी	216/2	1.820	
50	मुलाबाई उर्फ स्वराजराणी वेवा डोमन साकिन देह	भूमिस्वामी	216/3	1.820	
योग:-			60	70.400	6.516

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 46-अ-82-17-18-218

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु पद(2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। चूंकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS-MS/MPPCB/SEAC-I/TOR(283)/2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 28/10/2020 तक वैध है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- |     |                 |   |  |
|-----|-----------------|---|--|
| (1) | परियोजना का नाम | : | परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत बम्हौरी माईनर नंबर-2 एवं 4 नहर निर्माण |
| (2) | भूमि का विवरण   | : |  |
|     | 1. जिला         | : | सागर   |
|     | 2. तहसील        | : | सागर   |

3. ग्राम : बम्होरी  
 4. पट.ह.नं.- : 133  
 5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल : 7.877 है.

सं. क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	शु. व. प्रव.
1	2	3	4	5	6	
<b>बम्होरी माईनर नंबर-2</b>						
1	कोमल नोनीतराम पिस. पंचा पारवती पुत्री पंचा, किशनपुरवारी वेवा बट्टू रामा, दमरू पिता बट्टू, देववती पुत्री बट्टू साकिन बेरखेड़ी	भूमिस्वामी	83	0.720	0.020	
2	अरविन्द सुरेश राजकुमार लक्ष्मण पिस. अनंतराम सा. देह	भूमिस्वामी	85	0.410	0.002	
3	रामलोचन पिता ज्वालाप्रसाद साकिनदेह नरेन्द्र पिता बबू साकिन बिलहरा हिस्सा 0.10 हे.	भूमिस्वामी	58/1	0.240	0.326	
4	माधव प्रसाद पिता जगन्नाथ प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	58/2	0.600		
5	रमाकांत पिता द्वारका प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	58/3	0.400		
6	विनोद कुमार बल्द शंकरलाल मीनाबाई बेवा अनिल कुमार ज्योति स्वाति सुनीता स्मिता सोनम नावा. पुत्री अनिल कुमार वली मां मीनाबाई बेवा अनिलकुमार साकिन सिमरिया	भूमिस्वामी	117	0.360	0.002	
7	डेलन पिता परम साकिन देह सेवा खातेदार	सेवाखातेदार	128/4	3.150	0.634	
8	शालीबाई पुत्री घसिया झलकन संजू भगवानदास नावा. पिता व पालक कुन्दन पिता दीना जीवन बल्द प्यारेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	131	0.200	0.154	
9	तुलसीराम भागवती माया ऊषा पिता भैयालाल हीरा बेवा भैयालाल संजू लालसींग बल्द बाबूलाल वंदना राजकुमारी पुत्री बाबूलाल क्रांति बेवा मिट्टूलाल ब्रजेशकुमार निहाल अमित ना.वा. पिता मिट्टूलाल भारती ना.वा. पुत्री मिट्टूलाल पालक मां क्रांतिबाई बेवा मिट्टूलाल पता सां बिलहरा	भूमिस्वामी	132/1	1.470	0.566	
10	माया पत्नि माधवप्रसाद साकिन सींगना	भूमिस्वामी	132/2	0.400		
11	कमलसिंह बल्द हरिशंकर साकिन बिलहरा	भूमिस्वामी	133/1	0.120	0.194	
		भूमिस्वामी	133/2	0.480	0.016	
<b>बम्होरी माईनर नंबर-4</b>						
12	वीरसींग बल्द जगन्नाथ साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	209	3.040	0.004	
13	निभयसींग पिता जगन्नाथसींग साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	210	2.750	0.270	
14	भीकमसींग बल्द जगन्नाथसींग साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	211/1	1.070	0.144	
15	धमेन्द्रसिंह बल्द गन्धर्वसिंह साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	211/2	1.400	0.228	
16	अमानसींग पिता भीकमसींग साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	211/3	1.400	0.228	
17	हरिभगवान बल्द भैयालाल साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	311/320	0.480	0.004	
18	लालसींग राजेन्द्र सींग प्रथमसींग पिता माधोसींग अवधरानी वेवा माधोसींग साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	212	2.940	0.276	
19	हरिभगवान बल्द भैयालाल साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	214	2.670	0.318	
		भूमिस्वामी	219	2.570	0.451	
20	लखनसींग पिता भैयालाल साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	215	4.410	0.096	

21	रामलोचन पिता ज्वालाप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	220/1	2.000	0.605
22	भगवतशरण पिता द्वारकाप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	220/2	0.600	
		भूमिस्वामी	220/3	0.600	
23	राजकुमार पिता द्वारका प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	220/4	0.900	
24	देवेन्द्र राजकुमार अभिषेक संतोष पिता जमना प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	218/1	1.320	0.528
25	बेरीबाई सूरजबाई गीताबाई कलीबाई पुत्री बह्नीप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	218/2	0.400	
26	देवेन्द्र राजकुमार अभिषेक संतोष पिता जमना प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	245	3.520	0.144
27	सियारानी बेवा हल्का शोभा भागीरथ माधो भूपत बल्लू दयाल गोविन्द पिस. हल्का लच्छीबाई इमरतीबाई अहिल्याबाई पुत्री हल्का गंगाबाई बेवा अनंदी गोकुल हरिदास छोटाबाबू प्रकाश विजय पिस. आनंदी जानकी हल्कीबिन्ना पुत्री अनंदी साकिन सींगना	भूमिस्वामी	244	2.520	0.355
28	सियारानी बेवा हल्का शोभा भागीरथ माधो भूपत बल्लू दयाल गोविन्द पिस. हल्का लच्छीबाई इमरतीबाई अहिल्याबाई पुत्री हल्का साकिन सींगना	भूमिस्वामी	247	2.070	0.254
29	गोविन्द वल्द नन्हेभाई साकिन सींगना	भूमिस्वामी	248	0.810	0.168
30	दौलत सींग पिता छततरसींग साकिन सींगना	भूमिस्वामी	249/1	1.400	0.122
31	जगतसींग बल्द शिवदयाल साकिन सींगना	भूमिस्वामी	249/2	0.400	
32	नन्हे भाई पिता छत्तर सिंह साकिन सींगना	भूमिस्वामी	249/3	1.800	
33	शिवरानी पत्नि छततरसींग साकिन सींगना	भूमिस्वामी	249/4	1.320	
34	राम किसन पिता गोले साकिन सींगना	भूमिस्वामी	250/1	1.410	0.394
35	गोविन्द पिता नन्हेभाई साकिन सींगना	भूमिस्वामी	250/2	0.610	
36	हनमत पिता गोले साकिन सींगना	भूमिस्वामी	250/3	1.010	
37	गोविन्द मुन्ना पिस. मानसींग पारवती मुन्नी पुत्री मानसींग भारीबाई बेवा कन्छेदी मोहन बूठे पिता कन्छेदी उषा पुत्री कन्छेदी साकिन सींगना	भूमिस्वामी	268	1.100	0.144
38	कमल पिता लक्ष्मीप्रसाद साकिन सींगना	भूमिस्वामी	271/1	1.450	0.264
39	महेश सिंह बल्द भूपत साकिन सींगना	भूमिस्वामी	271/2	1.130	
40	भूपत सींग पिता ग्या प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	271/3	1.250	
41	हरगोविन्द बल्द कमोदसींग साकिन सींगना	भूमिस्वामी	159/1	0.400	0.302
42	राजेन्द्र पिता लक्ष्मीप्रसाद सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	159/2	1.050	
43	प्रहलाद सींग बल्द कमोद साकिन सींगना	भूमिस्वामी	159/3	0.520	
44	कमल पिता लक्ष्मीप्रसाद साकिन सींगना	भूमिस्वामी	159/4	0.530	

45	हरगोविन्द बल्द कमोदसींग साकिन सींगना	भूमिस्वामी	158	1.200	0.115
46	प्रहलाद सिंह हरगोविन्द पिता कमोदसींग साकिन सींगना	भूमिस्वामी	153	1.020	0.048
47	कृष्णा सिंह बल्द लखनसिंह साकिन सींगना	भूमिस्वामी	152	1.500	0.042
48	किशोरसींग बल्द बट्टूलाल साकिन सींगना	भूमिस्वामी	150	1.120	0.043
49	छत्तरसींग पिता बट्टूलाल साकिन सींगना	भूमिस्वामी	149	0.750	0.013
50	गोविन्द, मुन्ना पिता मानसींग साकिन सींगना	भूमिस्वामी	269/1	1.610	0.403
51	भूपेन्द्र ना. वा. बल्द राजकुमार बली नन्हेभाई बल्द खुशाल साकिन सींगना	भूमिस्वामी	269/2	0.800	
		भूमिस्वामी	269/3	0.400	
योग:-			56	69.800	7.877

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 82-अ-82-17-18-323

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को मदनी जलाशय निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रकरण सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी जलाशय निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा। मदनी जलाशय निर्माण से करीब 370 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : मदनी जलाशय निर्माण हेतु  
 (2) भूमि का विवरण :  
 1. जिला : सागर  
 2. तहसील : केसली  
 3. ग्राम : कछवा  
 4. पट.ह.नं.- : 51  
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 41.920 है.

## :: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	साधुसिंह वल्द परसादी साकिन देह	भूमिस्वामी	206/1	2.200	1.600	
2	बलराम नाबालिग वल्द वली हुकम साकिन मदनी	भूमिस्वामी	206/2	0.400	0.350	
3	लालसींग पिता साधु साकिन मदनी	भूमिस्वामी	206/3	3.600	0.500	
4	मिहरवान नाबालिग वल्द वली गनेश	भूमिस्वामी	206/4	0.400	0.350	
5	महेश कुमार पिता कन्हैयालाल साकिन देह	भूमिस्वामी	211/1	3.070	2.700	
		भूमिस्वामी	212/3	0.280	0.230	
		भूमिस्वामी	214/3	0.210	0.210	
6	रविशंकर वल्द रामदीन साकिन देह	भूमिस्वामी	211/2	0.010	0.010	
		भूमिस्वामी	210/3	0.430	0.430	
		भूमिस्वामी	216/1	1.760	1.760	
7	निशा पुत्री बदीप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	211/3	0.010	0.010	
		भूमिस्वामी	210/4	0.430	0.430	
		भूमिस्वामी	216/2	1.760	1.760	
8	मदनलाल वल्द रामदीन साकिन देह	भूमिस्वामी	211/4	0.190	0.110	
		भूमिस्वामी	210/5	0.100	0.100	
		भूमिस्वामी	218/2	0.160	0.160	
		भूमिस्वामी	219	3.400	3.400	
9	पवन वल्द प्रेमसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	212/1	1.010	1.010	
10	धर्मन्द्र, हरिशंकर पिता महेन्द्र सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	212/2	1.290	0.980	
11	पुरुषोत्तम वल्द रामदीन साकिन देह	भूमिस्वामी	209	0.910	0.040	
12	रतनसिंह वल्द खेतसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	226/1	2.050	1.000	
13	शेवदीन पिता खेतसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	226/4	1.250	0.300	
14	नन्हेभाई वल्द मानसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	225/1	1.610	1.610	
15	मोहन पिता शंकर साकिन देह	भूमिस्वामी	225/2	1.100	0.450	
16	धनीराम पिता शंकर साकिन देह	भूमिस्वामी	225/3	1.100	0.450	
17	फूलरानी पति रतन सींग साकिन बेरसला	भूमिस्वामी	270/1	0.800	0.800	
18	शांतिबाई जोजे गुलाम साकिन देह	भूमिस्वामी	270/2	0.800	0.800	
19	ललताबाई उर्फ मायारानी पति ग्याप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	270/3	1.600	0.600	
20	हरीराम वल्द महुली, भागचंद वल्द महराज सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	271	1.660	1.000	

21	तीरथ वल्द हरीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	272/1	1.000	1.000
22	ज्ञानी वल्द मिहीलाल, लाड़ली जोजे ज्ञानी साकिन देह	भूमिस्वामी	272/2	2.000	1.500
23	फूलसिंह पिता मिहीलाल पटीवारी जोजे फूलसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	272/3	0.140	0.140
		भूमिस्वामी	269/3	0.150	0.090
24	विजय वल्द इमरत साकिन देह	भूमिस्वामी	274	0.400	0.320
25	देवी पिता चूरामन, खिलान पिता देवी साकिन देह	भूमिस्वामी	275	0.470	0.170
		भूमिस्वामी	279	1.140	0.340
26	महेन्द्र कुमार वल्द शिवप्रसाद साकिन सिंगपुर अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	268/2	1.990	0.740
27	इन्द्रानी जोजे मिहरवान सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	268/21	1.800	0.360
28	भैयाराम वल्द श्रीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	278	1.100	0.120
29	वनमाली पिता कन्हैयालाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	210/1	1.100	1.100
30	रामशंकर पिता कन्हैयालाल साकिन देह	भूमिस्वामी	210/2	0.430	0.430
		भूमिस्वामी	218/1	1.070	1.070
		भूमिस्वामी	223/4	0.180	0.180
		भूमिस्वामी	221	2.850	2.500
31	राजू, राजकुमार, गायत्री पिता रामसींग, संतोषरानी देवा रामसींग साकिन मदनी	भूमिस्वामी	214/1	0.730	0.730
32	रामप्रसाद वल्द गजराज साकिन मदनी	भूमिस्वामी	214/2	1.200	1.200
		भूमिस्वामी	215	2.230	2.230
33	गनेश वल्द जगन्नाथ साकिन मदनी	भूमिस्वामी	214/4	0.720	0.720
34	हुकम पिता जगन्नाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	214/5	0.730	0.730
35	शेवदीन वल्द खेतसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	222	0.160	0.160
36	रूपसींग पिता खेतसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	223/1	1.100	1.100
37	शंकर वल्द नन्नेभाई साकिन देह	भूमिस्वामी	223/2	0.720	0.720
38	हुकुम पिता पूरन साकिन मदनी	भूमिस्वामी	223/3	0.800	0.800
39	रामकली जोजे पल्लू साकिन देह	भूमिस्वामी	224	0.320	0.320
योग:-			54	58.120	41.920

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।



क्रमांक 83-अ-82-16-17-322

सागर, दिनांक 8 जनवरी 2018

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को मदनी जलाशय निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी जलाशय निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा। मदनी जलाशय निर्माण से करीब 370 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : मदनी जलाशय निर्माण हेतु  
 (2) भूमि का विवरण :  
 1. जिला : सागर  
 2. तहसील : केसली  
 3. ग्राम : मदनी  
 4. पट.ह.नं.- : 50  
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 12.790 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	गनेश वल्द जगन्नाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	213/1	0.550	0.070	
		भूमिस्वामी	219/1	0.480	0.210	
		भूमिस्वामी	224/1	0.170	0.050	
		भूमिस्वामी	223/1	0.150	0.150	
2	राजू राजकुमार पिता रामसींग, गायत्री पुत्री रामसींग, संतोषरानी देवा रामसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	213/2	1.210	0.090	
		भूमिस्वामी	224/2	0.170	0.050	
		भूमिस्वामी	223/2	0.150	0.150	
3	हकुम वल्द जगन्नाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	213/3	0.550	0.050	
		भूमिस्वामी	219/2	0.480	0.210	
		भूमिस्वामी	223/3	0.150	0.150	
		भूमिस्वामी	224/3	0.170	0.060	
4	प्रकाश वल्द महाराज सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	214/1	1.620	0.150	
5	यशवंत पिता तेजसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	218/1	0.480	0.200	
6	हीरासिंह पिता प्रहलाद सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	221/1	0.260	0.220	
		भूमिस्वामी	222/1	0.220	0.220	
		भूमिस्वामी	222/2	0.220	0.220	
		भूमिस्वामी	298/4	0.400	0.280	
7	संतोष सिंह, इन्द्राज सिंह पिता महेन्द्र सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	298/1	1.330	1.300	

8	खेमचंद, मूलचंद, संतोष, सुभाष, सुरेश पिता दरबारीलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	298/2	3.380	0.500
9	खेमचंद पिता दरबारीलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	304	0.640	0.240
10	जिनेन्द्र कुमार वल्द खेमचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	302	1.790	0.050
		भूमिस्वामी	310	2.480	2.480
		भूमिस्वामी	311	0.690	0.690
		भूमिस्वामी	305	4.360	4.000
11	श्री देव रघुनाथजी मुह. गोविन्ददास चेला लालदास साकिन बरमान प्रबंधक कलेक्टर सागर	भूमिस्वामी	307	0.350	0.350
12	निरंजन, गोविन्द पिता दयाशंकर साकिन देह	भूमिस्वामी	286/1	0.320	0.210
13	रघुराज पिता प्रेमसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	286/3	1.000	0.120
14	देवी पिता कीरत सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	286/4	0.800	0.150
15	जमना पिता कीरत साकिन देह	भूमिस्वामी	286/5	1.000	0.170
<b>योग:-</b>			<b>54</b>	<b>25.570</b>	<b>12.790</b>

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 84-अ-82-16-17-321

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को मदनी जलाशय निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी जलाशय निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा। मदनी जलाशय निर्माण निर्माण से करीब 370 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1)	परियोजना का नाम	:	मदनी जलाशय निर्माण हेतु
(2)	भूमि का विवरण	:	
	1. जिला	:	सागर
	2. तहसील	:	केसली
	3. ग्राम	:	किरकोटा
	4. पट.ह.नं.-	:	52
	5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	13.430 है.

### :: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री देव रघुनाथजी मुह. गोविन्ददास चेला रामदास साकिन बरमान प्रबंधक कलेक्टर सागर	भूमिस्वामी	126	22.250	11.640	
2	राजेश, कल्याण श्रीराम पिता उदयराम साकिन देह	भूमिस्वामी	127	1.940	0.170	
3	मदू, भागचंद पिता महाराज सींग, सदारानी देवा महाराजसींग, हरौराम वल्द मकुन्दी साकिन देह	भूमिस्वामी	128	2.160	1.620	
योग:-			03	26.350	13.430	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 52-अ-82-16-17-552

सागर, दिनांक 12 जनवरी 2018

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को मंसूरवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रकरण में सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नति एवं क्षेत्र का विकास होगा एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : मंसूरवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु  
 (2) भूमि का विवरण  
 1. जिला : सागर  
 2. तहसील : देवरी  
 3. ग्राम : परैना करन  
 4. पट.ह.नं.- : 19  
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.780 है.

### :: अनुसूची-1 ::

सं. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रताप पिता बैजनाथ साकिन सिलारी	भूमिस्वामी	354	0.660	0.070	
2	हिमांचल पिता बालचंद साकिन सिलारी	भूमिस्वामी	357	1.330	0.100	
3	अशोकरानी पति राजकुमार साकिन देह	भूमिस्वामी	355/1	0.350	0.050	
4	राजकुमार वल्द ग्याप्रसाद साकिन सिलारी	भूमिस्वामी	355/2	0.360	0.050	
5	विनय कुमार पिता परषोत्तम लोधी साकिन सिलारी	भूमिस्वामी	356	0.360	0.055	
6	हरीशंकर, बलराम, चेताराम बालिग अरविन्द नाबालिग पिता परषोत्तम वली माँ खुद श्यामरानी देवा परषोत्तम, इमरती, रामवती बालिग राजबाई नाबालिग पुत्री परषोत्तम वली माँ श्यामरानी देवा परषोत्तम साकिन देह	भूमिस्वामी	361/1	0.400		
7	राजकुमार वल्द ग्याप्रसाद साकिन सिलारी	भूमिस्वामी	361/2	0.460	0.010	
8	गनपत वल्द परमानंद, चेताराम अरविन्द नाबालिग वल्द परषोत्तम वली माँ श्यामरानी, इमरती रामवती बालिग राजबाई नाबालिग पुत्री परषोत्तम वली माँ खुद श्यामरानी देवा परषोत्तम साकिन देह	भूमिस्वामी	361/3	0.050		
9	गिरधारी वल्द भैरोंप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	348	0.170	0.020	
10	चेनसौंग पिता दौलत साकिन देह	भूमिस्वामी	349/1	0.020		
11	गिरधारी वल्द भैरोंप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	349/2	0.550		
12	गनपत वल्द परमानंद, चेताराम अरविन्द नाबालिग वल्द परषोत्तम वली माँ श्यामरानी, इमरती रामवती बालिग राजबाई नाबालिग पुत्री परषोत्तम वली माँ खुद श्यामरानी देवा परषोत्तम साकिन देह	भूमिस्वामी	349/3	0.080	0.070	

13	आलोक पिता सुभाषचंद चौबे साकिन देवरी	भूमिस्वामी	345	0.560	0.015
14	सुमनलता पति सुभाषचंद चौबे साकिन देवरी	भूमिस्वामी	346/1	0.430	
15	अजय कुमार वल्द हरिशंकर साकिन देवरी	भूमिस्वामी	346/2	1.320	
16	अमित कुमार वल्द हरिशंकर साकिन देवरी	भूमिस्वामी	346/3	1.330	
17	चेनसींग, श्रीसींग पिता दुरगसींग, लटकारी वेवा दुरगसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	346/4	0.200	0.270
18	प्रकाश प्रमोद भूपत पिता विष्णुप्रसाद कमलरानी वेवा विष्णुप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	346/5	0.200	
19	ऊषा पति हरीशंकर साकिन देवरी	भूमिस्वामी	346/6	0.400	
20	प्रमोद कुमार पिता विष्णुप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	346/7	0.800	
21	पुष्पेन्द्र वल्द चेनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	342/1	0.050	
22	खुमान वल्द दौलत साकिन देह	भूमिस्वामी	342/2	0.130	0.040
		भूमिस्वामी	342/3	0.480	
23	रेखा पुत्री रामस्वरूप साकिन देह	भूमिस्वामी	342/4	0.400	
24	चन्द्रप्रभा पति संतोष कुमार चौबे साकिन देवरी	भूमिस्वामी	334	1.770	0.100
25	संतोष कुमार वल्द राधाचरण चौबे साकिन देह	भूमिस्वामी	371	3.220	0.400
26	श्रीदेव गनेशजी, श्रीदेव हनुमानजी, महादेवजी, मुह. राजेश वल्द कृष्णानंद, कच्छेदीलाल वल्द बिहारीलाल साकिन रहली	भूमिस्वामी	386	1.080	0.050
27	सुभाषचंद, श्यामसुन्दर, सुशील कुमार, संतोष कुमार पिता राधाचरण, शकुनलता श्रीबाई, सिद्धीबाई, चन्द्रकली पुत्री राधाचरण साकिन देह	भूमिस्वामी	387	0.350	0.030
28	सरमनसींग वल्द दरयाव सींग, बैनीबाई विधवा दरयावसींग, शारदाबाई, मेंदाबाई, नन्नीबाई, अंबिकाबाई, शकुनबाई, द्वारकाबाई पुत्री दरयाव सींग साकिन विधवा	भूमिस्वामी	382/1	0.430	
29	चन्दाबाई पति हरिशंकर साकिन देह	भूमिस्वामी	382/2	0.400	0.050
30	तखतसींग वल्द मनमोदसींग साकिन सिलारी	भूमिस्वामी	382/3	0.480	
		भूमिस्वामी	382/5	0.200	
31	वीरेन्द्र सिंह वल्द रघुनाथ सिंह साकिन बिछुआ	भूमिस्वामी	382/4	0.600	
32	रघुनाथसींग वल्द भगवानसींग साकिन विधवा	भूमिस्वामी	382/6	0.170	
33	बहादुर पिता गनपत लोधी साकिन देह	भूमिस्वामी	388/1	0.440	0.040
34	मनोहर पिता गनपत साकिन देह	भूमिस्वामी	388/2	0.410	
35	निजाम, गिरधारी पिता भैरव साकिन देह	भूमिस्वामी	389/1	0.050	0.030
36	बहादुर पिता गनपत लोधी साकिन देह	भूमिस्वामी	389/2	0.380	
37	हरिशंकर, बलराम, चेताराम बालिग अरविन्द पिता परषोत्तम इमरती, रामवती बालिग राजबाई पुत्री परषोत्तम वली व खुद माँ श्यामरानी वेवा परषोत्तम साकिन देह	भूमिस्वामी	390	0.480	0.040
38	नंदकिशोर वल्द गनपत साकिन देह	भूमिस्वामी	398/1	0.410	
39	हरिशंकर, बलराम, चेताराम बालिग अरविन्द पिता परषोत्तम इमरती, रामवती बालिग राजबाई पुत्री परषोत्तम वली व खुद माँ श्यामरानी वेवा परषोत्तम साकिन देह	भूमिस्वामी	398/2	0.650	0.150
40	कुन्दन वल्द भैरोप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	398/3	0.810	
41	नंदकिशोर वल्द गनपत साकिन देह	भूमिस्वामी	399/1	0.240	0.080
42	तखतसींग वल्द मनमोदसींग साकिन सिलारी	भूमिस्वामी	399/2	0.400	
43	यशवंत रामकुमार लक्ष्मन पिता केशरसींग साकिन सिलारी	भूमिस्वामी	400	0.840	0.100

3

44	मनमोद, केशरसींग, हरिदयाल, जगदीश पिता नारायणसींग, पार्वती पिता नारायणसींग, रामनाथ वल्द लक्ष्मनसींग, सोमती पुत्री भगवानदास, दुलारी वेवा भगवानदास, रामेश्वर वल्द इन्दरसींग, बैजन्ती, मालती पुत्री इन्दरसींग, सियाबाई वेवा इन्दरसींग, भरत, लक्ष्मन, प्रकाश, औकार पिता तुलसीराम, प्रभा, ममता, विमला, छोटी पुत्री तुलसीराम, मीरा पुत्री बालचंद, लाइली वेवा लालचंद, प्रताप, कन्हैयालाल, सुदामा पिता बैजनाथ, फूलरानी वेवा बैजनाथ साकिन सिलारी	भूमिस्वामी	315	0.090	0.010
योग:-			46	24.990	1.780

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 53-अ-82-16-17-550

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को मंसूरीवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रकरण में सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नति एवं क्षेत्र का विकास होगा एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : मंसूरीवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु  
 (2) भूमि का विवरण  
 1. जिला : सागर  
 2. तहसील : देवरी  
 3. ग्राम : गोरखपुर  
 4. पट.ह.नं.- : 20  
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.156 है.

## :: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	काशीबाई देवा चन्दनसींग, मिलन नाबालिग वल्द चन्दनसींग वली माँ काशीबाई, रश्मी पुत्री चन्दनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	66/1	2.200	0.021	
2	भगवानसींग वल्द चन्दनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	66/2	2.390		
		भूमिस्वामी	66/3	0.400		
3	भूपनारायण वल्द रामचरण साकिन देह	भूमिस्वामी	65/1	5.200	0.270	
4	विनोद वल्द भूपनारायण साकिन झुनकू	भूमिस्वामी	65/2	0.160		
5	सौरभ वल्द भूपनारायण साकिन देह	भूमिस्वामी	65/3	2.000		
6	इन्दर सिंह पिता रामसहाय साकिन देह	भूमिस्वामी	64	0.720	0.140	
7	ब्रजेश कुमार वल्द इन्दर सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	63/1	0.600	0.090	
8	इन्दर सिंह पिता रामसहाय साकिन देह	भूमिस्वामी	63/2	0.120	0.020	
9	ब्रजेश कुमार वल्द इन्दर सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	62	0.720		
10	सुन्दरलाल, कुन्दनसींग, भूप नारायण, मोहनसींग, माखन, नरेन्द्र पिता गिरिश, राजरानी देवा गिरिश सकुनबाई, भागबाई, कुन्तीबाई पुत्री गिरिश साकिन देह	भूमिस्वामी	122/1	1.750		
11	राजरानी जोजे गिरिश साकिन देह	भूमिस्वामी	122/2	1.200	0.440	
12	मोहनसींग वल्द गिरिश साकिन देह	भूमिस्वामी	122/3	2.200		
13	माखनलाल वल्द गिरिश साकिन देह	भूमिस्वामी	122/4	1.200		
14	नरेन्द्र सींग वल्द गिरिश साकिन देह	भूमिस्वामी	122/5	2.200	0.035	
15	हेमराज नाबालिग वल्द वली माखनलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	122/6	1.000		
16	हरिशंकर, इन्दरसींग, राजेन्द्र पिता रामसहाय, भागवती, द्रोपती पुत्री रामसहाय साकिन देह	भूमिस्वामी	42	0.240		

17	सुन्दरलाल, कुन्दनसींग, भूप नरायण, मोहनसींग, माखन, नरेन्द्र पिता गिरिश, राजरानी वेवा गिरिश सकुनबाई, भागबाई, कुन्तीबाई पुत्री गिरिश साकिन देह	भूमिस्वामी	44	0.330	0.140
योग:-			18	24.630	1.156

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।



क्रमांक 54-अ-82-16-17-544

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को मंसूरीवारी जलाशय नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा। मंसूरीवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण से ग्राम की करीब 150 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : मंसूरवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु  
 (2) भूमि का विवरण :  
 1. जिला : सागर  
 2. तहसील : देवरी  
 3. ग्राम : सिलारी  
 4. पट.ह.नं.- : 19  
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 2.990 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	दिनेश सिंह वल्द तुलसीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	80	0.79	0.14	
2	महेश पिता खिलान सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	132	1.40	0.18	
3	देवीप्रसाद वल्द चित्तर, भागबाई पुत्री चित्तर साकिन देह	भूमिस्वामी	222/1	1.63	0.15	
5	प्रयागरानी पति मनमोदसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	222/2	0.11		
6	देवीप्रसाद वल्द चित्तर, भागबाई पुत्री चित्तर साकिन देह	भूमिस्वामी	223	0.36	0.03	
7	तुलसीराम, राजकुमार पिता महादेव प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	224/1	0.58	0.09	
8	पुष्पेन्द्र सिंह वल्द रविशंकर साकिन देह	भूमिस्वामी	224/2	1.30		
9	हरिओम पिता रामनाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	235/1	0.84		
10	ओमप्रकाश पिता रामनाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	235/2	1.20	0.12	
11	लालसाहब पिता रामनाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	235/3	1.20		
12	श्री देव जानकीरमण जी साकिन बेरढ़ाना मुह. हरिशंकर, उमाशंकर, रविशंकर, रमाशंकर, रेवाशंकर पिता शिवसहाय साकिन बेलढ़ाना	भूमिस्वामी	234	0.45	0.05	

13	रविशंकर पिता लक्ष्मीप्रसाद साकिन बेलढाना, जगदीश, राजेन्द पिता भगवानदास साहू साकिन झुनकू	भूमिस्वामी	239	0.18	0.01
14	राजाराम, देवीदयाल पिता रघुवर प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	243	0.40	0.01
15	महेश, परसराम, शत्रुघन, डेलन, भगवत, अर्जुन, शिवराम, दिनेश पिता खिलानसींग, रूपरानी वेवा खिलान साकिन देह	भूमिस्वामी	244	0.99	0.04
16	परसराम वल्द वासदेव प्रसाद साकिन जबलपुर	भूमिस्वामी	250	0.17	0.03
17	लक्ष्मीप्रसाद वल्द शिवप्रसाद, प्रशांत कुमार नाबालिग वल्द व वली राजकुमार वल्द लक्ष्मीप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	251	0.24	0.04
18	लक्ष्मीप्रसाद पिता शिवप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	252	0.22	0.07
19	बाबूलाल पिता मोहन साकिन सिलारपुर	भूमिस्वामी	261	0.06	0.02
	राजकुमार, राजेन्द्र कुमार, अनिल कुमार, महेन्द्र कुमार, नरेश कुमार पिता लक्ष्मीप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	263	3.11	0.14
20	प्रेमशंकर वल्द नथनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	265	0.45	0.18
21		भूमिस्वामी	357	3.84	0.07
22	केशरसींग पिता नारायण सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	440/1	0.12	
23	जगदीश पिता नारायण सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	440/2	0.20	
24	हरिदयाल पिता नारायण सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	440/3	0.24	0.19
25	प्रयागरानी वेवा मनमोद सिंह, चंपाबाई, खेमाबाई, तुलसाबाई पुत्री मनमोद साकिन देह	भूमिस्वामी	440/4	0.28	
	विष्णु वलद सुखदेन साकिन देह	भूमिस्वामी	364	0.75	0.09
26	हरिशंकर पिता भगवानदास साकिन देह	भूमिस्वामी	367	0.45	0.10
27		भूमिस्वामी	309	0.39	0.02
28	पूरन, कोमल पिता महगू, हीरा पुत्री महगू, सुखरानी वेवा महगू साकिन देह	भूमिस्वामी	365	0.64	0.15
29	जगदीश पिता नारायण सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	366/1	0.61	0.11
30	राजेश कुमार वल्द नन्हेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	366/2	0.30	
31	प्रताप, लक्ष्मनसींग, प्रथमकुमार, राममिलन पिता प्रभुदयाल, रामरानी वेवा प्रभुदयाल, गुड्डी, गीता, मुन्नीबाई पुत्री प्रभुदयाल साकिन देह	भूमिस्वामी	356	2.15	0.16
32	वल्देव पिता मुरलीधर साकिन देह	भूमिस्वामी	307/1	3.64	0.15
33	अभयराज पिता शिवराज सिंह साकिन देवरी	भूमिस्वामी	307/2	1.40	
34	गोविन्द प्रसाद वल्द भगवानदास साकिन देह	भूमिस्वामी	305	0.21	0.04
35	भरत पिता भुजबल सिंह साकिन बेलढाना	भूमिस्वामी	352	3.66	0.10
36	प्रताप, कन्हैयालाल, सुदामा पिता बैजनाथ, घासीबाई, जमनाबाई, रेवतीबाई पुत्री बैजनाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	113	1.44	0.05

37	उमाशंकर वल्द रामनाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	112	1.38	0.17
	मेहरबान वल्द भैयाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	111	0.92	0.08
38	भरत, लखन, हरीराम पिता दशरथ, कुन्ती, विमला,	भूमिस्वामी	109	1.13	0.07
39	चन्दा पुत्री दशरथ साकिन देह	भूमिस्वामी	246	0.14	0.04
40	प्रयागरानी वेवा मनमोद सिंह, चंपाबाई, खेमाबाई, तुलसाबाई पुत्री मनमोद साकिन देह	भूमिस्वामी	110	1.82	0.06
41	महेन्द्र कुमार वल्द लक्ष्मीप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	264	1.14	0.03
42	हरिशंकर पिता भगवानदास साकिन देह	भूमिस्वामी	259	0.01	0.01
<b>योग:-</b>			<b>44</b>	<b>42.540</b>	<b>2.99</b>

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 55-अ-82-16-17-554

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को मंसूरीवारी जलाशय नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नति एवं क्षेत्र का विकास होगा एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : मंसूरीवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु  
 (2) भूमि का विवरण  
 1. जिला : सागर  
 2. तहसील : देवरी  
 3. ग्राम : सेमराखेड़ी  
 4. पट.ह.नं.- : 19  
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 3.010 है.

### :: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	परशोत्तम, प्रहलाद, शिवसींग पिता कनई, ब्रजरानी वेवा कनई साकिन देह	भूमिस्वामी	74/1	0.27	0.17	
		भूमिस्वामी	76/2	1.80	0.23	
2	मोहनसींग पिता पदमसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	73/1	1.05	0.21	
		भूमिस्वामी	74/2	1.31	0.07	
3	भैयाराम पिता पदमसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	73/2	1.05	0.19	
4	निर्मय सींग, हरिशकर दिलीप सरमन बिहारी पिता नारायण सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	73/3	1.06	0.18	
5	मोती पिता गनेश, हनुमत, हीरालाल पिता मोहन साकिन देह	भूमिस्वामी	151/1	5.72		
6	संदीप वल्द कोमलचंद साकिन देवरी	भूमिस्वामी	151/2	0.10	0.41	
7	अमित वल्द शोभाराम जैन साकिन महाकाली वार्ड देवरी	भूमिस्वामी	151/3	0.01		
8	रामसींग वल्द बैजनाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	150/1	0.64		
9	नागेन्द्र कुमार पिता राजेन्द्र कुमार जैन साकिन झुनकी	भूमिस्वामी	150/2	0.24	0.10	

10	रामसींग वल्द बैजनाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	156	0.99	0.13
11	मधु पुत्री रमेश कुमार साकिन देवरी	भूमिस्वामी	154/1	1.49	
12	सौरभ कुमार वल्द शिवदयाल साकिन देह	भूमिस्वामी	154/2	1.10	0.12
13	सौरभ कुमार वल्द शिवदयाल साकिन देह	भूमिस्वामी	67/1	2.00	0.14
		भूमिस्वामी	155	1.21	0.11
14	मधु पुत्री रमेश कुमार साकिन देवरी	भूमिस्वामी	153	1.43	0.06
15	कमलरानी पति शालकराम साकिन देह	भूमिस्वामी	67/2	1.42	0.18
16	प्रेमसींग पिता गनेश साकिन सिलारी	भूमिस्वामी	65/1	1.58	0.18
		भूमिस्वामी	62/2	1.21	
17	देवीसींग वल्द भगवानदास साकिन देह	भूमिस्वामी	52/1	0.23	
18	परमानन्द, चुन्नीलाल, घासीराम, राजाराम पिता रेवाराम, शकुन, शांतिबाई, माया पुत्री रेवाराम, राजरानी वेवा रेवाराम अच्छेलाल पिता घनश्याम साकिन सिलारी	भूमिस्वामी	52/2	0.20	0.03
19	उत्तम वल्द भगवानदास साकिन देह	भूमिस्वामी	52/3	1.54	
20	ग्याप्रसाद वल्द शिवप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	55/1	0.77	0.10
21	पुष्पेन्द्र वल्द ग्याप्रसाद साकिन सिलारी	भूमिस्वामी	55/2	0.71	0.01
		भूमिस्वामी	58	0.28	0.08
22	रूपरानी जोजे भगवत प्रसाद साकिन सिलारी	भूमिस्वामी	59	0.34	0.10
23	सावित्री जोजे ग्याप्रसाद साकिन सिलारी	भूमिस्वामी	63	2.36	0.21
<b>योग:-</b>			<b>28</b>	<b>32.110</b>	<b>3.010</b>

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 56-अ-82-16-17-560

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को मंसूरीवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रकरण में सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकबे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : मंसूरवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु  
 (2) भूमि का विवरण  
 1. जिला : सागर  
 2. तहसील : देवरी  
 3. ग्राम : कटंगी  
 4. पट.ह.नं.- : 19  
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.900 है.

**:: अनुसूची-1 ::**

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	नेतराम वल्द रविशंकर साकिन सेमराखेड़ी	भूमिस्वामी	17/1	0.560	0.090	
2	तूफान वल्द ख्याली साकिन गोरखपुर	भूमिस्वामी	17/2	0.560		
3	तूफान वल्द ख्याली साकिन गोरखपुर	भूमिस्वामी	16	1.100	0.230	
4	राजकुमार वल्द मोहनससींग साकिन सेमराखेड़ी	भूमिस्वामी	15/3	1.100	0.070	
5	जानकी वल्द रामनाथ साकिन सेमराखेड़ी	भूमिस्वामी	15/2	1.000	0.160	
6	रामसिंग पिता बैजनाथ साकिन सेमराखेड़ी	भूमिस्वामी	14	1.370	0.130	
		भूमिस्वामी	13	1.280	0.010	
		भूमिस्वामी	26	0.040	0.010	
7	सुनीताबाई जोजे अशोक कुमार साकिन लक्ष्मी वार्ड देवरी	भूमिस्वामी	27/1	1.570	0.200	
8	अनिल कुमार पिता दयालचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	27/2	1.370		
योग:-			10	9.95	0.900	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 57-अ-82-16-17-559

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को मंसूरीवारी जलाशय नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नति एवं क्षेत्र का विकास होगा एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : मंसूरवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु  
 (2) भूमि का विवरण :  
 1. जिला : सागर  
 2. तहसील : देवरी  
 3. ग्राम : डोगर सलैया  
 4. पट.ह.नं.- : 36  
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.320 है.

### :: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4			7
1	हेमराज वल्द हल्काई साकिन देह	भूमिस्वामी	509	0.120	0.040	
2	टीकाराम वल्द कुदऊ साकिन देह	भूमिस्वामी	508	0.040	0.030	
3	जगन्नाथ, धनीराम, धरमदास पिता मकुन्दी, जनकरानी देवा भगवानदास साकिन देह	भूमिस्वामी	593	0.490	0.080	
4	राजेन्द्र पिता भुवानी साकिन देह	भूमिस्वामी	592	1.150	0.110	
5	अजुद्धी वल्द परमानंद साकिन देह	भूमिस्वामी	626	0.380	0.100	
6	सीताराम पिता हरदास साकिन बिछुआ भवतरा	भूमिस्वामी	625	1.190	0.210	
7	अग्नेन्द्र, धर्मेन्द्र, योगेन्द्र, धीरेन्द्र पिता रघुराज सिंह, जानकीबाई देवा रघुराज सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	642 641/1	0.680 0.410	0.090	
8	धमेन्द्र पिता रघुराज सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	641/2	2.000	0.420	
9	मृगेन्द्र वल्द रघुराज सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	641/3	2.000		
10	जानकीबाई पति रघुराज साकिन देह	भूमिस्वामी	641/4	4.000		
11	हरिराम, खलकसींग पिता नन्नाई साकिन देह	भूमिस्वामी	652	0.500	0.090	
12	तुलसीराम पिता शिवदयाल साकिन देह	भूमिस्वामी	655	0.510	0.040	

2

13	मृगेन्द्र वल्द रघुराज सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	654/1	0.080	
14	रामनाथ वल्द हरदास साकिन देह	भूमिस्वामी	654/2	0.230	0.090
15	आशाबाई पुत्री गुलाब साकिन देह	भूमिस्वामी	654/3	0.630	
16	रामनाथ वल्द हरदास साकिन देह	भूमिस्वामी	654/4	0.400	
17	घनश्याम सीताराम माखन पिता पन्ना गमता पुत्री पन्ना भगोनी वेवा पन्ना साकिन देह	भूमिस्वामी	656	0.080	0.020
योग:-			18	14.890	1.320

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।



क्रमांक 58-अ-82-16-17-545

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को मंसूरीवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रकरण में सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : मंसूरीवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु  
 (2) भूमि का विवरण  
 1. जिला : सागर  
 2. तहसील : देवरी  
 3. ग्राम : बिछुआ भवतरा  
 4. पट.ह.नं.- : 35  
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.820 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	रघुराज सिंह वल्द पंचम सिंह राजकुमार वल्द निरपत सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	38/1	1.170		
2	प्यारेलाल उर्फ पलू कमल पिता कुन्जीलाल, बिजेन्द्र सिंह पिता राजकुमार सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	38/2	0.500	0.220	
3	रामकृष्ण वल्द प्रीतम सिंह दांगी साकिन समनापुर सेठ	भूमिस्वामी	38/3	0.800		
4	मेहरबान सिंह वल्द रूपसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	52/1	2.110		
5	रामकृष्ण पिता रघुराज सिंह, प्यारेलाल उर्फ पलू कमल पिता कुन्जीलाल सोनी साकिन देह	भूमिस्वामी	52/2	0.120	0.140	
6	कमल प्यारेलाल पिता कुन्जीलाल साकिन बिछुआ भवतरा	भूमिस्वामी	52/3	0.280		
7	विशाल वल्द मिहरबान साकिन देह	भूमिस्वामी	47/1	2.010		
8	वीरेन्द्र वल्द मिहरबान साकिन देह	भूमिस्वामी	47/2	1.010	0.220	
9	निशा पति वीरेन्द्र सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	47/3	1.000		
10	राधारानी जोजे द्वारका प्रसाद साकिन देवरी	भूमिस्वामी	49/1	0.680		
11	निशा पति वीरेन्द्र सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	49/2	0.120	0.050	
12	अधारसींग, धीरजसींग, श्रीसींग पिता विश्राम सींग, रामकुंवर कलाबाई पुत्री विश्रामसींग, वीरेन्द्र दिलीप देवराज नेतराज धर्मेन्द्र जितेन्द्र पिता रघुनाथ सुशीलाबाई रूपवती पुत्री रघुनाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	74/1	3.690		
13	वीरेन्द्र पिता रघुनाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	74/2	0.220	0.030	
14	राजकुमार पिता निरपत सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	74/3	0.400		
15	श्रीमति चन्दाबाई पति नन्हे साकिन देवरी	भूमिस्वामी	74/4	0.400		

16	बलवीर सिंह वल्द मिहरबान सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	70/1	1.270	0.170
17	निशा पति वीरेन्द्र सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	70/2	0.040	
18	कुसुमरानी जोजे सोहन साकिन देह	भूमिस्वामी	71/1	0.610	
19	पार्वती वेवा लालसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	71/2	0.360	0.120
20	पार्वती वेवा लालसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	71/3	0.480	
21	कुसुमरानी पति सोहन सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	71/4	0.320	
22	ध्यानसिंह वल्द लालसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	167/1	0.410	0.060
23	सोहन वल्द विन्द्रावन साकिन देह	भूमिस्वामी	167/2	0.400	
24	गनेश पिता पन्नालाल साकिन देह	भूमिस्वामी	168/1	0.130	0.030
25	राजेन्द्र वल्द गुलाब साकिन देह	भूमिस्वामी	168/2	0.120	
26	जागेश्वर पिता पन्नालाल साकिन देह	भूमिस्वामी	166/1	0.060	
		भूमिस्वामी	166/3	0.800	0.050
27	अराधना पति शिवनारायण साकिन देह	भूमिस्वामी	166/2	0.260	
		भूमिस्वामी	166/4	0.800	
28	गनेश पिता पन्नालाल साकिन देह	भूमिस्वामी	169/1	0.300	
29	राजेन्द्र वल्द गुलाब साकिन देह	भूमिस्वामी	169/2	0.240	0.130
30	अराधना पति शिवनारायण साकिन देह	भूमिस्वामी	169/3	0.400	
31	निर्मय सिंह, रमेश सिंह, महेन्द्र सिंह, सोमपाल वीरसिंह पिता सूरज सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	160	0.140	0.060
32	जागेश्वर पिता पन्नालाल साकिन देह	भूमिस्वामी	171/1	0.010	0.190
33	अवधेश पिता रामसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	171/2	0.800	
34	मथराबाई जोजे बखतसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	179	1.010	0.110
35	बब्बू वल्द हल्कू साकिन देह	भूमिस्वामी	178	1.440	0.240
योग:-			37	24.910	1.820

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 59-अ-82-16-17-556

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को मंसूरीवारी जलाशय नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकबे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : मंसूरीवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु  
 (2) भूमि का विवरण  
 1. जिला : सागर  
 2. तहसील : देवरी  
 3. ग्राम : समनापुर सेठ  
 4. पट.ह.नं.- : 34  
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 3.809 है.

## :: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4			7
1	महेन्द्र पिता तुलसीराम काछी साकिन डोंगर सलैया	भूमिस्वामी	55/1	0.300	0.060	
2	मोहन, रामेश्वर पिता मलखान साकिन देह	भूमिस्वामी	55/2	0.610		
3	दामोदर पिता मलखान साकिन बिछुआ	भूमिस्वामी	53/1	0.400	0.080	
4	महेन्द्र पिता तुलसीराम काछी साकिन डोंगर सलैया	भूमिस्वामी	53/2	0.050		
5	जगरानी वेवा खलसींग, कुंवरबाई पुत्री खलसींग हरीराम विन्द्रावन वल्द नन्नाई साकिन बिछुआ	भूमिस्वामी	52/1	0.360	0.150	
6	ललिताबाई पति दशरथ सिंह साकिन बिछुआ	भूमिस्वामी	52/2	0.320		
7	चन्द्रहास पिता दशरथ सिंह साकिन बिछुआभवतरा	भूमिस्वामी	52/3	0.320	0.060	
8	दीपा, मनीष प्रतिमा पुत्री गनपत साकिन बिछुआ	भूमिस्वामी	51	0.400		
9	गजराज वल्द उदरसींग साकिन बिछुआ	भूमिस्वामी	51/400	0.600	0.060	
10	दशरथ सींग गजराज सींग मचकुन्द सींग वल्द उदरसींग साकिन बिछुआ	भूमिस्वामी	48	3.930	0.360	
11	दशरथ वल्द उदरसींग साकिन बिछुआ	भूमिस्वामी	48/401/1	1.120	0.130	
12	राजकुमार, सीताराम पिता हरदास साकिन देह	भूमिस्वामी	48/401/2	0.160		
13	रामनाथ पिता हरदास साकिन बिछुआ	भूमिस्वामी	48/401/3	0.320	0.150	
14	हरदास वल्द शालकराम साकिन देह	भूमिस्वामी	91	2.010		
15	ललिताबाई पति दशरथ सिंह साकिन बिछुआ	भूमिस्वामी	87/1	1.170	0.150	
16	भागवत प्रसाद वल्द बाबूलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	87/2	1.210		
17	अंकित छोदू नाबालिग पिता महेन्द्र कुमार चुनमुन नाबालिग पिता महेन्द्र कुमार वली व खुद माँ मीना वेवा महेन्द्र कुमार साकिन देह	भूमिस्वामी	87/3	1.000		
18	ललिताबाई पति दशरथ सिंह साकिन बिछुआ	भूमिस्वामी	87/4	0.400		

19	प्रतापसिंग वल्द बट्टूसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	85	1.970	0.190
20	रामचरण वल्द मल्थू कड़ारे वल्द प्यारेलाल, जगनसिंग, माखनसिंग वल्द लालसिंग, फूलाबाई वेवा लालसिंग, प्रीतमसिंग, भोपालसिंग पिता निर्भयसिंग, प्रतापसिंग, बट्टूसींग नरानसिंग, रामसिंग पिता भैयानाल, पेम्पनी वेवा लखनसिंग, कमलेश, हाकम पिता लखनसिंग, रेखा पुत्री लखनसिंग साकिन देह	भूमिस्वामी	76	6.380	0.370
21	श्रीदेव मुरलीधरजी मुह. वासुदेव प्रसाद वल्द रामदयाल प्रबंधक कलेक्टर महोदय सागर	भूमिस्वामी	77	1.670	0.180
22	मुलायमसिंग, चन्दनसिंग पिता नारायनसिंग, रानीदुलैया वेवा नारायनसिंग साकिन देह	भूमिस्वामी	78/1	0.770	
23	चन्दनसिंग वल्द नारायन साकिन देह	भूमिस्वामी	78/2	1.200	0.350
24	मुलायमसिंग, चन्दनसिंग पिता नारायनसिंग, रानीदुलैया वेवा नारायनसिंग साकिन देह	भूमिस्वामी	78/3	0.800	
25	मुलामसिंग पिता नरानसिंग साकिन देह	भूमिस्वामी	78/4	1.200	
26	सुरेन्द्र वल्द रामसिंग साकिन देह	भूमिस्वामी	145	1.850	0.210
27	भोले वल्द रामसिंग साकिन देह	भूमिस्वामी	254	1.360	0.160
		भूमिस्वामी	259	0.120	0.020
28	सीताराम वल्द राजाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	260/1	1.120	0.010
29	मुलामसिंग वल्द राजाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	260/2	1.300	
30	प्रीतम वल्द निर्भय सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	257/1	1.100	
31	भोपालसिंग वल्द निर्भय सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	257/2	0.390	0.160
32	भोले वल्द रामसिंग साकिन देह	भूमिस्वामी	257/3	0.700	
33	लटोरी वल्द हल्कू साकिन देह	सेवाखातेदार	299	0.560	0.080
34	इन्दरसिंह पिता गजराज सिंह वीरेन्द्र वल्द प्रीतम सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	300	1.350	0.100
35	गोविन्द पिता रामसहाय साकिन देह	भूमिस्वामी	313/1	0.270	
36	प्रदीप वल्द रामसहाय साकिन देह	भूमिस्वामी	313/2	0.020	0.080
37	इन्दर सिंह वल्द गजराज सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	313/3	0.360	
38	गोविन्द पिता रामसहाय साकिन देह	भूमिस्वामी	311	0.930	0.130
39	संजय, उपेन्द्र, आशीष पिता विष्णुप्रसाद, उमादेवी, अर्चना, वन्दना पुत्री विष्णुप्रसाद, प्रशांत, प्रवीण पिता कमलेश, वर्षारानी वेवा कमलेश, सुरेश कुमार रामप्रकाश वल्द जानकी प्रसाद, रामजीवन, शिवकुमार, दिनेश, रामकुमार, सुधीर वल्द राममनोहर, कातीबाई वेवा राममनोहर, पुष्पाबाई पुत्री श्याममनोहर साकिन देह	भूमिस्वामी	309	0.300	0.040
		भूमिस्वामी	331	0.280	0.050
40	सुरेश कुमार रामप्रकाश वल्द जानकी प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	330	1.500	0.110
41	उपेन्द्र वल्द विष्णुप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	333	0.920	0.090
		भूमिस्वामी	334	0.780	0.009
42	रामचरण वल्द काशीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	335/1	0.400	0.110
43	कुंवरबाई वेवा बलराम साकिन देह	भूमिस्वामी	335/2	0.400	

44	प्रभु ओमप्रकाश, राजू पिता श्यामलाल, पार्वती पुत्री श्यामलाल, जनकरानी वेवा श्यामलाल, अंकित, छोट्टू नाबालिग चुनमुन नाबालिग पिता महेन्द्र वली व खुद मौं मीना वेवा महेन्द्र, द्वारका प्रसाद पिता कुन्जीलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	90/1	0.490	0.160
45	रमेश, राजकुमार वल्द छोटेला ल साकिन देह	भूमिस्वामी	90/2	0.490	
46	जगदीश वल्द ग्याप्रसाद, उर्मिला पुत्री ग्याप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	90/3	0.490	
योग:-			49	46.150	3.809

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 60-अ-82-16-17-548

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को मंसूरीवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रकरण में सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नति एवं क्षेत्र का विकास होगा एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : मंसूरवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु  
 (2) भूमि का विवरण  
 1. जिला : सागर  
 2. तहसील : देवरी  
 3. ग्राम : खमरिया  
 4. पट.ह.नं.- : 36  
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.430 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4			7
1	आशीष आलोक पिता देवकीनंदन रानी साकिन बिछुवा	भूमिस्वामी	117	1.330	0.140	
2	राजकुमार वल्द निरपत सींग साकिन बिछुवा	भूमिस्वामी	115	1.950	0.130	
3	बिजेन्द्र सिंह वल्द राजकुमार साकिन बिछुवा	भूमिस्वामी	120	2.060	0.140	
4	सुरेन्द्र पिता निरपत साकिन बिछुवा	भूमिस्वामी	113	1.650	0.020	
5	मंगल, रामा, हल्लेभाई, सीताराम, रमेश पिता पूरन, कोमल पुत्री पूरन साकिन बिछुवा	भूमिस्वामी	106	0.320	0.080	
6	निर्मय, रमेश, महेन्द्र, सोमपाल, वीरसिंह वल्द सूरज सिंह साकिन बिछुआ	भूमिस्वामी	107	1.220	0.140	
		भूमिस्वामी	72	0.590	0.140	
7	भोलासींग पिता छोटेसींग साकिन बिछुवा भवतरा	भूमिस्वामी	73	3.140	0.130	
8	चेतराम, रामप्रसाद, कुलू पिता खुन्नी, पंचों बेवा खुन्नी साकिन बिछुवा	भूमिस्वामी	112/1	0.250	0.130	
9	रामप्रसाद, कलू पिता खुन्नी साकिन बिछुवा	भूमिस्वामी	112/2	0.250		
10	राजाराम पिता बल्ले साकिन डोंगर सलैया	भूमिस्वामी	91	1.100	0.130	
11	ताराबाई पति इन्द्राज सिंह दांगी साकिन बिछुआ भवतरा	भूमिस्वामी	90	0.730	0.100	
12	राजाराम वल्द वल्ले साकिन डोंगर सलैया	भूमिस्वामी	92/1	1.540	0.100	
13	जगदीश वल्द घासी साकिन बिछुवा	भूमिस्वामी	92/2	0.220		
14	पन्ना वल्द गुमान साकिन डोंगर सलैया	भूमिस्वामी	93	0.340	0.050	
	योग:-		15	16.690	1.430	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त

अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आलोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

क्र. 421-भू-अर्जन-2018

राजगढ़, दिनांक 11 जनवरी 2018

कमांक/...../भू-अर्जन/2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उसके संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण कमांक.07.../अ-82/2017-18 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब में प्रभावित भूमि तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की योजनान्तर्गत ग्राम बख्तावरपुरा के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा-11 अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

**अनुसूची-(1)**

**मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब में प्रभावित भूमि**

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे.में.	प्रयोजन
1	2	3	4
1	ग्राम बख्तावरपुरा (निजी भूमि)	2.210	मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब में प्रभावित भूमि

**अनुसूची (2)**

**मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब में प्रभावित तहसील ब्यावरा की निजी भूमि का विवरण**

क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम	सर्वे नं.	कुल भूमि रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
<b>ग्राम बख्तावरपुरा</b>				
1	अमृतलाल पिता जगन्नाथ जाति रूवाला नि.ग्रा.भू.	30/1	0.680	0.025
2	गंगाधर पिता शम्भूलाल जाति रूवाला नि.ग्रा.भू.	19/3	0.348	0.072
3	विक्रमसिंह ,रमेश पिता भारतसिंह मु. सुन्दरबाई बैवा भारतसिंह जाति रूवाला नि.ग्रा.भू.	19/2/1	0.467	0.076
4	विजयसिंह पिता रती राम जाति रूवाला नि.ग्रा.भू.	19/2/2/2	0.233	0.030
5	गोरीलाल पिता मांगीलाल जाति रूवाला नि.ग्रा.भू.	19/1	0.427	0.140
6	कालू पिता जगन्नाथ जाति रूवाला नि.ग्रा.भू.	15/1	0.449	0.075



1	2	3	4	5
7	जीतमल पिता जगन्नाथ जाति रुवाला नि.ग्रा.भू.	15/2	0.614	0.135
8	रतीराम पिता बापूलाल जाति रुवाला नि.ग्रा.भू.	13/1	0.076	0.076
		12/1	0.355	0.175
		2/1	0.612	0.250
9	रेवाराम पिता बापूलाल जाति रुवाला नि.ग्रा.भू.	13/2	0.039	0.039
		2/2	0.305	0.137
10	बद्रीलाल पिता बापूलाल जाति रुवाला नि.ग्रा.भू.	13/3	0.277	0.277
		2/3	0.235	0.050
		4/1	0.565	0.335
11	जगन्नाथ पिता बापूलाल जाति रुवाला नि.ग्रा.भू.	2/4	0.209	0.094
12	नरसंगलाल पिता रतीराम जाति रुवाला नि.ग्रा.पनाली	19/2/2/1	0.233	0.035
13	प्रेमसिंह पिता मांगीलाल जाति रुवाला नि.ग्रा.भू.	16/1	0.063	0.063
14	रमेश पिता मांगीलाल जाति रुवाला नि.ग्रा.भू.	16/2	0.063	0.063
15	हरिनारायण पिता मांगीलाल जाति रुवाला नि.ग्रा.भू.	16/3	0.063	0.063
योग:-		कुलकिता-20	6.313	2.210

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

क्र. 422-भू-अर्जन-2018

(अंतर्गत धारा-19 भूमि भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम टोलीघाटा के लिये डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है

अनुसूची (1)			
ग्राम - टोलीघाटा		तहसील - सारंगपुर	जिला राजगढ़
क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर	अर्जित रकबा
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बाँध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	128.720	113.418
योग		128.720	113.418

**अनुसूची (2)**

(1) कुण्डलिया बाँध परियोजना में प्रभावित होने से

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	मोबाईल नम्बर	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का
1	2	3	4	5	6
1	पूरा पिता पूना जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9685533049	2/2/2	0.506	0.506
			142/2	0.057	0.057
			143/2	0.057	0.057
			161/2	0.096	0.096
			162/2	0.006	0.006
			163/2	0.303	0.303
	<b>योग</b>			<b>1.025</b>	<b>1.025</b>
2	सिद्धनाथ पिता माधोसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9752826521	2/3	2.023	2.023
			135/1	0.322	0.322
			<b>योग</b>		<b>2.345</b>
3	गणपत केसर बाई रामूबाई पिता रामकिशन जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9179512111	2/4/1	0.286	0.286
			17/1	1.411	1.411
			27/1	0.816	0.816
			29/1/1	1.500	1.500
			93/1	0.227	0.227
			104/1	0.039	0.039
			105	0.024	0.024
			108	0.012	0.012
			172/1	0.438	0.438
			173	0.202	0.202
	<b>योग</b>			<b>4.955</b>	<b>4.955</b>
4	सिद्धलाल गोकुल पिता माधू जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9752826521	2/4/2	0.285	0.285
			17/2	1.411	1.411
			27/2	0.815	0.815
			93/2	0.190	0.190
			94	0.036	0.036
			172/2	0.639	0.639
			29/1/2	1.499	1.499
	<b>योग</b>			<b>4.937</b>	<b>4.937</b>

			५.३३१	५.३३१	
5	लाल सिंह पिता राम सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7909577094	3/1	0.544	0.544
			4	0.291	0.291
			6/1	1.044	1.044
			7	0.745	0.745
			10/1/1	0.689	0.689
			13/1	0.610	0.610
			14/1	0.116	0.116
			15/3/1	0.455	0.370
			16/2	0.506	0.506
			80	0.255	0.255
			81/1	0.086	0.086
			84/1	0.101	0.101
			85/1	0.057	0.057
			86/1	0.241	0.241
			87/1	0.360	0.360
			88	0.125	0.125
			89/1	0.321	0.321
			96/1	0.178	0.178
			101	0.012	0.012
			102/1	0.134	0.134
107	0.166	0.166			
111/2/1	0.014	0.014			
	योग		7.050	6.965	
6	देवीसिंह पिता रामसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9630587444	3/2	0.544	0.544
			5	0.380	0.380
			6/2	1.044	1.044
			8	0.429	0.429
			9	0.328	0.328
			10/1/2	0.689	0.689
			12	0.190	0.190
			13/2	0.304	0.304
			14/2	0.200	0.200
			15/3/2	0.455	0.370
			79	0.166	0.166
			81/2	0.039	0.039
			82	0.253	0.253
			83	0.049	0.049
			84/2	0.102	0.102
			85/2	0.056	0.056
			86/2	0.241	0.241
87/2	0.361	0.361			
89/2	0.322	0.322			

			91	0.012	0.012
			96/2	0.065	0.065
			102/2	0.145	0.145
			95/1	0.101	0.101
			111/2/2	0.013	0.013
		<b>योग</b>		<b>6.488</b>	<b>6.403</b>
7	प्रहलादसिंह चंदर सिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत निवासी कालापीपल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	895907852	10/2/1	0.689	0.689
		<b>योग</b>		<b>0.689</b>	<b>0.689</b>
8	भगवान सिंह पिता देवीसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9424427724	10/2/2	0.689	0.689
		<b>योग</b>		<b>0.689</b>	<b>0.689</b>
9	कालूसिंह पिता बलदेव जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8889755384	66/2	0.185	0.147
			130	0.328	0.328
		<b>योग</b>		<b>0.513</b>	<b>0.475</b>
10	अमरसिंह पिता बलदेव जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8889755384	11	0.898	0.898
			66/1	1.004	0.853
			131/2	0.027	0.027
			112	0.368	0.368
			115/2	0.036	0.036
		<b>योग</b>		<b>2.333</b>	<b>2.182</b>
11	सजनसिंह पिता देवीसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	955531902	15/1/1	0.506	0.370
		<b>योग</b>		<b>0.506</b>	<b>0.370</b>
12	हरिसिंह पिता धूला एवं बापूसिंह पिता देवीसिंह जाति दोंगी निवास ग्राम सेदरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9827862915	15/1/2	1.012	0.840
		<b>योग</b>		<b>1.012</b>	<b>0.840</b>
13	लक्ष्मीनारायण पिता मथरालाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9981894204	18/1	0.778	0.608
		<b>योग</b>		<b>0.778</b>	<b>0.608</b>
14	रामप्रसाद पिता मथरालाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8889755384	18/2	0.795	0.613
			23/2/3	0.338	0.338

			24/2/2	0.065	0.045
			74/3/2	0.126	0.126
			<b>योग</b>	<b>1.324</b>	<b>1.122</b>
15	कमलाप्रसाद पिता मथरालाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9165147729	18/3	0.939	0.695
			<b>योग</b>	<b>0.939</b>	<b>0.695</b>
16	गुलाबसिंह पिता रामनारायण जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9575827878	18/4	1.047	0.855
			<b>योग</b>	<b>1.047</b>	<b>0.855</b>
17	गोकुल पिता माधू जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9752826521	18/5	0.392	0.291
			23/2/2	0.338	0.338
			30/2	0.163	0.133
			<b>योग</b>	<b>0.893</b>	<b>0.762</b>
18	राजु पिता देवीसिंह मंजु आशा पुत्री देवीसिंह मांगीबाई बंवा देवीसिंह दिपक पिता हिरालाल टिना कौशल्या रचना पुत्री हीरालाल कमलाबाई बेवा हीरालाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम खुजनेर भूमि स्वामी	7697640478	19	0.227	0.227
			20	0.049	0.049
			74/2	1.267	1.000
			<b>योग</b>	<b>1.543</b>	<b>1.276</b>
19	बद्रीलाल पिता मथरालाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8966091850	21/1	0.327	0.327
			21/2/1	0.304	0.304
			22/1	0.100	0.100
			23/1/3	0.416	0.416
			24/3	0.024	0.020
			25/1/1	0.041	0.041
			26	0.340	0.340
			74/1/1/2	0.165	0.165
			<b>योग</b>	<b>1.717</b>	<b>1.713</b>
20	रामनारायण पिता कवर लाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9826303522	21/2/2	0.303	0.303
			22/2	0.078	0.078
			23/1/1	0.710	0.710
			23/1/2	0.416	0.416
			24/1	0.089	0.055
			57/1/3	0.271	0.271
			57/3	0.506	0.506
			58	0.684	0.684
			65/2/3	0.316	0.316
			113/2	0.069	0.069
			122/2	0.139	0.139
			126/2	0.152	0.152
			167/2	0.387	0.387
			<b>योग</b>	<b>4.120</b>	<b>4.086</b>
21	हरिप्रसाद पिता नारायण जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9826303522	23/2/1	0.674	0.674
			24/2/1	0.065	0.045
			30/1	0.287	0.207

			31	0.053	0.053
				1.079	0.979
22	अमरसिंह पिता नाथू जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8085098662	25/1/2	0.680	0.680
			25/2	0.405	0.405
			28	0.178	0.178
			29/2	0.215	0.215
			29/3	0.077	0.077
				1.555	1.555
24	देवीलाल पिता लक्ष्मण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	91111070040	34/1	0.953	0.480
			35/1	0.101	0.101
			36/1	0.045	0.045
			38/1	0.012	0.012
			39/1	0.020	0.020
			40/1	0.012	0.012
			41/1	0.316	0.316
			42/1	0.018	0.018
			43/1	0.215	0.215
			45/1	0.050	0.050
			44/1	0.417	0.417
			46/1	0.107	0.107
			48/1	1.214	1.214
			92/1	0.065	0.065
			134/1	0.071	0.071
				3.616	3.143
25	गंगाराम पिता लक्ष्मण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	91111070040	34/2	0.759	0.759
			35/2	0.101	0.101
			36/2	0.044	0.044
			38/2	0.012	0.012
			39/2	0.021	0.021
			40/2	0.012	0.012
			41/2	0.317	0.317
			42/2	0.018	0.018
			43/2	0.209	0.209
			44/2	0.417	0.417
			45/2	0.051	0.051
			46/2	0.107	0.107
			48/2	1.214	1.214
			92/2	0.064	0.064
			134/2	0.071	0.071
				3.417	3.417
26	रामसिंह पिता गंगाराम जाति गूर्जर निवासी	9685610276	49/1	0.140	0.140

	कालापीपल पता निवासी ग्राम कालापीपल भूमि स्वामी		50/1	1.771	1.771
	योग			1.911	1.911
27	मानसिंह पिता गंगाराम जाति गुजर पता निवासी ग्राम कालापीपल भूमि स्वामी	8959594553	49/2	0.141	0.141
			50/2	1.771	1.771
	योग			1.912	1.912
28	पन्नालाल पिता रतन सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7869814949	51/1	0.611	0.611
			52/1	0.097	0.097
			53/1	0.624	0.624
			54/1	0.173	0.173
			55/1	0.172	0.172
			188/1/2	1.000	1.000
	योग			2.677	2.677
29	करण सिंह पिता रतन सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7909710961	51/2	0.611	0.611
			52/2	0.097	0.097
			53/2	0.625	0.625
			54/2	0.173	0.173
			55/2	0.173	0.173
	योग			1.679	1.679
30	कालु सिंह पिता रतन सिंह अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7909710961	51/3	0.611	0.611
			52/3	0.097	0.097
			53/3	0.625	0.625
			54/3	0.172	0.172
			55/3	0.173	0.173
	योग			1.678	1.678
31	राधेश्याम पिता रामचंद्र जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9826910269	56	1.048	1.048
			188/3/4	1.000	0.050
	योग			2.048	1.098
32	मथुरालाल पिता कंवरलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9165147729	57/1/1	0.684	0.684
			57/1/2	0.279	0.271
			57/2	0.506	0.506
			65/2/2	0.315	0.315
			113/1	0.069	0.069
			122/1	0.140	0.140
			126/1	0.152	0.152
			72/4	2.529	0.150
			135/2	0.322	0.322
			167/1	0.386	0.386
	योग			5.382	2.995
33	जयनारायण बंदीलाल पिता कालु सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9755904545	65/1	1.226	1.226
			150	0.368	0.368
			174/2	0.316	0.316
			175/2	2.379	2.219
			176/1	0.113	0.113

			177	1.998	1.998
			194/3/1	0.594	0.500
		योग		6.994	6.740
34	भेरू सिंह जगन्नाथ सिंह पिता नंदलाल 1/2, कंवरलाल बापूलाल अमर सिंह गोपीलाल मुन्नालाल पिता भंवरलाल जाति धाकड़ 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9165147729	65/2/1	0.506	0.506
		योग		0.506	0.506
35	अमरू बाई पिता नारायण सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9977419011	67/1	0.595	0.595
			184/2/1	2.739	2.239
		योग		3.334	2.834
36	सौरम बाई पति बद्रीलाल जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9977419011	67/2	0.594	0.594
			184/2/2	2.571	2.071
		योग		3.165	2.665
37	नारायण सिंह पिता जालम सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9977419011	69	2.683	2.683
			72/2	3.035	0.700
			136/2	0.036	0.036
			137	0.214	0.214
			155	0.519	0.519
			156	0.024	0.024
			157	0.065	0.065
			179	1.226	1.226
			186	0.227	0.227
		योग		8.029	5.694
38	राधेश्याम पिता फत्ता , कौशल्या बाई पति राधेश्याम जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9630591645	70	2.059	1.359
			194/4	0.822	0.822
		योग		2.881	2.181
39	गोरधन पिता रूगनाथ सिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9981034081	72/3/1	1.072	0.772
		योग		1.072	0.772
40	रूघनाथ सिंह पिता अमर सिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9981034081	72/5/3	0.117	0.117
		योग		0.117	0.117
41	कंकूबाई बैवा हीरा जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9009501059	74/3/1	2.404	1.504
		योग		2.404	1.504
42	उंकार पिता गणेश जाति माली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		106	0.065	0.065
		योग		0.065	0.065
43	बापुलाल कालुराम कन्हैयालाल पुनमचंद पिता देवीसिंह सम्पतबाई दरियावबाई पुत्री देवीसिंह जाति दांगी पता निवासी ग्राम सेदरा भूमि स्वामी	7047212122	111/1	0.026	0.026
		योग	88	0.026	0.026



44	सौरभ बाई पति कालु सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9165644165	114	0.101	0.101
			123	0.024	0.024
			124	0.053	0.053
			125	0.024	0.024
			138	0.243	0.243
			140	0.024	0.024
			141	0.036	0.036
			146	0.089	0.089
			147	0.036	0.036
			148	0.036	0.036
			154	0.077	0.077
			<b>योग</b>		
45	रामबाबू सुरेश पिता बापू, शांतिबाई बैवा बापू जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9754958823	121	0.559	0.559
			149	0.061	0.061
			151	0.178	0.178
			152	0.178	0.178
			153	0.061	0.061
			158	0.024	0.024
			175/1	1.417	1.327
			176/2	0.165	0.165
<b>योग</b>				<b>2.643</b>	<b>2.553</b>
46	मोहन पिता रामनारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8959273703	127/1	0.081	0.081
			128/1	0.083	0.083
			129/1	0.009	0.009
			131/1/1	0.006	0.006
			164/1	0.205	0.205
			170/1	0.152	0.152
			178/1	0.475	0.113
			<b>योग</b>		
47	राधेश्याम पिता रामनारायण सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8959273703	127/2	0.081	0.081
			128/2	0.083	0.083
			129/2	0.009	0.009
			131/1/2	0.006	0.006
			139	0.024	0.024
			164/2	0.205	0.205
			178/2	0.475	0.113
			170/2	0.152	0.152
<b>योग</b>				<b>1.035</b>	<b>0.673</b>
48	देवी सिंह पिता रामनारायण सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8959273703	127/3	0.081	0.081
			128/3	0.083	0.083
			129/3	0.009	0.009
			131/1/3	0.007	0.007
			170/3	0.152	0.152
			164/3	0.206	0.206
			178/3	0.474	0.113
<b>योग</b>				<b>1.012</b>	<b>0.651</b>
49	गोविंद पिता शंकर जाति सुतार पता निवासी	8959273703	127/4	0.082	0.082

	ग्राम भूमि स्वामी		128/4	0.083	0.083
			129/4	0.009	0.009
			131/1/4	0.007	0.007
			164/4	0.206	0.206
			170/4	0.151	0.151
			178/4	0.474	0.112
			<b>योग</b>		<b>1.012</b>
50	करणसिंह पिता पुरा सैतानबाई छायाताबाई पिता पुरा जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9981894204	132	0.202	0.202
			133	0.227	0.227
			171	0.773	0.773
			174/1/6	1.000	1.000
			<b>योग</b>		<b>2.202</b>
51	पन्नालाल करण सिंह कालू सिंह पिता रतन, हिस्सा 33 पैसे, लक्ष्मण पिता उंकार, रामबाबू सुरेश पिता बापू, शांति बाई बैवा बापू, हिस्सा 67 पैसे जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9754958823	160	0.809	0.809
			<b>योग</b>		<b>0.809</b>
52	जयनारायण बद्रीलाल पिता कालु सिंह ना.बा. सरपरस्त पिता कालु सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9755904545	165	0.758	0.455
			<b>योग</b>		<b>0.758</b>
53	कालु सिंह पिता मांगीलाल जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9765644165	168	1.404	1.150
			169/1	0.761	0.761
			<b>योग</b>		<b>2.165</b>
54	बद्रीलाल पिता नारायण सिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9977419011	169/2	1.416	1.416
			<b>योग</b>		<b>1.416</b>
55	शंकर लाल पिता पूरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9685533049	174/1/1	1.000	1.000
			<b>योग</b>		<b>1.000</b>
56	सिद्धनाथ पिता किशन जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9009501059	174/1/2	1.000	1.000
			<b>योग</b>		<b>1.000</b>

57	शांताबाई बेवा रमेश रुकमबाई पुत्री रमेश जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8085752062	174/1/3	1.000	1.000
			187/2	0.350	0.350
	योग			1.350	1.350
58	प्रभुलाल पिता भंवर लाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9009501059	174/1/4	1.300	1.300
	योग			1.300	1.300
59	शंकर पिता पूरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9009501059	185/1	0.150	0.150
	योग			0.150	0.150
60	कैलाश पिता पूरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8462831173	185/2	0.200	0.200
			187/1	0.200	0.200
	योग			0.400	0.400
61	सिद्ध,लाड़कपुर पिता किशन,ककुंबाई बेवा किशन जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9009501059	188/1/1	1.000	1.000
	योग			1.000	1.000
62	बने सिंह पिता लालसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8225910314	188/1/3	2.000	2.000
	योग			2.000	2.000
63	बापूलाल पिता तुलसीराम जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9717418770	194/6	2.013	0.200
	योग			2.013	0.200
64	कमलसिंह पिता मंथुरालाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9165147729	63/1	0.367	0.367
	योग			0.367	0.367
65	हरिप्रसाद पिता रामनारायण जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9826303522	63/2	0.366	0.366
	योग			0.366	0.366
66	देवीसिंह पिता भागीरथ जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		15/2	0.506	0.421
			16/1	1.012	1.012
			174/1/5	1.000	1.000
			योग		2.518
योग				128.720	113.418

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी सारंगपुर कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 15103.—

राजगढ़, दिनांक 30 जून 2017

चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में तलेन से धुआखेडी मार्ग तहसील पचोर जिला राजगढ़ में प्रभावित होने वाले कृषकों की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची (1)

ग्राम	तलेन धुआखेडी मार्ग में अर्जित की जाने वाली भूमि	तहसील	मुच्यता
क्र.	ग्राम का नाम	वर्णित की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग कवा)	सर्वे क्रमांक
1	तलेन	14.452	0.956
2	बनारा	29.042	2.316
योग		43.494	3.272

### अनुसूची (2)

(1) तलेन धुआखेडी मार्ग में अर्जित की जाने वाली भूमि ग्राम तलेन

क्र.	कृषक का नाम/पिता / पति का नाम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (वर्ग कवा)	अर्जित की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल
1	सिद्धलाल पिता हरलाल जाति अनुसूचितजाति पता निवासी तलेन	322	0.379	0.025
	योग		0.379	0.025
2	रमेशचंद्र पिता तुलसीराम जाति अहीर पता निवासी तलेन	618	0.810	0.070
	योग		0.810	0.070
3	मनोज पिता रमेशचंद्र जाति अहीर पता निवासी तलेन	617	0.329	0.030
	योग		0.329	0.030
4	अशोक कुमार पिता शिवनारायण जाति अहीर पता निवासी तलेन	678	0.405	0.040
	योग		0.405	0.040
5	अनुबाई पुत्री ठाकुरसिंह जाति अहीर पता निवासी तलेन	612	0.354	0.140
	योग		0.354	0.140
6	अशोक कुमार पिता रामप्रसाद जाति महाजन पता निवासी तलेन	605	2.112	0.080
		611	1.138	0.040
	योग		3.250	0.120
7	हरिप्रसाद पिता छीतर जाती अहीर पता निवासी तलेन	604	0.531	0.030
	योग		0.531	0.030
8	अमरसिंह पिता काशीराम जाति अहीर पता निवासी तलेन	598	0.126	0.060

	योग		0.126	0.060
	रमेशचंद्र पिता नारायणसिंह जाति अहीर पता निवासी तलेन	599/1,600/1,601/1	2.362	0.050
	योग		2.362	0.050
10	सिध्दनाथ पिता नारायणसिंह जाति अहीर पता निवासी तलेन	599/2,600/2,601/2	2.362	0.030
		599/3/1,600/3,601/3/1	1.339	0.101
	योग		3.701	0.131
11	कन्हैयालाल उर्फ कनिराम पिता रज्जू गिर जाति गुसाई पता निवासी तलेन	596	0.949	0.070
	योग		0.949	0.070
12	मनमोहन पिता करनसिंह जाति अहीर पता निवासी तलेन	595/1	0.076	0.030
	योग		0.076	0.030
13	कनीचम चंदरसिंह पिता हरिप्रसाद जाति अहीर निवासी तलेन	594/2/1	0.410	0.030
	योग		0.410	0.030
14	कृष्णाबाई पुत्री विहारीदास जाति बैरागी पता निवासी तलेन	594/2/2	0.137	0.020
	योग		0.137	0.020
15	करणसिंह पिता रजनाथसिंह जाति अहीर पता निवासी तलेन	572/1	0.234	0.025
	योग		0.234	0.025
16	बाबूलाल पिता दुर्गाप्रसाद जाति अहीर पता निवासी तलेन	572/2	0.234	0.025
	योग		0.234	0.025
17	केदारसिंह भेरूसिंह पिता बाबूलाल जाति अहीर पता निवासी तलेन	573	0.544	0.060
	योग		0.544	0.060
	कुल योग		14.452	0.956
(ii) तलेन धुआखेडी मार्ग में अजित की जाने वाली भूमि ग्राम बमोरी				
18	गोपालसिंह पिता नरसिंहलाल जाति महाजन पता निवासी तलेन	22/3	0.555	0.100
		23/2/1	1.472	0.015
	योग		2.027	0.115
19	मकरा पिता नरसिंहलाल जाति महाजन पता निवासी तलेन	23/2/2	2.024	0.074
	योग		2.024	0.074
20	रमेश पिता छिन्ना हिस्सा 75 प्ले पार्वतिबाई बेवा छिन्ना हिस्सा 75 प्ले जाति अनुसूचित जाति पता निवासी तलेन	23/5	0.809	0.048
	योग		0.809	0.048
21	शंकरलाल पिता छिन्ना जाति अनुसूचितजाति पता निवासी तलेन	23/6	0.203	0.014
	योग		0.203	0.014
22	शंभुमदास पिता नरसिंहलाल जाति महाजन पता निवासी तलेन	24	0.696	0.089
	योग		0.696	0.089
23	राम बाबु पिता दालचन्द जाति कुम्हार पता निवासी तलेन	31/2	0.228	0.032
	योग		0.228	0.032
24	दालचन्द पिता जुगराम जाति कुम्हार पता निवासी तलेन	31/3	1.012	0.059
		31/4	0.759	0.081
	योग		1.771	0.120

	सुनिल कुमार पिता ओम प्रकाश सहगल पता निवासी तलेन	31/8	0.508	0.051
	योग		0.508	0.051
26	मुस्ताक अहमदपिता अब्दुल गनी जाति मुसलमान पता निवासी तलेन	31/8	0.253	0.082
	योग	191/2	0.506	0.052
27	देवा पिता भागिरथ जाति बलाई निवासी ग्राम बमोरी	31/5	0.558	0.030
	योग		0.558	0.030
28	सोनार सिंह पिता हत्तीसिंह जाति राजपुत्र पता निवासी ग्राम बमोरी	48/1/1	0.024	0.007
	योग		0.024	0.007
29	तख्त सिंह पिता दोलत सिंह जाति राजपुत्र पता निवासी ग्राम बमोरी	50/1	0.632	0.058
	योग	179/4/1	1.517	0.180
	योग		2.149	0.238
30	गिरधारीलाल पिता गंगाराम जाति बलाई पता निवासी ग्राम बमोरी	50/2/2	0.468	0.057
	योग		0.468	0.057
31	गोन्दकृष्ण पिता सानसिंह जाति राजपुत्र पता निवासी ग्राम बमोरी	175	1.189	0.058
	योग		1.189	0.058
32	राजेन्द्र सिंह दीपसिंह पिता विजय सिंह रतनकुंवर बेवा विजयसिंह जाति राजपुत्र पता निवासी ग्राम बमोरी	178/1	2.095	0.084
	योग		2.095	0.084
33	रेखाबाई पति सिधुलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम बमोरी	179/4/2	0.253	0.038
	योग		0.253	0.038
34	सिद्दलाल पिता नारायण सिंह जाति बलाई पता निवासी ग्राम बमोरी	179/7	0.253	0.042
	योग	179/3/3	0.759	0.036
	योग		1.012	0.078
35	नारायण सिंह पिता भवर लाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम बमोरी	179/3/1	0.285	0.048
	योग		0.285	0.048
36	देवी सिंह पिता नारायण सिंह जाति बलाई पता निवासी ग्राम बमोरी	179/3/2	1.000	0.060
37	योग		1.000	0.060
38	दीपक कुमार पिता ओम प्रकाश जाति सहगल पता निवासी तलेन	179/1	1.644	0.274
	योग		1.644	0.274
39	नाथु पिता काशीराम जाति बलाई पता निवासी ग्राम बमोरी	191/1/1	1.631	0.082
	योग		1.631	0.082
40	जयराम पिता भेरु सिंह जाति तेली पता निवासी ग्राम बमोरी	191/1/2	0.253	0.027
	योग		0.253	0.027
41	मुस्ताक पिता अब्दुलगनी जाति मुसलमान पता निवासी तलेन	191/1/3	0.379	0.034
	योग		0.379	0.034
42	लीला बाई पुत्री माधोलाल जाति पारदी पता निवासी ग्राम बमोरी	194/1/1	0.632	0.019
	योग	195	0.771	0.059
	योग		1.403	0.078

	कुलदीप सन्दीप पिता शिवनारायण कृष्णाबाई देवा शिवनारायण जाति चोरसिया पता नियासी ग्राम बमोरी	194/2/2	0.508	0.054
	योग		0.508	0.054
44	गोरिशंकर पिता भेरुलाल जाति तेली पता नियासी तलेन	197/1	0.738	0.054
	योग		0.738	0.054
45	अशोक कुमार पिता भेरुलाल जाति तेली पता नियासी तलेन	197/2	0.737	0.054
	योग		0.737	0.054
46	गोविन्द पिता भेरुलाल जाति तेली नियासी तलेन	197/3	0.737	0.054
	योग		0.737	0.054
47	गुलाब सिंह पिता रतन सिंह जाति चोरसिया पता नियासी ग्राम बमोरी	198/1	1.489	0.133
	योग		1.489	0.133
48	बलराम सिंह पिता रतन सिंह जाति चोरसिया पता नियासी ग्राम बमोरी	198/2	1.489	0.123
	योग		1.489	0.123
	<b>कुलयोग</b>		<b>29.042</b>	<b>2.316</b>
	<b>महायोग</b>		<b>43.494</b>	<b>3.272</b>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

क्र. 0430

राजगढ़, दिनांक 12 जनवरी 2018

मोहनपुरा परियोजना जल संसाधन विभाग राजगढ़ के लिए सूची अनुसार ग्राम भादवाखेड़ा के भूमि धारको की भूमि के पक्ष में कय की कार्यवाही की जा रही है ।

क्र०	भूमि स्वामी का नाम एवम पिता का नाम व जाति तथा नियासी	कय की जाने वाली सर्वे नं	कय किया जाने वाले भूमि का रकबा	ग्राम	तहसील	जिला
1	2	3	4	5	6	7
1	रायसिंह, रामबाबू, सुगनबाई, नोरंगबाई, चिन्ताबाई पिता श्रीलाल, गुलाबबाई पति श्रीलाल जाति लोडा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	69/3	0.141	भादवाखेड़ा	राजगढ़	राजगढ़
	<b>योग :-</b>		<b>0.141</b>			

उपरोक्त कय की जाने वाले मकान सम्पूर्ण या उसके किसी भाग से किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय, व्यक्ति वित्तीय संस्था, बैंक, सोसायटी एवम अन्य का किसी प्रकार का कोई हित, स्वत्व, संबंध, या किसी प्रकार का कोई लेन देन हो अथवा उक्त सम्पत्ति कही रहन, भार, सम्यक, बंधक, दान में आदि हो तो वह इस सूचना पत्र प्रकाशन की 15 दिवस की अवधि में मय प्रमाण पत्र सहित दस्तावेज मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करें समयावधि निकल जाने के पश्चात किसी भी प्रकार का दावा, स्वत्व या आपत्ति बंधनकारी नहीं होगी, अधोहस्ताक्षरकर्ता इस संपत्ति का विक्रय प्रतिफल राशि अदा कर विक्रय पत्र शासन पक्ष मे पंजीयन करवाने के लिये स्वतंत्र होंगे ।

कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर.

**विभाग प्रमुखों के आदेश**  
**कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व)**  
**तहसील-सांवेर, जिला-इन्दौर मध्यप्रदेश**

क्रमांक 250-भू-अर्जन-2017-राजस्व प्रकरण क्र. 38-अ-82-2016-17

सांवेर, दिनांक 18 जनवरी 2018

प्ररूप-“घ”

[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-1921/भू-अर्जन/2017, सांवेर, दिनांक 05-06-2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दौधी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.06.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगनों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	बड़ोदिया पंथ, प.ह.न. - 01	392/2	0.051
			393/4	0.025
			393/3	0.066
			386/1	0.093
			370/2/1	0.018



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	बड़ोदिया पंथ, प.ह.न. - 01	370/2/2	0.046
			378	0.022
			377/6	0.039
			377/7	0.079
			377/4	0.019
			377/2	0.011
			362/2	0.080
			361	0.027
<b>कुल योग</b>			<b>13</b>	<b>0.576</b>

क्रमांक 253-भू-अर्जन-2017-राजस्व प्रकरण क्र. 33-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1916/भू-अर्जन/2017, सांवेर, दिनांक 05-06-2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दौयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.06.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	पिपलई, प.ह.न.- 02	237	0.216
			236/4	0.058
			227/3	0.028
			227/2	0.038
			227/1	0.040
इन्दौर	सांवेर	पिपलई, प.ह.न.- 02	226/2	0.014
			226/1	0.077
			223	0.091
			224/3	0.027
			224/2	0.031
			224/1	0.037
			214/1/2	0.070
			214/1/1	0.069
			211/2	0.078
212	0.014			
<b>कुल योग</b>			<b>15</b>	<b>0.888</b>

क्रमांक 256-भू-अर्जन-2017-राजस्व प्रकरण क्र. 37-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1928/भू-अर्जन/2017, सांवेर, दिनांक 05-06-2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दौयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.06.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	खामोद आंजना, प.ह.न.- 02	292/2	0.138
			293/2	0.053
			293/1	0.051
			295	0.149
			296	0.008

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	खामोद आंजना, प.ह.न.- 02	297	0.038
			251/2	0.190
			251/3	0.096
			251/1/1	0.074
			248/2/2	0.051
			248/2/1	0.072
			251/1/2	0.057
			248/1/Min-3	0.038
			248/1/Min-2	0.019
			248/1/Min-1	0.066
			242/8	0.016
कुल योग			16	1.116

क्रमांक 259-भू-अर्जन-2017-राजस्व प्रकरण क्र. 36-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1941/भू-अर्जन/2017, सांवेर, दिनांक 05-06-2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक नर्मदा-मालवा-गंधीर लिंक परियोजना की दौयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.06.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगनों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	खलखला, प.ह.न.- 20	480/1	0.020
			495	0.030
			496/1	0.090
			499	0.016
			497/3	0.035
इन्दौर	सांवेर	खलखला, प.ह.न.- 20	497/1	0.066
			497/2	
			498	0.062
			474/1	0.080
			469/1	0.142
			476	0.019
कुल योग			11	0.560

क्रमांक 262-भू-अर्जन-2017-राजस्व प्रकरण क्र. 35-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1948/भू-अर्जन/2017, सांवेर, दिनांक 05-06-2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दायी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.06.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	घटगारा, प.ह.न.- 02	151	0.014
			129/1	0.018
			147/3	0.086
			150/2	0.074
			147/2	0.063

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	घटगारा, प.ह.न.- 02	147/1	0.045
			146/2	0.007
			146/3	0.090
			138/3	0.178
			134/3	0.016
			133/2	0.055
			133/1	0.001
			128/2/2	0.001
			130/4	0.117
			130/2	0.097
			128/2/1	0.055
			128/1	0.073
<b>कुल योग</b>			<b>17</b>	<b>0.990</b>

क्रमांक 265-भू-अर्जन-2017-राजस्व प्रकरण क्र. 40-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 1936/भू-अर्जन/2017, सांवेर, दिनांक 05-06-2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दौयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.06.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	साँवेर	हासाखेड़ी, प.ह.न.- 02	452	0.010
			344/1	0.019
			445/2	0.050
			445/1	0.027
			446/2	0.013
			446/1	0.051
			385/2	0.039
			385/1	0.003
			379/1	0.022
			384	0.017
			383	0.008
			382/2	0.038
			382/1	0.045
			339/1	0.051
			393/2	0.042
			393/1	0.038
			394	0.058
			396	0.106
			398	0.022
400/2	0.011			



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
			401/2/1	0.026
			401/2/2	0.039
			401/1	0.040
			403	0.046
			405/1	0.058
			406	0.013
			408	0.074
			313/3/2/1	0.008
			313/3/2/2	0.008
			313/3/1/1	0.043
			313/3/1/5	0.034
			313/3/1/6	0.002
			313/3/1/3	0.018
इन्दौर	सावेर	हासाखेड़ी, प.ह.न.- 02	313/3/1/4	0.016
			312	0.025
			313/2/1	0.066
			337/1/1	0.092
			337/2	0.006
			338/3	0.053
			75/1/2/1	0.001
			74	0.066
			340/3	0.067
			340/2	0.019
<b>कुल योग</b>			<b>43</b>	<b>1.490</b>

क्रमांक 268-भू-अर्जन-2017-राजस्व प्रकरण क्र. 39-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-1931/भू-अर्जन/2017, सांवेर, दिनांक 05-06-2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दौरी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.08.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	कछालिया, प.ह.न.- 24	272	0.056
			271	0.109
			270	0.094
			269/2	0.045
			266	0.029
इन्दौर	सांवेर	कछालिया, प.ह.न.- 24	265	0.019
			212	0.011
			211	0.133
			207	0.037
			206/2	0.030
			206/1	0.056
कुल योग			11	0.619

क्रमांक 271-भू-अर्जन-2017-राजस्व प्रकरण क्र. 34-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-1911/भू-अर्जन/2017, सांवेर, दिनांक 05-06-2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक नर्मदा-मालवा-गभीर लिंक परियोजना की दौयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.06.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	बलधारा, प.ह.न. - 19	230	0.013
			14/2	0.001
			14/1/1	0.008
			229	0.105
			228/1	0.066

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	बलधारा, प.ह.न. - 19	228/2	0.008
			222	0.020
			133/2	0.132
			135/2	0.087
			119/1/2	0.021
			119/1/1	0.023
			133/1	0.012
			134	0.163
			122	0.054
			122/421	
			97	0.161
			20	0.132
			119/2	0.043
			118/2	0.035
			118/1	0.120
			117/3	0.001
			116	0.118
			19	0.055
			18	0.067
			17/3.	0.050
16/3.	0.102			
14/1/2.	0.060			
14/1/6.	0.038			
14/1/3.	0.045			
14/1/4.	0.060			
कुल योग			30	1.800

रवीश श्रीवास्तव, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.

**कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व)**

**उज्जैन जिला-उज्जैन मध्यप्रदेश**

क्रमांक 305-भू-अर्जन-2018-राजस्व प्रकरण क्र. 6-अ-82-2017-18

उज्जैन, दिनांक 17 जनवरी 2018

प्ररूप-"घ"

[नियम-6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 4638/भू-अर्जन/2017, उज्जैन, दिनांक 03.11.2017 द्वारा, राज्य सरकार के ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दौयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.11.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	हमीरखेड़ी, प.ह.न.-17	1438/1479/2	0.082
			1439/1	0.073
			1388/1476	0.047
			1386	0.016
			1384/1477	0.018

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	हमीरखेड़ी, प.ह.न.-17	1384	0.048
			1385	0.035
			1298/1528	0.023
			1304	0.051
			1305	0.014
			1293	0.038
			1311	0.034
			1309/2	0.008
			1314	0.052
			1312	0.014
			1310	0.028
			1310/1490	0.010
			1316/2	0.005
<b>कुल योग</b>			<b>18</b>	<b>0.596</b>

राजस्व प्रकरण क्र. 3-अ-82-2017-18

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 4644/भू-अर्जन/2017, उज्जैन, दिनांक 03.11.2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दौरी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.11.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	टकवासा, प.ह.न.-16	1251	0.064
			1252	0.073
			1099	0.120
			1098	0.093
			1095	0.089
			1094	0.022
कुल योग			6	0.461

क्रमांक - भू-अर्जन-2018-राजस्व प्रकरण क्र. 2-अ-82-2017-18

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 4646/भू-अर्जन/2017, उज्जैन, दिनांक 03.11.2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दौयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.11.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	फतेहाबाद, प.ह.न.-19	596/2	0.134
			595	0.024
			515/1	0.047
			500/2	0.075
			500/1	0.074
उज्जैन	उज्जैन	फतेहाबाद, प.ह.न.-19	521/2	0.030
			523	0.022
			433	0.136
			434	0.066
			390	0.038
			391	0.025
			392	0.024
			394	0.035
			395	0.032
			228/1	0.038
			232/2	0.025
			232/1	0.023
			233	0.036
			237	0.034
			238	0.034
			243/2	0.043
			243/1	0.043
244	0.069			
247/1	0.045			



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
			247/2	0.083
			248	0.090
			54/1	0.021
			54/2	0.086
			220	0.006
			219/1	0.014
			211	0.099
			210	0.036
			200	0.110
उज्जैन	उज्जैन	फतेहाबाद, प.ह.न.-19	202	0.009
			201	0.086
			197/1	0.017
			198/1	0.013
			196	0.030
			74	0.042
			73	0.026
			72	0.003
			71/2	0.027
			71/1	0.029
			70	0.038
			66	0.093
			62/2	0.050
			62/1	0.046
			51/1	0.094
			46/1	0.026
			46/2	0.005
			44	0.080
			4	0.078
			8	0.004
			7	0.110
		कुल योग	54	2.603

क्रमांक भू-अर्जन-2018-राजस्व प्रकरण क्रमांक 05-अ-82-2017-18

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 4640/भू-अर्जन/2017, उज्जैन, दिनांक 03.11.2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दौयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.11.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	तालोद, प.ह.न.-09	606	0.135
			605/2	0.053
			605/1	0.019
			596/2	0.021
			595/3	0.025
			596/1	0.003
			595/1	0.010
कुल योग			7	0.266

क्रमांक 309-भू-अर्जन-2018-राजस्व प्रकरण क्रमांक 04-अ-82-2017-18

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 4642/भू-अर्जन/2017, उज्जैन, दिनांक 03.11.2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दौंयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.11.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	टंकारिया पंथ, प.ह.न.-13	757	0.073
			745	0.050
			754/1	0.038
			754/2	0.042
			752	0.064

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	टंकारिया पंथ, प.ह.न.-13	739/1	0.002
			739/2	0.019
			726/2	0.034
			729/2	0.076
			739/3	0.022
			729/1	0.097
			659/1	0.047
			646/1	0.073
			659/2	0.043
			661/5	0.065
			648	0.104
			53/1	0.086
			57	0.093
			69	0.038
			71/MIN-2	0.050
			71/1	0.093
			38/2	0.049
			37/1	0.070
			5	0.112
			6	0.022
4	0.048			
3/2	0.034			
3/1	0.066			
कुल योग			28	1.610

शितिज शर्मा, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.

## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2018

### सूचना

क्रमांक एफ1-14/2017/सात-6 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य शासन उज्जैन जिले में झार्डी " नवीन तहसील " सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेख किये गये अनुसार वर्तमान जिला उज्जैन की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम (2) में दर्शाई तहसील को कॉलम (3) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है।

2/ मध्य प्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे:-

### अनुसूची

क्र	प्रस्तावित तहसील	मुख्यालय	वर्तमान तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	सीमाएं
1	2	3	4	5	6
1	झार्डी	झार्डी	महिदपुर	नवीन प्रस्तावित तहसील झार्डी में वर्तमान तहसील महिदपुर के 60 पटवारी हल्के(हल्का क्रमांक 23 से 50 , 52 से 68 , 91 से 102 एवं 105 से 107 तक) के कुल 113 ग्राम अपवर्जित किये जाकर प्रस्तावित तहसील में सम्मिलित होंगे।	पूर्व में - तहसील बड़ौद एवं तहसील आगर जिला आगर मालवा एवं तहसील तराना जिला उज्जैन पश्चिम में - तहसील आलोट व तहसील महिदपुर जिला उज्जैन उत्तर में - तहसील आलोट जिला उज्जैन एवं तहसील बड़ौद, जिला आगर मालवा दक्षिण में - शेष तहसील महिदपुर जिला उज्जैन
2	महिदपुर (शेष तहसील)	महिदपुर	महिदपुर	वर्तमान तहसील महिदपुर में प्रस्तावित तहसील झार्डी के अपवर्जन उपरांत पटवारी हल्के 61 (पटवारी हल्का क्र0 1 से 22 , 51 , 69 से 90 , 103 से 104 एवं 108 से 121) के 114 ग्राम होंगे।	पूर्व में- प्रस्तावित तहसील झार्डी जिला उज्जैन एवं तहसील तराना जिला उज्जैन पश्चिम में- तहसील नागदा जिला उज्जैन एवं तहसील ताल जिला रतलाम उत्तर में - प्रस्तावित तहसील झार्डी एवं तहसील आलोट जिला उज्जैन दक्षिण में- तहसील घटिया एवं तहसील नागदा जिला उज्जैन

3/ प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके।

**सूचना**

क्रमांक एफ1-02/2018/सात-6 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य शासन शिवपुरी जिले में रन्नौद " नवीन तहसील " सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेख किये गये अनुसार वर्तमान जिला शिवपुरी की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम (2) में दर्शाई तहसील को कॉलम (3) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है।

2/ मध्य प्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे:-

**अनुसूची**

क्र	प्रस्तावित तहसील	मुख्यालय	वर्तमान तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	सीमाएं
1	2	3	4	5	6
1	रन्नौद	रन्नौद	बदरवास	नवीन प्रस्तावित तहसील रन्नौद में वर्तमान तहसील बदरवास के 34 पटवारी हल्के(हल्का क्रमांक 34 से 67) के कुल 63 ग्राम अपवर्जित किये जाकर प्रस्तावित तहसील में सम्मिलित होंगे।	पूर्व में - तहसील खनियाधाना एवं पिछौर जिला शिवपुरी एवं तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर पश्चिम में - तहसील कोलारस एवं शेष तहसील बदरवास जिला शिवपुरी उत्तर में - तहसील कोलारस एवं तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी दक्षिण में - शेष तहसील बदरवास जिला शिवपुरी
2	बदरवास (शेष तहसील)	बदरवास	बदरवास	वर्तमान तहसील बदरवास में प्रस्तावित तहसील रन्नौद के अपवर्जन उपरांत पटवारी हल्के 33 (पटवारी हल्का क्र0 1 से 33) के 77 ग्राम होंगे।	पूर्व में- प्रस्तावित तहसील रन्नौद जिला शिवपुरी एवं तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर पश्चिम में- जिला गुना उत्तर में - तहसील कोलारस जिला शिवपुरी दक्षिण में- जिला गुना एवं जिला अशोक नगर

3/ प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कुण्डम, दिनांक 1 जनवरी 2018

क्र. 893-भू-अर्जन-प्र. क्र. -अ-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर द्वारा छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य हेतु ग्राम छीताखुदरी की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है एवं धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात का सार प्रकाशित करने की कार्यवाही भी पृथक से जारी है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टे.)	(5)	(6)
(1) जबलपुर	(2) कुण्डम	(3) छीताखुदरी	(4) निजी भूमि- 182.19	अनु. अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन अधिकारी, कुण्डम.	छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.jabalpur.nic.in](http://www.jabalpur.nic.in) एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर भी देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन कुण्डम के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 894-भू-अर्जन-प्र. क्र. -अ-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर द्वारा छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य हेतु ग्राम बिलटुकरी की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है एवं धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात का सार प्रकाशित करने की कार्यवाही भी पृथक से जारी है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टे.)	(5)	(6)
(1) जबलपुर	(2) कुण्डम	(3) बिलटुकरी	(4) निजी भूमि- 142.660	अनु. अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन अधिकारी, कुण्डम.	छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.jabalpur.nic.in](http://www.jabalpur.nic.in) एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर भी देखा जा सकता है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन कुण्डम के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 895-भू-अर्जन-प्र. क्र. -अ-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग हेतु लिये प्राधिकृत करता है।

चूंकि, हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर द्वारा छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य हेतु ग्राम कुड़ेहरदुली की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है अतः इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टे.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	कुण्डम	कुड़ेहरदुली	निजी भूमि- 41.520	अनु. अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन अधिकारी, कुण्डम.	छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.jabalpur.nic.in](http://www.jabalpur.nic.in) एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर भी देखा जा सकता है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन कुण्डम के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 896-भू-अर्जन-प्र. क्र. -अ-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग हेतु लिये प्राधिकृत करता है।

चूंकि, हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर द्वारा छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य हेतु ग्राम मेनपठारी की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है अतः इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टे.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	कुण्डम	मेनपठारी	निजी भूमि- 50.480	अनु. अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन अधिकारी, कुण्डम.	छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.jabalpur.nic.in](http://www.jabalpur.nic.in) एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर भी देखा जा सकता है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन कुण्डम के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।



क्र. 897-भू-अर्जन-प्र. क्र. -अ-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन, एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग हेतु लिये प्राधिकृत करता है.

चूंकि हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर द्वारा छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य हेतु ग्राम बम्हनी की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है अतः इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टे.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	कुण्डम	बम्हनी	निजी भूमि- 5.480	अनु. अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन अधिकारी, कुण्डम.	छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <a href="http://www.jabalpur.nic.in">www.jabalpur.nic.in</a> एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <a href="http://www.mprevenue.nic.in">www.mprevenue.nic.in</a> पर भी देखा जा सकता है.					
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन कुण्डम के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.					

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
महेश चंद्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 10 जनवरी 2018

क्र. भू-अर्जन-10 (अ-82)-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				अधिनियम की धारा 12 के तहत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	घुघरी	खम्हरिया टोला प. ह. नं. 43 उमरिया प. ह. नं. 43	13.56  0.73  • कुल . . . 14.29	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डला.	लावाधार जलाशय हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर भी देखा जा सकता है.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घुघरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

मण्डला, दिनांक 11 जनवरी 2018

क्र. भू-अर्जन-17-18-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	घुघरी	मांगा प. ह. नं. 52	11.43	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग, क्र. 2, मण्डला.	हालोन सिंचाई परियोजना बाँई तट अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.
कुल . . .			11.43		

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर भी देखी जा सकती है।

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-17-18-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	घुघरी	बनेहरी प. ह. नं. 48	13.82	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग, क्र. 2, मण्डला.	हालोन सिंचाई परियोजना बाँई तट अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.
कुल . . .			13.82		

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर भी देखी जा सकती है।

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-17-18-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
मण्डला	घुघरी	ग्वारा प. ह. नं. 52	4.04	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग, क्र. 2, मण्डला.		हालोन सिंचाई परियोजना बाँई तट अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.
कुल . .			4.04			

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर भी देखी जा सकती है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-17-18-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
मण्डला	घुघरी	ददरगांव प. ह. नं. 39	15.53	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग, क्र. 2, मण्डला.		हालोन सिंचाई परियोजना बाँई तट अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.
कुल . .			15.53			

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर भी देखी जा सकती है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सूफिया फारूकी वली, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 11 जनवरी 2018

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 31-अ-82-2016-17-266.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा

आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जैतपुर	कुम्हारी	80.925	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल, म. प्र.	मरखी देवी जलाशय योजना निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतपुर, जिला शहडोल म.प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 30-अ-82-2016-17-267.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जैतपुर	जमुनिहा	35.833	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल, म. प्र.	मरखी देवी जलाशय योजना निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतपुर, जिला शहडोल म.प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 9-अ-82-2017-18-268.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जैतपुर	धनौरा	71.753	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल, म. प्र.	मरखी देवी जलाशय योजना निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतपुर, जिला शहडोल म.प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 16 जनवरी 2018

क्र. 243-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ.

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की कार्यवाही, जनसुनवाई तथा विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन प्रतिवेदनानुसार यह पाया गया है कि प्रस्तावित भू-अर्जन से लोक प्रयोजन पूर्ण हो रहा है तथा प्रस्तावित भूमियों के भू-अर्जन से किसी परिवार के विस्थापित होने की संभावना नहीं है. भू-अर्जन के लिये प्रस्तावित भूमि की सीमा परियोजना के लिए आवश्यक यथार्थ न्यूनतम सीमा तक ही है. परियोजना के संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सार्वजनिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है:—

भूमि का वर्णन		अनुसूची		धारा 12 की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा	अर्जित किये जाने हेतु क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
अनूपपुर	अनूपपुर	1. अनूपपुर	633/5	0.007	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रीवा.	अनूपपुर शहर में कटनी बिलासपुर रेल खण्ड में अनूपपुर यार्ड में फाटक क्र. बी. के.-61 पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य.
			633/2	0.002		
			633/1/ग	0.001		
			633/4	0.002		
			633/3/ख	0.002		
			631/3/क/1	0.004		
			631/3/क/2	0.005		
			631/3/क/1	0.006		
			631/1/क	0.002		
			631/1/ख	0.003		
			631/2/क	0.009		
			631/2/ख	0.009		
			632	0.007		
			632	0.002		
			632/1/क/4	0.001		
			632/13/घ	0.002		
			632/13/क/2	0.005		
			632/13/क/1	0.005		
			632/13/ड	0.005		
			632/13/ख	0.005		
			628/2/ख	0.005		
			योग . .	0.070		
		2. सामतपुर	565	0.041		
			566/3/1	0.011		
			566/3/2	0.011		
			624/2	0.003		
			620/2	0.006		
			621/1	0.004		
			621/2	0.002		
			619/715/1	0.007		
			योग . .	0.074		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

### राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंडला, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंडला, दिनांक 10 जनवरी 2018

क्र. भू-अर्जन-33(अ-82) 2016-17-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला  
(ख) तहसील—निवास  
(ग) ग्राम—देहरा, प.ह.नं. 34  
(घ) क्षेत्रफल—0.11 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
309/2	0.03
90	0.03
52	0.05
योग . . .	0.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—देहरा जलाशय अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर भी देखी जा सकती है.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) निवास के कार्यालय में या कार्यपालन यंत्र, जल संसाधन संभाग, मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सूफिया फारूकी वली, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 10 जनवरी 2018

प्र. क्र. 01-अ-82-2016-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके लिए यह घोषणा की है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर  
(ख) तहसील—बकस्वाहा  
(ग) ग्राम—पाली  
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—11.235 हेक्टेयर.

अर्जित की जा रही भूमि का खसरा क्र.	अर्जित रकबा/क्षेत्रफल (हेक्ट. में)
(1)	(2)
717/1	0.094
717/4	0.080
750/1	0.030
750/2	0.030
751/1	0.020
751/2	0.020
753	0.040
754/1	0.070
754/2	0.080
755/1	0.185
755/2	0.186
755/3	0.180
756/1	0.036
756/2	0.037
761	0.032
762/1	0.031
762/2	0.062
763	0.073
764	0.121
765	1.105

(1)	(2)	(ग) ग्राम—करीं	(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—60.866 हेक्टेयर.
766	0.543	अर्जित की जा रही	अर्जित रकबा/क्षेत्रफल
767	0.364	भूमि का खसरा क्र.	(हेक्ट. में)
768	0.081	(1)	(2)
769	0.368	107	0.051
770	0.271	108	0.123
771	0.045	109	0.388
773 शा. नं. 774	0.174	110/1	0.223
775	0.283	110/2/1	0.371
776	0.733	110/2/2	0.370
777	0.154	111/1	0.396
778	0.243	111/2	0.397
779	1.829	112/1	0.997
780	0.429	112/2	0.997
781	0.125	115/3	0.332
782	0.260	427/2	1.384
784	0.668	427/3	1.384
786/1	0.581	427/4/1	2.023
786/2	0.580	427/4/2	2.023
787	0.186	433/2	0.780
801	0.015	433/3	0.080
802	0.050	433/4	1.000
803/1	0.162	433/5	0.922
803/2	0.162	441	0.506
805	0.417	442	0.356
कुल योग . .	11.235	443	0.328
(2) जूड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना में जल भराव हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.		444	0.061
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिजावर में किया जा सकता है.		445	0.101
		446	0.454
		449/1	1.357
		449/2	0.610
प्र. क्र. 02-अ-82-2016-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके लिए यह घोषणा की है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		451/2	0.283
		451/3	0.713
		451/17 शा. नं. 451/18,	2.152
		451/19	
		452	0.983
		453	1.299
		454	1.987
		455	0.721
		458/1	2.618
		458/2	0.611
		458/3	0.251
(1) भूमि का वर्णन—		458/4	1.635
(क) जिला—छतरपुर		478	0.336
(ख) तहसील—बकस्वाहा		479	0.656

(1)	(2)	(2) जूड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना में जल भराव हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
475/2	0.194	
480	1.424	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिजावर में किया जा सकता है.
481	0.190	
482	0.906	
484/1	6.147	प्र. क्र. 03-अ-82-2016-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके लिए यह घोषणा की है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—
484/2/1	3.278	
484/2/2	1.618	
484/3	1.215	
485/2	0.530	
488/2	0.947	
488/3	0.907	
488/4	0.889	
490/1/1	0.500	
490/1/2	0.398	
490/2	0.405	
490/3	0.558	
490/4	0.121	
490/6	0.629	
490/10	0.478	
490/11	0.162	
490/12	0.166	
490/13	0.210	
490/15	0.336	
492	1.100	
496	0.170	
497	0.551	
498/1	0.198	
498/6	0.049	
498/7	0.332	
498/8	0.348	
498/4 शा.न. 498/50.040	0.174	
500	0.243	
501	0.571	
502	0.166	
503	0.251	
504	0.142	
505/1	0.045	
506	0.514	
509/1	0.368	
509/2	0.526	
509/3	0.267	
511	0.384	
कुल योग . .	60.866	
		अनुसूची
		(1) भूमि का वर्णन—
		(क) जिला—छतरपुर
		(ख) तहसील—बकस्वाहा
		(ग) ग्राम—निपनिया
		(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—12.191 हेक्टेयर.
		अर्जित की जा रही भूमि का खसरा क्र.
		अर्जित रकबा/क्षेत्रफल (हेक्ट. में)
		(1) (2)
		108/1 0.213
		108/2 0.213
		108/3 0.214
		111/6 1.400
		131 0.474
		132 0.291
		133 0.117
		136 0.101
		138 0.709
		139 0.510
		140 0.454
		141/4 1.675
		141/5 1.568
		141/6 3.450
		143 0.802
		कुल योग . . 12.191
		(2) जूड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना में जल भराव हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
		(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिजावर में किया जा सकता है.



प्र. क्र. 04-अ-82-2016-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके लिए यह घोषणा की है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—बकस्वाहा

(ग) ग्राम—खतरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—60.062 हेक्टेयर.

अर्जित की जा रही  
भूमि का खसरा क्र.

अर्जित रकबा/क्षेत्रफल  
(हेक्ट. में)

(1)

(2)

725

0.206

723 शा. नं. 739/2-0.157,

2.112

740-0.081

726

0.482

727

0.283

728

0.312

729

0.113

731

0.376

733

0.304

734

0.364

737

0.182

738

0.235

735

0.316

736

0.186

739/1

0.235

901

0.058

902

0.174

903

0.283

908

0.214

909

0.344

911

0.405

913

1.084

918/4

0.906

918/5

3.747

956 शा. नं. 957

0.360

958

0.210

868/4

3.237

(1)

(2)

959

0.065

960

0.083

963

0.555

964/2

0.170

961

0.031

965

0.291

966

0.243

967

0.210

962/1

1.206

962/2

0.137

964/1

1.206

971/10/1

0.118

971/2 शा. नं.,

0.184

972-0.121

971/3

1.145

971/5 शा. नं.,

0.510

973-0.478, 974-0.518

971/6

0.498

971/7

1.108

971/8

2.012

977/1/1

0.272

977/1/2

0.145

977/2

0.405

980/1

0.518

986/1

0.208

987/2/1

2.333

980/2

0.518

986/2

0.208

987/2/2

2.333

980/3

0.518

986/3

0.208

987/2/3

2.334

868/1/1/3

2.152

987/1

0.592

1016/1

0.900

1032/1

1.000

1016/2

0.018

1032/2

0.038

1027/3

0.437

1061/2

1.085

1027/4

0.081

1134

0.138

1031

2.013

1033 शा. नं. 1034-

0.235, 1035-0.162,

0.560

1036-0.126

(1)	(2)
1038/1	0.287
1054/1	0.174
1055/1	0.060
1059/1	0.574
1060/1	0.253
1038/2	0.288
1054/2	0.175
1055/2	0.120
1059/2	0.575
1060/2	0.253
1056	0.551
1066	0.188
1067	0.470
1110/1 शा. नं.,	
1111/1-0.972	1.055
1110/2 शा. नं.,	
1111/2-0.971	1.054
1112	0.299
1113	0.049
1114	0.020
1115	0.178
1116	2.359
1117	0.312
1118	0.324
1124	1.813
1128	0.158
1136	0.154
1119	0.150
1121	0.194
1122	1.234
1123	0.065
1129	0.113
1131	0.053
1130	0.089
1132	0.049
1133	0.049
1137	0.109
1210/2	0.413
1210/3	0.287

कुल योग . . . 60.062

- (2) जूड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना में जल भराव हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिजावर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रमेश भण्डारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,  
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 16 जनवरी 2018

पत्र क्र. 179-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मनगवां  
(ग) ग्राम—रघुराजगढ़-574  
(घ) क्षेत्रफल—0.996 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)

#### अ. निजी पट्टे की भूमि

1006	0.001
1008	0.201
1009	0.021
88	0.044
89	0.086
10	0.035
13	0.198
23	0.067
582	0.137
583	0.009
584	0.030
592	0.012
579	0.105
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.946

#### ब म. प्र. शासन की भूमि

1007	0.006
593	0.006
1	0.018
47	0.020
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.050
अ-ब का योग . .	0.996

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 9” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 213-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मनगवां  
(ग) ग्राम—करौंदहा  
(घ) क्षेत्रफल—1.068 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
<b>(अ) निजी पट्टे की भूमि</b>		
30	0.300	-
36	0.040	-
37	0.128	-
35	0.032	-
38	0.080	-
39	0.020	-
48	0.092	-
87	0.088	-
88	0.132	-
126	0.044	-
125	0.064	-
124	0.004	-
141	0.004	-
143	0.008	-
142	0.032	-
योग . .	<u>1.068</u>	
<b>(ब)-शासकीय भूमि निरंक</b>		
महायोग. .	<u>1.068</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “तिवनी माइनर नं. 1 से सब-माइनर ग्राम करौंदा”, में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 215-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मनगवां  
(ग) ग्राम—तिवनी  
(घ) क्षेत्रफल—4.196 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
<b>(अ) निजी पट्टे की भूमि</b>		
304	0.044	-
312	0.080	-
323	0.060	-
320	0.048	-
319	0.100	-
326	0.060	-
327	0.020	-
328	0.036	-
329	0.060	-
342	0.076	-
355	0.092	-
914	0.096	-
918	0.036	-
919	0.012	-
920	0.028	-
927	0.080	-
928	0.108	-
937	0.040	-
938	0.028	-



पत्र क्र. 217-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मनगवां  
(ग) ग्राम—हनुमन्ता  
(घ) क्षेत्रफल—0.872 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
<b>(अ) निजी पट्टे की भूमि</b>		
23	0.100	-
35	0.148	-
25	0.008	-
38	0.056	-
63	0.044	-
34	0.080	-
32	0.068	-
45	0.236	-
51	0.120	-
24	0.012	-
योग . .	<u>0.872</u>	

#### (ब)-शासकीय भूमि निरंक

महायोग. . 0.872

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "पिपरवार वितरक नहर से हनुमन्ता क्र. 2 माईनर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 23 जनवरी 2018

क्र. 439-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी  
(ख) तहसील—सिवनी  
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-खमरिया ब.नं.-97, प.ह.नं.-43  
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—5.57 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

#### निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
370	0.09
371	0.44
373/2	0.09
373/1	0.10
373/5	0.02
365/1	0.42
365/2	0.14
337/1	0.15
337/4	0.07
338/2	0.08
338/1	0.04
339	0.15
343	0.23
344/1	0.13
344/2	0.09
344/3	0.07
346	0.24
284	0.14

(1)	(2)
337/5	0.02
373/7	0.06
382	0.15
384	0.14
386	0.30
387	0.19
389	0.04
258	0.07
254	0.05
260	0.04
240	0.10
241	0.01
239/14	0.07
239/13	0.06
239/18	0.05
239/11	0.07
239/12	0.05
236	0.16
234/2	0.15
235/1	0.03
235/2	0.13
227/2	0.04
227/3	0.08
227/4	0.11
442/8	0.16
442/7	0.12
442/6	0.15
442/5	0.13
442/4	0.15

योग . . . 5.57

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की पटरा माईनर एवं पौड़ी माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 440-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी  
 (ख) तहसील—सिवनी  
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-भाजीपानी ब.नं.-453, प.ह.नं.-44  
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—2.61 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

#### निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
162	0.02
47	0.07
160/2	0.08
172	0.01
161	0.20
179	0.03
46/2	0.03
48/3	0.13
50/3	0.05
50/4	0.18
50/2	0.05
50/1	0.04
53	0.28
85/2	0.08
85/1	0.05
81/2	0.06
81/3	0.03
44	0.24
43	0.09
42	0.03
24/3	0.13
24/2	0.08

(1)	(2)	(1)	(2)
24/1	0.04	130/1	0.15
23	0.14	130/2	0.18
20	0.13	131	0.80
18/2	0.35	140/1	0.02
154/2	0.11	91/2	0.20
योग . . . 2.61		91/3	0.14
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की पटरा माईनर एवं पौड़ी माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.		92/4	0.24
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.		89/1	0.20
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.		86/2	0.26
		87	0.12
		88	0.16
		85	0.08
		82	0.07
		83	0.04
		80/1	0.14
		81	0.07
		77/1	0.15
		74/2	0.07
		75	0.09
		76	0.08
		86/3	0.19
		12/3	0.01
		12/4	0.03
		13	0.40
		73	0.05
		14	0.02
		15	0.12
		योग . . . 4.98	

क्र. 441-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी  
 (ख) तहसील—सिवनी  
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-सालीवाड़ा ब.नं.-114, प.ह.नं.-47  
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—4.98 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

#### निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
126/3	0.42
127	0.48

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की पटरा माईनर एवं पौड़ी माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 443-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस नहर प्रणाली में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी  
(ख) तहसील—छपारा  
(ग) नगर/ग्राम—ताखला ब.नं.-298, प.ह.नं.-53  
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.35 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

### निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
212	0.06
154/4	0.09
154/3	0.20
योग . .	0.35

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की सागर माईनर की सब माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लखनादौन के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 444-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी

घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी  
(ख) तहसील—सिवनी  
(ग) नगर/ग्राम—जोगीवाड़ा ब.नं.-219, प.ह.नं.-45  
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—3.27 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

### निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
26/1	0.43
27	0.19
23	0.01
22	0.40
29	0.14
30	0.16
31	0.04
33/1	0.04
33/2	0.19
35	0.36
36	0.15
38	0.13
39	0.02
40	0.11
94	0.01
95	0.01
93	0.01
92	0.01
91	0.02
90	0.03
89	0.02
157/1	0.01
153/1	0.07
20	0.20
19	0.01
18	0.20
17	0.08
16	0.09
12	0.13
योग . .	3.27

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की पटरा माईनर एवं पौड़ी माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.



- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 445-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस नहर प्रणाली में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—छपारा
- (ग) नगर/ग्राम—अकलमा ब.नं.-635, प.ह.नं.-52
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.41 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

#### निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
112/5	0.24
112/3	0.09
123/1	0.08
योग . . .	0.41

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की सागर माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लखनादौन के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 446-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में

वर्णित भूमि, के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—सिवनी
- (ग) नगर/ग्राम—पटरा ब.नं.-316, प.ह.नं.-29
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—2.19 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

#### निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
112/2	0.07
112/3	0.05
111	0.06
110/1	0.15
110/2	0.03
109/1	0.11
102	0.59
88	0.01
225	0.04
228	0.58
229	0.23
218	0.02
212/1	0.07
213	0.18
योग . . .	2.19

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की पटरा माईनर एवं पौड़ी माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गोपाल चंद्र डाड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 5 जनवरी 2018

क्र. C-62-एक-7-3-17-भाग-एक.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी-5785-एक-7-3-2017, भाग-1, जबलपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2017 में आंशिक संशोधन करते हुए, दिनांक 6 जनवरी 2018 के रोस्टर अनुसार उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इंदौर/ग्वालियर के संबंधित न्यायालयों एवं रजिस्ट्री के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु माह जनवरी में घोषित शनिवार दिनांक 6 जनवरी 2018 न्यायालयीन अकार्य दिवस को ऐसी क्रिमिनल अपील, जिसमें अभियुक्त 10 वर्षों से अधिक समय से निरुद्ध है एवं उन्हें मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक सहायता प्रदान की गई है अथवा जिसमें अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा अधिवक्ता नियुक्त किये गये हैं, की सुनवाई किये जाने हेतु न्यायालयीन कार्य दिवस घोषित किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 5 जनवरी 2018

क्र. B-92-दो-2-28-ए-2015.—श्री मोहम्मद फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 22 से 30 दिसम्बर 2017 तक के आकस्मिक अवकाश एवं शीतकालीन अवकाश के साथ होम एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2017 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2017

क्र. 615-स्था. सैट-2017.—श्री ए. के. महोबिया, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, (लेखा) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2017 तक, कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों को प्रारंभ एवं अन्त में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाशकाल में श्री महोबिया को अवकाश वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे।

उक्त अवकाशकाल से लौटने पर श्री ए. के. महोबिया, को अस्थायी रूप से मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर में आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. के. महोबिया, अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, (लेखा) के पद पर कार्य करते रहते। अतः उक्त अवधि दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2017 तक मूलभूत नियम 26(ब) (2) के अनुसार वेतनवृद्धि के लिये गिनी जावेगी।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
चन्द्रेश कुमार खरे, रजिस्ट्रार (प्रशासन).

जबलपुर, दिनांक 2 जनवरी 2018

क्र. B-08-दो-2-42-2017.—श्री रामेश्वर कोठे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 18 से 21 दिसम्बर 2017 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 22 से 30 दिसम्बर 2017 तक, नौ दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 दिसम्बर 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2017 से 1 जनवरी 2018 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है।

अवकाश से लौटने पर श्री रामेश्वर कोठे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामेश्वर कोठे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-10-दो-2-51-2017.—श्री श्याम बिहारी वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, देवास को दिनांक 18 से 21 दिसम्बर 2017 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 22 से 30 दिसम्बर 2017 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 दिसम्बर 2017

के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2017 से 1 जनवरी 2018 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री श्याम बिहारी वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्याम बिहारी वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-16-दो-2-14-2015.—श्रीमती रेणुका कंचन, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 27 से 28 नवम्बर 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन

का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेणुका कंचन, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेणुका कंचन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 4 जनवरी 2018

क्र. 24-गोपनीय-2018-दो-2-1/2018 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

#### सारणी

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3)
1	श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा.	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
2	श्री संजय कुमार गुप्ता (सीनियर), पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना.	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना की हैसियत से श्रीमती रमा जयंत मित्तल के स्थान पर.
3	श्रीमती रमा जयंत मित्तल, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना.	सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

जबलपुर, दिनांक 5 जनवरी 2018

क्र. 29-गोपनीय-2018-दो-3-1-2018.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

#### सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्रीमती तृप्ति पाण्डेय,	भिण्ड	उज्जैन	उज्जैन	सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

क्र. 30-गोपनीय-2018-दो-3-1-2018.— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

**सारणी**

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री राजेश कुमार यादव	छतरपुर	जबलपुर	जबलपुर	तेरहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
2	श्रीमती नमिता द्विवेदी	ग्वालियर	हरदा	हरदा	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
3	श्रीमती रिजवाना कौसर	रहली	रायसेन	रायसेन	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
4	श्रीमती दिव्या सिंह	उमरिया	चुरहट	सीधी	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
**मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.**

जबलपुर, दिनांक 10 जनवरी 2018

क्र. B-164-दो-2-28-2014.— श्री व्ही. पी. एस. चौहान, जिला न्यायाधीश, (निरीक्षण) ग्वालियर को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2017 तक, तीन दिन के शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 से 30 दिसम्बर 2017 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2017 से 1 जनवरी 2018 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही.पी.एस. चौहान, जिला न्यायाधीश, (निरीक्षण) ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

शीतकालीन/ अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही.पी.एस. चौहान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश(निरीक्षण) के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
**यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.**

जबलपुर, दिनांक 3 जनवरी 2018

क्र. 19-गोपनीय-2018-दो-3-111-2017.— उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश कुमारी रूचिता गुर्जर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, तराना, जिला उज्जैन का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन "श्रीमती रूचितासिंह गुर्जर" पति श्री विक्रमसिंह करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

जबलपुर, दिनांक 06 जनवरी 2018

क्र. 34-गोपनीय-2018-दो-3-3-2018.— उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश कुमारी कमला अहिरवार, ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, भोपाल का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन "श्रीमती कमला गौतम" पत्नी श्री मिलिन्द गौतम करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

आदेशानुसार,  
**मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.**

जबलपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2017

क्र. 621-स्था. सैट-2017.— श्री आर.सी. पिठवे, निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट), खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 22 से 30 दिसम्बर 2017 तक, कुल नौ दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारम्भ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाशकाल में श्री पिठवे को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.

उक्त अवकाश से लौटने पर श्री पिठवे को अस्थायी रूप से निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट), खंडपीठ इंदौर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर.सी. पिठवे, निजी सचिव, अवकाश पर नहीं जाते तो निजी सचिव के पद पर कार्य करते रहते. चूंकि अवकाश पर गये हैं. अतः अवधि दिनांक 22 से 30 दिसम्बर 2017 कुल (09 दिन) को मूलभूत नियम 26(ब) (2) के अनुसार वेतन वृद्धि के लिये गिनी जावेगी.

**चन्द्रेश कुमार खरे, रजिस्ट्रार (प्रशासन).**

जबलपुर, दिनांक 04 जनवरी 2018

क्र. बी-60-तीन-10-42-75.—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि निम्न तालिकाओं के कॉलम क्रमांक (3) में न्यायाधीशगण अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित स्थानों पर प्रत्येक माह में कॉलम (4) में वर्णित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे. यह अधिसूचना तालिका के क्रमांक (2) में वर्णित स्थान पर श्रृंखला न्यायालय से संबंधित समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिरिक्त करते हुए जारी की जा रही है.

No. B-60-III-6-4-72.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Judges named in the column no. (3) of the following tables shall also hold sitting at places mentioned in the column no. (2) of the tables in addition to their place of posting for the period mentioned in the column no. (4) for holding Link Court. This notification is being issued in supersession of all the earlier notifications issued in respect of Link Courts for the places mentioned in Column No. (2) of the table:—

**ADJ Cadre**

S. No.	Places, where Link Court is to be held (District)	Name of the Judge and designation	No. of Days for the Link Court in a month
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nainpur (Mandla)	Shri Prakash Kaser, II ADJ, Mandla.	7 days
2.	Niwas (Mandla)	Shri Ashok Kumar Sondhiya, IV ADJ, Mandla	1 week

**Civil Judge Cadre**

Place, where Link Court is to be held (District)	Name of the Judge and designation	No. of Days for the Link Court in a month
(2)	(3)	(4)
Pachmarhi (Hoshangabad)	Shri Suresh Kumar Sharma, I Civil Judge Class-I, Pipariya	3 days

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
विवेक सक्सेना, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (डी. ई.).